खण्ड-168, अंक-4
गुरूवार, 25 फाल्गुन, शक संवत् 1877
(15 मार्च, 1956 ई0)

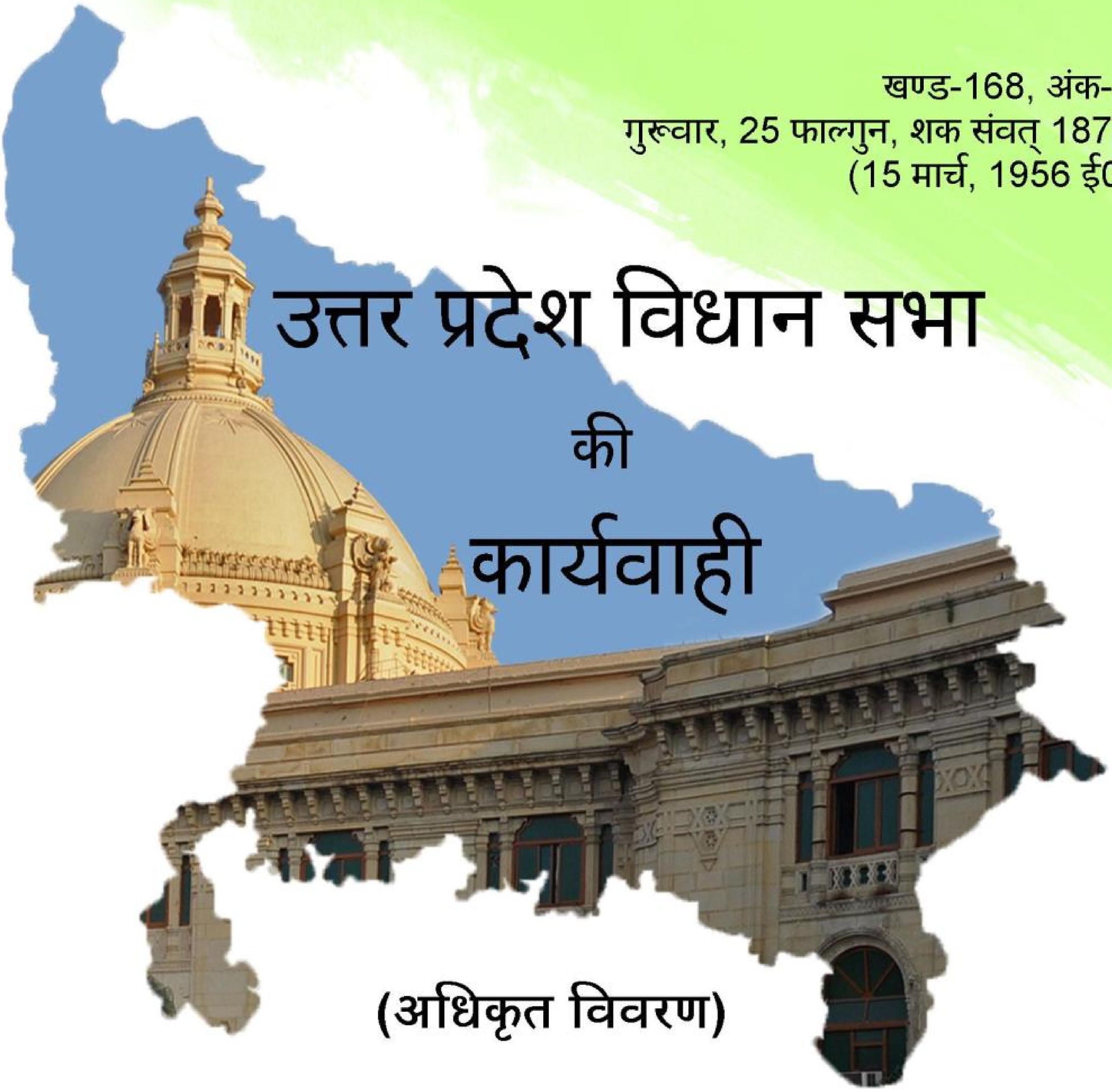

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 168 में 6 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश (भारत)
१९५६

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बृहस्पतिवार, १५ मार्च, १९५६

विधान सभा की बैठक सभा-मंडप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष श्री आत्माराम गोविन्द खेर की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्यों की सूची (२८६)

अक्षयवर सिंह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अतहर हुसैन ख्वाजा, श्री
अब्दुल मुईज खां, श्री
अमरेशचन्द्र पांडेय, श्री
अमृतनाथ मिश्र, श्री
अवधेशप्रताप सिंह, श्री
अशरफ अली खां, श्री
आशालता व्यास, श्रीमती
इस्तफा हुसैन, श्री
उमाशंकर, श्री
उमाशंकर मिश्र, श्री
उम्मेदसिंह, श्री
उल्फतसिंह चौहान निर्भय, श्री
ओंकारसिंह, श्री
कन्हैयालाल वाल्मीकि, श्री
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कल्याणचन्द मोहिले उपनाम छुन्नन गुरु, श्री
कामता प्रसाद विद्यार्थी, श्री
कालीचरण टंडन, श्री
काशीप्रसाद पांडेय, श्री
किन्दरलाल, श्री
कुंवरकृष्ण वर्मा, श्री
कृपाशंकर, श्री
केशभानराय, श्री
केशव पांडेय, श्री
केशवराम, श्री
कैलाशप्रकाश, श्री
खुशीराम, श्री
गंगाधर मैठाणी, श्री
गंगाधर शर्मा, श्री
गंगाप्रसाद, श्री
गंगाप्रसाद सिंह, श्री
गणेशचन्द्र काछी, श्री
गणेशप्रसाद जायसवाल, श्री
गिरजारमण शुक्ल, श्री
गुप्तार सिंह, श्री
गुरुप्रसाद पांडेय, श्री
गुरुप्रसाद सिंह, श्री
गुलजार, श्री
गोवर्धन तिवारी, श्री
गौरीराम, श्री
घनश्याम दास, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चतुर्भुज शर्मा, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रवती, श्रीमती
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चन्द्रहास, श्री
चिरंजीलाल जाटव, श्री
चिरंजीलाल पालीवाल, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
जगतनारायण, श्री
जगदीशसरन, श्री
जगन प्रसाद रावत, श्री
जगन्नाथप्रसाद, श्री
जगन्नाथबख्श दास, श्री
जगन्नाथ मल्ल, श्री
जगन्नाथसिंह, श्री
जगमोहन सिंह नेगी, श्री
जटाशंकर शुक्ल, श्री
जयपाल सिंह, श्री
जयेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
जवाहरलाल, श्री

जवाहरलाल रोहतगी, डाक्टर
जोरावर वर्मा, श्री
ज्वालाप्रसाद सिन्हा, श्री
झारखंडेराय, श्री
टीकाराम, श्री (बदायूं)
टीकाराम, श्री (हरदोई)
डल्लाराम, श्री
ताराचन्द्र माहेश्वरी, श्री
तुलाराम रावत, श्री
तेजप्रताप सिंह, श्री
तेजबहादुर, श्री
त्रिलोकीनाथ कौल, श्री
दयालदास भगत, श्री
दर्शनराम, श्री
दलबहादुर सिंह, श्री
दाताराम, श्री
दीनदयालु शास्त्री, श्री
दीपनारायण वर्मा, श्री
देवदत्त मिश्र, श्री
देवनन्दन शुक्ल, श्री
देवराम, श्री
देवेन्द्रप्रताप नारायण सिंह, श्री
द्वारकाप्रसाद मौर्य, श्री
द्वारिकाप्रसाद पांडेय, श्री
धनुषधारी पांडेय, श्री
धर्मसिंह, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ, श्री
नरदेव शास्त्री, श्री
नरेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
नवलकिशोर, श्री
नागेश्वर द्विवेदी, श्री
नाजिम अली, श्री
नारायणदत्त तिवारी, श्री
नारायणदास, श्री
नारायणदीन वाल्मीकि, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
पद्मनाथ सिंह, श्री
परमानन्द सिन्हा, श्री
परमेश्वरी दयाल, श्री
परिपूर्णानन्द वर्मा, श्री
पहलवानसिंह चौधरी, श्री
पातीराम, श्री
पुत्तूलाल, श्री
पुद्दनराम, श्री
पुलिनविहारी बनर्जी, श्री
प्रभाकर शुक्ल, श्री
प्रेमकिशन खन्ना, श्री
फतेहसिंह राणा, श्री
बनारसीदास, श्री
बलदेवसिंह, श्री (गोंडा)
बलदेवसिंह, श्री (बनारस)
बलदेवसिंह आर्य, श्री
बलवीरसिंह, श्री
बलभद्रप्रसाद शुक्ल, श्री
बशीर अहमद हकीम, श्री
बसन्तलाल, श्री
बसन्तलाल शर्मा, श्री
बाबूनन्दन, श्री
बाबूलाल कुसुमेश, श्री
बालेन्दुशाह, महाराजकुमार
बेचनराम, श्री
बेचनराम गुप्त, श्री
बेनीसिंह, श्री
बैजनाथप्रसाद सिंह, श्री
बैजूराम, श्री
ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री
भगवतीप्रसाद दुबे, श्री
भगवतीप्रसाद शुक्ल, श्री
भगवानदीन वाल्मीकि, श्री
भगवानसहाय, श्री
भृगुनाथ चतुर्वेदी, श्री
मकसूद आलम खां, श्री
मंगलाप्रसाद, श्री
मथुराप्रसाद त्रिपाठी, श्री
मदनमोहन उपाध्याय, श्री
मन्नीलाल गुरुदेव, श्री
मलखानसिंह, श्री
महमूद अली खां, श्री (रामपुर)
महमूद अली खां, श्री (सहारनपुर)
महावीरप्रसाद शुक्ल, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महावीर सिंह, श्री
महीलाल, श्री
मिजाजीलाल, श्री
मुन्नूलाल, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुश्ताक अली खां, श्री
मुहम्मद अदील अब्बासी, श्री
मुहम्मद अब्दुल लतीफ, श्री
मुहम्मद इब्राहीम, श्री हाफिज
मुहम्मद तकी हादी, श्री

मुहम्मद नबी, श्री
मुहम्मद नसीर, श्री
मुहम्मद फारूक चिश्ती, श्री
मुहम्मद रऊफ जाफरी, श्री
मुहम्मद शाहिद फाखरी, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहनलाल गौतम, श्री
मोहनसिंह शाक्य, श्री
यमुनासिंह, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
रघुनाथप्रसाद, श्री
रतनलाल जैन, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
रमेश वर्मा, श्री
राजकिशोर राव, श्री
राजकुमार शर्मा, श्री
राजनारायण, श्री
राजवंशी, श्री
राजाराम, श्री
राजाराम किसान, श्री
राजाराम मिश्र, श्री
राजाराम शर्मा, श्री
राजेन्द्रदत्त, श्री
राधामोहन सिंह, श्री
रामअधार तिवारी, श्री
रामअधीनसिंह यादव, श्री
रामअनन्त पांडेय, श्री
रामअवध सिंह, श्री
रामआसरे वर्मा, श्री
रामकुमार शास्त्री, श्री
रामकृष्ण जैसवार, श्री
रामगुलाम सिंह, श्री
रामचरणलाल गंगवार, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामदास आर्य, श्री
रामदुलारे मिश्र, श्री
रामनरेश शुक्ल, श्री
रामप्रसाद श्री,
रामप्रसाद नौटियाल, श्री
रामप्रसाद सिंह, श्री
रामबली मिश्र, श्री
रामभजन, श्री
रामरतन प्रसाद, श्री
रामराज शुक्ल, श्री
रामलखन, श्री
रामलाल, श्री
रामवचन यादव, श्री
रामसहाय शर्मा, श्री
रामसुन्दर राम, श्री
रामसुभग वर्मा, श्री
रामसुमेर, श्री
रामसेवक यादव, श्री
रामस्वरूप, श्री
रामस्वरूप भारतीय, श्री
रामहरख यादव, श्री
रामेश्वरप्रसाद, श्री
रामेश्वरलाल, श्री
लक्ष्मणराव कदम, श्री
लक्ष्मीदेवी, श्रीमती
लक्ष्मीरमण आचार्य, श्री
लालबहादुर सिंह, श्री
लालबहादुर सिंह कश्यप, श्री
लीलाधर अष्ठाना, श्री
लेखराज सिंह, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
वासुदेवप्रसाद मिश्र, श्री
विचित्रनारायण शर्मा, श्री
विजयशंकर प्रसाद, श्री
विश्रामराय, श्री
विष्णुदयाल वर्मा, श्री
वीरसेन, श्री
वीरेन्द्र वर्मा, श्री
वीरेन्द्र विक्रम सिंह, श्री
वीरेंद्रशाह, राजा
व्रजरानी मिश्र, श्रीमती
व्रजवासीलाल, श्री
व्रजविहारी मिश्र, श्री
व्रजविहारी मेहरोत्रा, श्री
शंकरलाल, श्री
शम्भूनाथ चतुर्वेदी, श्री
शांतिप्रपन्न शर्मा, श्री
शिवकुमार मिश्र, श्री
शिवकुमार शर्मा, श्री
शिवदानसिंह, श्री
शिवनाथ काटजू, श्री
शिवनारायण, श्री
शिवपूजनराय, श्री
शिवप्रसाद, श्री
शिवमंगलसिंह कपूर, श्री
शिवराम पांडेय, श्री
शिवरामराय, श्री
शिववक्षसिंह राठौर, श्री

शिवस्वरूप सिंह, श्री
शुकदेवप्रसाद, श्री
श्यामलाल, श्री
श्यामाचरण वाजपेयी शास्त्री, श्री
श्रीचन्द्र, श्री
श्रीनाथ भार्गव, श्री
सईद जहां मखफी शेरवानी, श्रीमती
संग्रामसिंह, श्री
सच्चिदानन्दनाथ त्रिपाठी, श्री
सज्जनदेवी महनोत, श्रीमती
सत्यनारायणदत्त, श्री
सफिया अब्दुल वाजिद, श्रीमती
सम्पूर्णानन्द, डाक्टर
सहदेवसिंह, श्री
सावित्रीदेवी, श्रीमती
सियाराम गंगवार, श्री
सियाराम चौधरी, श्री
सीताराम, डाक्टर
सीताराम शुक्ल, श्री
सुन्दरदास, श्री दीवान
सुन्दरलाल, श्री
सुरुजूराम, श्री
सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी, श्री
सुरेशप्रकाश सिंह, श्री
सुल्तान आलम खां, श्री
सूर्य्यप्रसाद अवस्थी, श्री
सूर्य्यबली पांडेय, श्री
सेवाराम, श्री
हबीबुर्रहमान अंसारी, श्री
हबीबुर्रहमान खां हकीम, श्री
हमीद खां, श्री
हरखपाल सिंह, श्री
हरगोविन्द पंत, श्री
हरगोविन्द सिंह, श्री
हरदयालसिंह पिपल, श्री
हरदेव सिंह, श्री
हरिप्रसाद, श्री
हुकुमसिंह, श्री

प्रश्नोत्तर

बृहस्पतिवार, १५ मार्च, १९५६

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

सुपरिंटेंडेन्ट खाम, गवर्नमेन्ट तराई इस्टेट्स, जिला नैनीताल को जमीन देने का अधिकार

**१—श्री कालीचरण टन्डन (जिला फर्रुखाबाद) (अनुपस्थित)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि गवर्नमेंट तराई इस्टेट्स, जिला नैनीताल के सुपरिंटेंडेंट खाम को कितनी जमीन अपने आदेश से किसी एक व्यक्ति को देने का अधिकार है और इन अधिकारों में कब कब और क्या क्या परिवर्तन हुये हैं?

माल उपमंत्री (श्री चतुर्भुज शर्मा)—तराई भावर में सरकारी आस्थानों के अधीक्षक (Superintendent Tarai and Bhabar Government Estates) को अपने आदेश से किसी एक व्यक्ति को ३० एकड़ तक भूमि देने का वर्तमान में अधिकार है। उनके इन अधिकारों में निम्नलिखित परिवर्तन हुये हैं:—

(क) जनवरी, १९३७ ई० तक कोई प्रतिबन्ध न था।

(ख) जनवरी, १९३७ ई० के पश्चात् केवल १०० एकड़ तक भूमि देने का अधिकार रह गया।

(ग) जून, १९५२ ई० से केवल ३० एकड़ तक भूमि देने का अधिकार रह गया।

नोट—अल्पसूचित तारांकित प्रश्न १ श्री वीरेंद्र वर्मा ने पूछा।

श्री वीरेन्द्र वर्मा (जिला मुजफ्फरनगर)---क्या माननीय मंत्री महोदय बताने का कष्ट करेंगे कि सुपरिंटेंडेंट खाम साहब ने कितने व्यक्तियों को ३० एकड़ के हिसाब से पिछले वर्ष भूमि दी है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा---इसके लिये नोटिस की जरूरत होगी।

श्री रामदुलारे मिश्र (जिला कानपुर)---क्या सरकार के पास ऐसी भी शिकायतें आई हैं कि तराई भावर के खाम सुपरिंटेंडेंट ने जमीन देने में अपने अधिकार का दुरुपयोग किया है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा---एक शिकायत थी, जिसकी बाबत इस सदन में भी सवाल हुये। उसके ऊपर जांच हो रही है।

श्री वीरेन्द्र वर्मा---क्या माननीय मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि सुपरिंटेंडेंट कौन कौन सी शर्तों के आधार पर व्यक्ति विशेष को भूमि देते हैं ?

श्री चतुर्भुज शर्मा---कुछ क्लासेज ऐसे लोगों की थीं, एक्स सर्विसमैन थे, रिफ्यूजीज या पोलिटिकल सफरर थे, या ग्रेजुयेट थे, ऐग्रीकल्चर के डिप्लोमा होल्डर्स थे। लेकिन पहले यह भी था कि बसना चाहे तो कोई भी जा सकता था जो जमीन तोड़ने के लिये तैयार हो।

श्री शिवनारायण (जिला बस्ती)---क्या सरकार सुपरिंटेंडेंट खाम के खिलाफ जो शिकायत आयी है उसके ऊपर प्रकाश डालने की कृपा करेगी ?

श्री चतुर्भुज शर्मा---यह कहा गया है कि एक अधिकारी द्वारा उसके रिश्तेदारों को कुछ जमीन दी गयी थी, उसकी बाबत जांच हो रही है। यहां सवाल भी हो चुके हैं।

श्री महीलाल (जिला मुरादाबाद)---क्या माननीय मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि सुपरिंटेंडेंट खाम को इस तरह के भी आदेश सरकार ने भेजे हैं कि बाढ़पीड़ितों का भी भूमि देते समय ध्यान रखें ?

श्री चतुर्भुज शर्मा---अभी ऐसा मौका तो नहीं आया, लेकिन लैंडलेस (बे जमीन) लोगों को जमीन देने की व्यवस्था है। शायद उसमें वह लोग आ जायं।

श्री तेजप्रताप सिंह (जिला हमीरपुर)---क्या माननीय मंत्री जी इस सुझाव पर विचार करेंगे कि नैनीताल तराई इस्टेट फार्म के सुपरिटेंडेंट से जमीन देने के अधिकार को छीन कर किसी एक कमेटी को यह अधिकार दिया जाय ?

श्री चतुर्भुज शर्मा ---इसकी तो अभी जरूरत नहीं महसूस होती।

श्री वीरेन्द्र वर्मा---क्या माननीय मंत्री जी कृपा करके बतायेंगे कि इस प्रकार की कितनी जमीन अभी अवशेष है जो वितरण की जा सकती है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा---यह सवाल नहीं था लेकिन अब जमीन शायद थोड़ी रह गयी है।

श्री रामदास आर्य (जिला मुजफ्फर नगर)---क्या माननीय मंत्री जी भविष्य में लैंडलेस लेबरर्स को इस भूमि में से नियमानुसार भूमि देने का विचार रखेंगे ?

श्री चतुर्भुज शर्मा---उनको भी दी जायगी, यह मैंने कहा है और उनका भी खयाल किया जायगा।

द्वितीय पंचवर्षीय योजना में विदेशी शासकों की मूर्तियां हटाने का विचार

**२---श्री रामनरेश शुक्ल (जिला प्रतापगढ़)---क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि वह राज्य के भिन्न-भिन्न स्थानों पर स्थित विदेशी शासकों की मूर्तियों को हटाने को सोच रही है ?

शिक्षा मंत्री (श्री हरगोविन्द सिंह)---जी नहीं।

**३---श्री रामनरेश शुक्ल---यदि हां, तो कब तक ?

श्री हरगोविन्द सिंह---प्रश्न नहीं उठता।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)---क्या माननीय मंत्री जी उन परिस्थितियों पर प्रकाश डालने की कृपा करेंगे जिनके कारण उनको इस महत्वपूर्ण प्रश्न का 'जी नहीं' उत्तर देना पड़ा ?

श्री हरगोविन्द सिंह---एक तो यह कि इससे गवर्नमेंट आफ इंडिया का कंसर्न है और दूसरी बात यह है कि इस नीति से भी सरकार सहमत नहीं है।

श्री नारायणदत्त तिवारी---क्या यह सही है कि कुछ समय पूर्व माननीय मुख्य मंत्री ने ऐसे उद्गार प्रकट किये थे जो इस प्रश्न के उत्तर में "हां" सूचक थे ?

मुख्य मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)---इसमें उद्गार का सवाल नहीं है। गवर्नमेंट आफ इंडिया ने इस बात को सोचा है और जितनी प्रदेशीय सरकारें हैं उनसे भी बातचीत हुई है। उनका ख्याल यह है कि एकायक इन मूर्तियों को हटाया जाय, उठाया जाय, तो कहां रखा जाय यह एक बहुत बड़ा प्रश्न है। ऐसा ख्याल है कि पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत अगले पांच सालों में जो म्यूजियम बनाये जायं उन म्यूजियम में एक सेक्शन रखा जाय जिनमें इन मूर्तियों को एक तरफ रखा जाय जिनका कुछ ऐतिहासिक महत्व हो सके और इस दृष्टि से जो उनको देखना चाहें, वह देख सकें।

श्री नारायणदत्त तिवारी---क्या माननीय मुख्य मंत्री की घोषणा को देखते हुये अब शिक्षा मंत्री महोदय इस प्रश्न का उत्तर "जी नहीं" को "जी हां" में परिवर्तित करने की कृपा करेंगे ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---जी नहीं, इस समय जो उत्तर शिक्षा मंत्री जी ने दिया है वह इस समय की परिस्थिति को देखते हुये दिया है और वह ठीक है। ५ वर्ष इस काम में लगेंगे तब कहीं जाकर यह म्यूजियम तैयार होंगे।

चुर्क सीमेन्ट फैक्टरी में दुर्घटना से मजदूर की मृत्यु

**४---श्री रामेश्वर लाल (जिला देवरिया)---क्या उद्योग मंत्री को इस बात की सूचना प्राप्त हुई है कि गत ४ या ५ मार्च को चुर्क सिमेंट फैक्ट्री में एक मजदूर की मृत्यु कारखाने में काम करते हुये हो गई है ?

नियोजन मंत्री के सभासचिव (श्री बलदेवसिंह आर्य)---जी हां।

श्री रामेश्वरलाल---क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि उक्त मजदूर की मृत्यु किस स्थान पर और किस मशीन में काम करते हुये हुई ?

श्री बलदेवसिंह आर्य---यह दुखद दुर्घटना फैक्टरी के कोल यार्ड में हुई जब कि वहां पर तीन कोयले की खाली वैगन रेलवे लाइन पर खड़ी थीं। यह तीनों लाइन की दूसरी पटरी पर थी। इनकी शंटिंग हो रही थी। जिस दिशा में वह ढकेली जा रही थी उस तरफ पहली वैगन पर ५ मजदूर लगे हुये थे और वह उसको धकेल रहे थे। दूसरी वैगन अपने स्थान पर खड़ी थी और तीसरी वैगन को भी मजदूर धकेल रहे थे उन्होंने उसको भी धकेला और वह वैगन मोशन में आयी और वह वैगन जो बीच में थी टकराई और वह वैगन आगे चलकर उधर की वैगन में लगी। तो जो मजदूर वहां पर खड़ा था सावधान न रहने के कारण उसको चोट आयी और उसके बाद उसकी मृत्यु हो गयी।

श्री रामेश्वरलाल—क्या उक्त मजदूर के परिवार के भरण-पोषण के लिये कुछ आर्थिक सहायता देने के प्रश्न पर सरकार विचार करेगी ?

नियोजन मंत्री (श्री चन्द्रभानु गुप्त)—जी हां, अवश्य मजदूरों के लिये जब कोई ऐसी दुर्घटना हो जाती है तो उनको कम्पेन्सेशन इत्यादि दिया जाता है । वह सारा कम्पेन्सेशन उन कायदों के मुताबिक, जो लेबर लाज के अन्तर्गत हैं, उनको मिलता है ।

श्री नारायणदत्त तिवारी—तो क्या दुर्घटना की कोई जांच सरकार के द्वारा हुई थी और इस मजदूर की दुर्घटना की भी जांच की थी और उन्होंने कोई रिपोर्ट दी है या नहीं ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—यह तो जांच डाइरेक्टर और सेक्योरिटी अफसर वहां रहते हैं उन्होंने की और डाइरेक्टर महोदय ने अपनी रिपोर्ट गवर्नमेंट को भेजी ।

श्री रामेश्वरलाल—क्या माननीय मंत्री जी का ध्यान बनारस के समाचार-पत्रों में प्रकाशित समाचार की तरफ गया है जिसमें यह कहा गया है कि उक्त मजदूर ने कोई प्रार्थना की थी कि जहां पर वह काम में लगा हुआ है वहां से उसको हटा दिया जाय, क्योंकि वह उससे अनभिज्ञ है और अधिकारियों ने दूसरे स्थान पर जहां वह नहीं चाहता था काम में लगाकर उसको मृत्यु के घाट उतार दिया ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—हमारे पास ऐसी रिपोर्ट नहीं आयी है ।

तारांकित प्रश्न

*१-३—श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)—[२२ मार्च, १९५६ के लिये स्थागित किये गये ।]

डिस्पिलिनरी प्रोसीडिंग इन्क्वायरी कमेटी की "स्टाफ्स कौंसिल्स" स्थापित करने की सिफारिश

*४—श्री सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी (जिला हमीरपुर)—क्या यह सत्य है कि डिस्पिलिनरी प्रोसीडिंग इन्क्वायरी कमेटी ने अपनी रिपोर्ट के भाग दो, पैराग्राफ २५ में "स्टाफ्स कौंसिल्स" स्थपित करने के लिये कुछ सिफारिशें की थीं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—जी हां ।

*५—श्री सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी—क्या यह सत्य है कि सरकार ने यह स्वीकार कर लिया कि यह सिद्धान्त विकास के क्षेत्र में फिलहाल लागू कर दिया जाय ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—जी हां ।

*६—श्री सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी—यदि हां, तो सरकार इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही कर रही है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—विकास कार्य के क्षेत्र में यह सिद्धान्त लागू कर दिया गया है और इसका सफल प्रयोग हो रहा है ।

श्री सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी—क्या माननीय मुख्य मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि इन कौंसिल्स की क्या रूपरेखा है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—अभी उनको कोई कानूनी रूपरेखा नहीं दी गयी है। डेवलपमेंट कमिश्नर्स हैड क्वार्टर्स पर इंटर डिपार्टमेंट कोआर्डीनेशन के लिये विभागों में प्रयत्न करते हैं तथा जोनल अधिकारी भी डी० पी० ओ० और बी० डी० ओ० से बातचीत करते रहते हैं। कभी-कभी नीचे स्तर पर विलेज लेविल के वर्कर्स को भी बुला लिया जाता है और उनसे बातचीत की जाती है कि उनको काम में क्या कठिनाई होती है। इन सब बातों को देखते हुए काम चलाया जा रहा है। अगर यह प्रयोग सफल हुआ तो देखा जायगा कि उसकी ठीक-ठीक रूपरेखा क्या रखी जाय।

श्री सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी—क्या मंत्री जी यह बतायेंगे कि इन स्टाफ कौंसिल्स ने अब तक कौन-कौन से काम किये हैं और उनसे विभाग को क्या लाभ हुआ है?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—उनका यह काम होता है कि आपस में इतना मेल हो कि विभागों का काम सुचारुरूप से चल सके। इस प्रकार काम चला सकने के लिये विचार किया जाता रहा है और इस विचार के परिणामस्वरूप काम ज्यादा एफीशियेन्सी के साथ हुआ है।

ग्राम सिकन्दरपुर, जिला आजमगढ़ में कम्युनिस्टों की सभा पर आक्रमण

*७—**श्री झारखंडेराय** (जिला आजमगढ़)—क्या सरकार को सूचना मिली है कि गत २३ अक्तूबर, को सिकन्दरपुर ग्राम, थाना जीधनपुर, जिला आजमगढ़ में कम्युनिस्ट पार्टी की एक आम सभा पर दिन दहाड़े लगभग २०० हथियारबन्द भूतपूर्व जमींदारों ने घातक हमला करके ५ कम्युनिस्ट नेताओं को बुरी तरह घायल किया था?

पुलिस उपमंत्री (श्री जगनप्रसाद रावत)—जी हां। इस आशय की रिपोर्ट थाने पर की गई थी।

*८—**श्री झारखंडेराय**—यदि हां, तो सरकार बतायेगी कि इस विषय में उसकी ओर से क्या कार्यवाही की जा रही है?

श्री जगनप्रसाद रावत—अभियोग की जांच की गई और मामला न्यायालय को सुपुर्द कर दिया गया, जहां वह विचाराधीन है।

श्री झारखंडेराय—क्या माननीय मुख्य मंत्री जी यह बतायेंगे कि इस अभियोग की जांच किस अधिकारी के जरिये से करायी गयी थी और उसकी क्या रिपोर्ट है?

श्री जगनप्रसाद रावत—जांच पुलिस आफीसर के द्वारा की गयी थी और रिपोर्ट उसकी अदालत में है।

श्री झारखंडे राय—क्या माननीय मुख्य मंत्री जी यह बतायेंगे कि इस केस में कुल कितने आदमी गिरफ्तार किये गये हैं?

श्री जगन प्रसाद रावत—इसमें अभी तक ३९-४० आदमी गिरफ्तार हुए हैं।

फांसी देने के ढंग में परिवर्तन की मांग

*९—**श्री गणेशचन्द्र काछी** (जिला मैनपुरी)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सन् १९५२ से सन् १९५५ ई० तक उत्तर प्रदेश भर में कितने लोगों को फांसियां दी गई हैं और किस-किस अपराध के कारण?

श्री जगनप्रसाद रावत—सन् १९५२ से १९५५ तक कुल १३६ अपराधियों को भारतीय दंड विधान की धारायें ३०२ व ३९६ के अन्तर्गत फांसी दी गई।

*१०—**श्री गणेशचन्द्र काछी**—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि वह फांसी दिये जाने के तरीके में कोई सुधार करने का विचार कर रही है?

श्री जगनप्रसाद रावत—जी नहीं ।

श्री गणेशचन्द्र काछी—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि धारा ३०२ में कितने लोगों को फांसी दी गयी और धारा ३९६ में कितने लोगों को ?

श्री जगनप्रसाद रावत—अध्यक्ष महोदय, मेरे पास इसकी सूचना तो है लेकिन उस सबको जोड़ कर बताना होगा ।

श्री अध्यक्ष—(श्री गणेशचन्द्र से) आप दूसरा प्रश्न पूछें ?

श्री गणेशचन्द्र काछी—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि क्या सरकार ऐसा कोई तरीका निकाल रही है कि फांसी पाने वाले को कम से कम तकलीफ हो सके ?

श्री जगनप्रसाद रावत—अब तक जितने तरीके संभव हो सके हैं उनमें यह तरीका ठीक मालूम हुआ ।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या माननीय मंत्री जी स्पष्ट करेंगे कि आजकल जो तरीका फांसी का बरता जाता है वह कौन-सा तरीका है ? और क्या वह तरीका सबसे आधुनिक तरीका है ?

श्री अध्यक्ष—पहले भाग का जबाव आप दे दें, दूसरे भाग का तो जवाब हो चुका कि सब से आधुनिक तरीका यही है ।

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—अध्यक्ष महोदय, फांसी देने का जो पूरा तरीका है वह तो जेल मैनुअल की ३९६, ३९७, ३९८, ३९९, ४००, ४०१, ४०५ और ४०७ धाराओं में दिया हुआ है, लेकिन जिन जेल मैनुअल की धाराओं को मैंने पढ़ा उनमें हमारे यहां एलेक्ट्रोक्यूशन का जो आजकल का तरीका कहीं है उसका इंतजाम नहीं है और जहां तक मैं जानता हूं, यह इलेक्ट्रोक्यूशन महज अमरीका में होता है और जो दूसरे उन्नत देश हैं जहां फांसी की सजा दी जाती है उनमें कहीं वह नहीं होता । इस सम्बन्ध में लोगों में भी मतभेद है कि एलेक्ट्रोक्यूशन का जो फांसी का तरीका है वह कहां तक पेनलेस है या नहीं और अभी दूसरे देशों ने उस तरीके को नहीं अपनाया है ।

श्री मुहम्मद शाहिद फाखरी (जिला गोंडा)—क्या बिजली के जरिए से फांसी देने के तरीके पर सरकार गौर कर रही है ?

श्री अध्यक्ष—इसका जवाब दिया जा चुका ।

श्री श्रीचन्द्र (जिला मुजफ्फरनगर)—क्या सरकार इस फांसी की प्रथा को बन्द करने के लिए विचार करने की कृपा करेगी ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—सब देशों में और हमारे देश में भी एक अच्छी खासी संख्या ऐसे लोगों की है कि जिनका खयाल है कि फांसी की सजा उठ जानी चाहिए, लेकिन यह एक आल इंडिया प्रश्न है और इसका निर्णय अच्छा यही होगा कि केन्द्रीय पार्लियामेंट या केन्द्रीय सरकार करे ।

श्री नारायणदत्त तिवारी—यह सही होते हुए भी कि इसका निर्णय केन्द्रीय सरकार ही कर सकती है इस प्रादेशिक सरकार की राय फांसी की सजा न दिए जाने के सम्बन्ध में क्या है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—प्रादेशिक सरकार ने इस प्रश्न पर अभी विचार नहीं किया है, लेकिन मैं इतना कई बार कह चुका हूं कि मेरी निजी राय यह कि फांसी की सजा उठ जानी चाहिए ।

तहसील बाह, जिला आगरा में अपराधों में बढ़ती

*११—श्री शम्भूनाथ चतुर्वेदी (जिला आगरा)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि तहसील बाह, जिला आगरा में जनवरी सन् १९५५ से लेकर अब तक प्रतिमाह कितनी डकैती व कत्ल हुये और उनमें कितने आदमी मारे गये और कितना माल लूटा गया ?

श्री जगनप्रसाद रावत—डकैती व कत्ल की माहवार संख्या साथ में नत्थी नक्शे में देखी जा सकती है। इन सब मामलों में १५ आदमी मारे गये और ५८,३४० रु० का माल लूटा गया।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ३२३ पर)

*१२—श्री शम्भूनाथ चतुर्वेदी—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि संयुक्त कमान्ड के टूटने के बाद इन आपरेशन के चार्ज में कोई अन्य नियुक्ति की गई है अथवा उसका चार्ज यथावत् रहेगा ?

श्री जगनप्रसाद रावत—कोई अन्य नियुक्ति नहीं की गई है।

श्री शम्भूनाथ चतुर्वेदी—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जहां एक तरफ यहां कई गिरोहों का खात्मा किया गया लेकिन फिर भी जरायम में इतनी बढ़ोत्तरी क्यों हुई ?

श्री जगनप्रसाद रावत—गिरोह खत्म होने के बाद जो गिरोह के लोग बचे हैं वह डेस्परेट हो रहे हैं, लेकिन अब उनका खात्मा भी नजदीक है।

श्री पुत्तूलाल (जिला आगरा)—क्या माननीय मंत्री जी को ज्ञात है कि जनवरी और फरवरी, सन् ५६ में डकैतियां शत प्रतिशत हरिजनों के यहां ही पड़ी हैं ?

श्री जगनप्रसाद रावत—शत प्रतिशत तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन हरिजनों के यहां भी पड़ी हैं।

श्री शम्भूनाथ चतुर्वेदी—क्या सरकार को जानकारी है कि जितनी डकैतियां और कत्ल हो रहे हैं वह पुराने गिरोहों द्वारा हो रहे हैं या वहां स्थानीय बदमाश भी सिर उठा रहे हैं ?

श्री जगनप्रसाद रावत—कुछ तो पुराने गिरोहों की वजह से हुई हैं और कुछ स्थानीय बदमाशों द्वारा भी हुई हैं।

श्री जोरावर वर्मा (जिला हमीरपुर)—क्या यह सत्य है कि पुलिस को स्थानीय मदद न मिलने के कारण यह डकैतियां और कत्ल बढ़ रहे हैं ?

श्री जगनप्रसाद रावत—यह भी एक कारण है।

श्री झारखंडेराय—क्या माननीय मुख्य मंत्री जी बतालायेंगे कि बाह तहसील, जिला आगरा में आमतौर से जरायम बढ़ते जा रहे हैं ?

श्री जगनप्रसाद रावत—कुछ तो इन जरायमों का ऐतिहासिक कारण है। मुद्दत से एक गिरोह वहां काम करता आ रहा है और कुछ भौगोलिक स्थिति भी है और कुछ आर्थिक स्थिति भी है।

श्री गुप्तार सिंह (जिला रायबरेली)—क्या यह सच है कि जिन गांवों में बन्दूकों के लाइसेन्सेज नहीं हैं उनमें खास तौर से डकैतियां पड़ती हैं ?

श्री जगनप्रसाद रावत—ऐसी बात नहीं है।

जालौन जिले में बोहदपुरा व रामपुरा के जंगलों को कृषि फार्म में बदलने की प्रार्थना

*१३—श्री बसन्तलाल (जिला जालौन)—क्या सरकार को मालूम है कि जिला जालौन में परगना उरई व जालौन में ग्राम बोहदपुरा व रामपुरा में सरकारी जंगलात फार्म कृषि योग्य हैं ? अगर हां, तो उनका अगल-अलग क्षेत्रफल क्या है ?

वन उपमंत्री (श्री जगमोहनसिंह नेगी)—जी नहीं । प्रश्न का दूसरा भाग नहीं उठता ।

श्री बसन्तलाल—क्या माननीय मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि स्थानीय जनता की तरफ से सरकार के पास इस आशय का प्रार्थना-पत्र आया है कि बोहदपुरा और रामपुरा के जंगलात के आसपास जो चौरस भूमि है वह कृषि योग्य है, उसे सरकारी ट्रैक्टरों के द्वारा तोड़ कर भूमिहीनों को वितरित कर दिया जाय ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—हमारे पास ऐसा कोई प्रार्थना-पत्र आया नहीं । मगर वहां एक तो अच्छे-अच्छे पेड़ हैं और खेती के योग्य जो भूमि है वह नदी के किनारे है जिससे जमीन के कटाव का भय है । इस वजह से ऐसा नहीं किया जा सकता ।

श्री बसन्तलाल—क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि इन दोनों फार्म्स का अलग-अलग क्षेत्रफल क्या है और उनके रख रखाव के लिये प्रति वर्ष सरकार कितना व्यय करती है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—इसमें तो फार्म्स का कोई जिक्र नहीं है । जंगलात से सम्बन्धित बातें हैं ।

आजमगढ़ जिले में रामपुर चौकी को इमारत की आवश्यकता

*१४—श्री व्रजविहारी मिश्र (जिला आजमगढ़)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि चौकी रामपुर, तहसील घोसी, जिला आजमगढ़ के पास अपना भवन नहीं है ?

श्री जगनप्रसाद रावत—जी हां, इस चौकी के पास कोई सरकारी भवन नहीं है ।

श्री व्रजविहारी मिश्र—क्या सरकार को ज्ञात है कि जिस स्थान पर यह चौकी है वहां तीन जिलों, आजमगढ़, देवरिया और बलिया की सरहदें मिलती हैं ?

श्री जगनप्रसाद रावत—हां, ऐसा होगा ।

श्री व्रजविहारी मिश्र—क्या इस स्थान के महत्व को देखते हुए इस इलाके के लिये सरकारी भवन के निर्माण के प्रश्न पर सरकार विचार करने को प्रस्तुत है ?

श्री जगनप्रसाद रावत—जब आर्थिक स्थिति अनुकूल होगी तो जरूर सरकारी मकान बनायेंगे ।

इगलास तथा हाथरस तहसीलों में शासकीय परिवर्तन का विचार

*१५—श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ (जिला अलीगढ़)—क्या माल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि तहसील इगलास के हाकिम परगने का कितना-कितना क्षेत्र किस-किस तहसील में मिलाये जाने की योजना है और वह कब तक कार्यान्वित हो जायेगी ?

*१६—क्या यह सच है कि हाथरस तहसील में पूरे समय के एक ए० डी० एम० स्थायी रूप से रहेंगे ? यदि हां, तो वह कब से रहने लगेंगे ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--जैसा कि मैंने सामान्य प्रशासन का अनुदान उपस्थित करते हुए बतलाया था, अभी अन्तिम निर्णय नहीं हुआ है। इस बात का पूरा लिहाज रखा जायगा कि जनता को कोई कष्ट न हो।

श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ--क्या माननीय मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि हाथरस के एस० डी० एम० की अदालत के लिये अभी कोई स्थान नहीं है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--इस वक्त मैं नहीं बतला सकता इसके बारे में।

गोरखपुर में बनने वाले पावर हाउस का बिजली देने का क्षेत्र

*१७--श्री धनुषधारी पांडेय (जिला बस्ती)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जो पावर हाउस गोरखपुर में बनाया जा रहा है वह कब तक बन जायेगा और उससे कब तक बस्ती, गोरखपुर तथा देवरिया के देहाती क्षेत्रों में पावर उपलब्ध हो सकेगा ?

वित्त मंत्री के सभा सचिव (श्री धर्मसिंह)--पावर हाउस के तैयार हो जाने की उम्मेद इस साल के आखिर तक है। उसके बाद ही इन क्षेत्रों में पावर उपलब्ध हो सकेगी ?

*१८--श्री धनुषधारी पांडेय--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उचित मात्रा में तथा उचित समय से पावर न मिलने के कारण अधिकांश ट्यूबवेल तथा बखिरा और मुखालिसपुर की पम्पिंग कैनाल नहीं चल रही है ?

श्री धर्मसिंह--जी नहीं। यह ठीक नहीं है।

श्री धनुषधारी पांडेय--क्या मनानीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर में पावर हाउस बन जाने के बाद उन गांव वालों को पावर बिजली दी जायगी जो लाइन के नजदीक बसे हुए हैं ?

श्री धर्मसिंह--यह तो जब बन जायगा उसके बाद उस पर विचार किया जायगा।

श्री धनुषधारी पांडेय--क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि बाखिरा पम्पिंग कैनाल तक उनके खम्भे और बिजली के तार बन गये हैं?

श्री धर्मसिंह--इसके लिए तो नोटिस की आवश्यकता है।

*१९--श्री द्वारका प्रसाद मौर्य (जिला जौनपुर)--[२२ मार्च, १९५६ के लिये स्थगित किया गया।]

राजनीतिक पीड़ितों की सूची तैयार करने की मांग

*२०--श्री रामदुलारे मिश्र--क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि इस सदन द्वारा सर्वसम्मति से पारित २६ अगस्त, सन् १९५५ के प्रस्ताव के अनुसार प्रदेश की विभिन्न जिलों के राजनैतिक पीड़ितों की सूची तैयार करने में अभी तक कोई कार्यवाही की गई है ? अगर हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

*२१--क्या सरकार राजनैतिक पीड़ितों के सम्बन्ध में २६ अगस्त, १९५५ को सदन द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव को कार्यरूप में परिणत कर तथा उसे सुचारु रूप से चलाने और इस कार्य में सहयोग देने के लिये प्रदेश के विभिन्न जिलों में गैरसरकारी कमेटी बनाने पर विचार करेगी ?

श्री जगनप्रसाद रावत--यह प्रश्न अभी विचाराधीन है।

श्री रामदुलारे मिश्र---क्या माननीय मुख्य मंत्री जी कृपा कर बतलायेंगे कि सदन द्वारा प्रस्तावित प्रस्ताव विचाराधीन है अथवा योजना ?

श्री जगनप्रसाद रावत---दोनों बातें विचाराधीन हैं।

श्री रामदुलारे मिश्र---क्या माननीय मुख्य मंत्री जी कृपा कर बतलायेंगे कि प्रस्ताव की आवश्यकता को अनुभव करते हुए सरकार इस पर कार्यवाही करने की व्यवस्था करेगी ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---अध्यक्ष महोदय, जहां तक प्रस्ताव की बात है वह तो सदन ने स्वीकार कर ही लिया है। लेकिन उसको कार्यान्वित करना बहुत सहल चीज नहीं है। जो लोग राजनीतिक पीड़ित हैं वे इस समय कई पार्टियों में हैं। बहुत सी जगहों में राजनीतिक पीड़ितों की पूरी सूची किसी एक दफ्तर में नहीं है। सरकारी दफ्तरों और जेलखानों में भी पूरी सूचियां नहीं हैं। इसलिए काफी गौर करने की बात होगी कि यदि सारे प्रदेश के सभी राजनीतिक पीड़ितों की सूची बनायी जाय तो किस तरह से बनायी जाय ताकि कहीं पक्षपात न हो जाय, या किसी आदमी का नाम न छूट जाय। ऐसे लोगों के नाम भी आ जायं जो जेल वगैरह नहीं गये। बल्कि फरार थे या जिनको किसी संघर्ष के जमाने में कमेटियों ने कहा कि आप पीछे रह कर काम कीजिये। उनके सब के नाम आ जायं। जब तक यह पूरी तरह से निश्चय न हो जाय तब तक काम एक दम शुरू नहीं किया जा सकता। फिर भी आशा की जाती है कि यह सामग्री जमा हो जायगी और राजनीतिक पीड़ितों को पेंशन देने का काम जो चल रहा है उससे भी सहायता मिलेगी। जब उपयुक्त परिस्थिति हो तभी इस सूची बनाने के काम को हाथ में लिया जा सकता है।

श्री झारखन्डे राय---क्या माननीय मंत्री जी इस बात पर विचार करेंगे कि राजनीतिक पीड़ित शब्द में से पीड़ित शब्द निकाल कर "फाइटर्स फार पोलिटिकल फ्रीडम" कर दिया जाय।

श्री अध्यक्ष---हिन्दी का शब्द निकाल कर अंग्रेजी कर दिया जाय ?

श्री झारखंडे राय---मेरा आशय यह है कि राजनीतिक पीड़ित शब्द में से सफरर निकाल दिया जाय और "आजादी की लड़ाई के सैनिक" नाम दे दिया जाय।

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---राजनीतिक पीड़ित मुझको भी अच्छा नहीं लगता। सुझाव बहुत अच्छा है, इस पर गौर करना चाहिए। अगर सब इस बात को मान लें तो सुझाव अच्छा है।

श्री वीरेन्द्र वर्मा---क्या माननीय मुख्य मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि जिन जिलों में राजनीतिक पीड़ितों की ऐसी सूचियां तैयार हैं वहां इस प्रस्ताव को कार्यरूप देने में सरकार को क्या कठिनाई अनुभव हो रही है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---मैंने एक-एक जिले को अलग-अलग लिया भी नहीं और न हर जिले से पूछा ही है। पहले जनरल सिद्धान्त जो है, उसका जब जनरल रूप बन जायगा, तभी जिलों से पूछने की स्टेज आ सकती है।

श्री जोरावर वर्मा---क्या माननीय मंत्री जी इस बात पर विचार करेंगे कि राजनीतिक पीड़ितों की सहायता के लिए एक स्टैन्डिंग कमेटी सदन की बना दी जाय ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---अध्यक्ष महोदय, मैं समझता था कि पीड़ितों की सूची की बात है। सहायता का प्रश्न सूची से निकलता है या नहीं, इसका आप ही निर्णय कर सकते हैं।

श्री अध्यक्ष---यह तो स्वतन्त्र प्रश्न पूछा है। इसमें मालूमात की जरूरत नहीं है।

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---वह भी बड़ा गम्भीर प्रश्न है। वह भी सोचने की बात होगी।

१८५७ की क्रान्ति के नेता स्वर्गीय तांत्या टोपे के भतीजे श्री नारायणराव टोपे को पेन्शन

*२२---श्री लक्ष्मणराव कदम (जिला झांसी)---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि सन् १८५७ की सशस्त्र क्रांति के नेता स्वर्गीय तांत्या टोपे के कोई वंशज हैं। यदि हां, तो वह टोपे जी के कौन हैं और कहां रहते हैं तथा उनकी आर्थिक स्थिति क्या है?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---जी हां। स्वर्गीय तांत्या टोपे के एक भतीजे श्री नारायणराव टोपे हैं जो बिठूर में रहते हैं। उनकी आर्थिक स्थिति साधारण है।

*२३---श्री लक्ष्मणराव कदम---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि वह उनको कोई पेन्शन देती है? यदि हां, तो कब से और कितनी?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---जी हां, उनको अक्टूबर १९५५ से ५० रु० मासिक पेंशन दी गई है।

श्री लक्ष्मणराव कदम---क्या मुख्य मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि श्री टोपे जी की क्या आयु है और उनके कुटुम्ब में कितनी स्त्री, कितने पुरुष और लड़के लड़कियां हैं?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---जहां तक मैं जानता हूं अध्यक्ष महोदय, आयु कहते हैं उस उम्र को जो मरते वक्त होती है। तो श्री नारायणराव जी कितने दिन जीवित रहेंगे, इसका मुझे पता नहीं। और उनके कुटुम्ब में कितने सदस्य हैं, इसकी मेरे पास सूची नहीं?

श्री रामदुलारे मिश्र---क्या मुख्य मंत्री जी सम्बन्धित टोपे साहब की आर्थिक अवस्था को ध्यान में रखते हुए उनकी पेंशन को ५० रुपये के बजाय १०० रु० करने पर विचार करेंगे?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---पिछले अक्टूबर के महीने में ही विचार करके उनको पेंशन दी गई है। पर अगर जरूरत होगी तो फिर देखा जायगा। अभी बहुत से और लोगों के सम्बन्ध में शायद विचार करने की आवश्यकता हो सकती है।

पीलीभीत जिले के पूरनपुर फारेस्ट डिवीजन में साल वृक्षों का नीलाम

*२४---श्री नारायणदत्त तिवारी---क्या यह सही है कि पीलीभीत जिले के पूरनपुर फारेस्ट डिवीजन में जंगलात अधिकारियों द्वारा १,८०० साल के पेड़ ३५ रु० में बेंचे गये। अगर हां, तो क्यों?

श्री जगमोहनसिंह नेगी---जी हां। ये पतली shoots थी और इनकी लकड़ी की कोई कीमत नहीं थी।

श्री नारायणदत्त तिवारी---क्या मंत्री जी बतायेंगे कि पेड़ों की औसत ऊंचाई और मोटाई क्या थी जिसकी वजह से कोई कीमत नहीं आ सकी?

श्री जगमोहनसिंह नेगी---इनमें से १,२१६ की तो कुल मोटाई ८ इंच और ४ इंच के बीच थी। तो अधिकांश पेड़ों की जो मोटाई थी वह मैंने बतला दी है।

श्री नारायणदत्त तिवारी---क्या मंत्री जी बतायेंगे कि इस बात की क्या आवश्यकता पड़ी कि जब कि साल के पेड़ों की कमी हो रही है तो इस तरह साल के पेड़ बिना किसी वर्किंग प्लान के वीड आउट किये जायं?

श्री जगमोहनसिंह नेगी---यह तो गलत ख्याल है कि बगैर वर्किंग प्लान के काटे। और जहां पेड़ अधिक घने हो जाते हैं वहां थिनिंग करने की जरूरत होती है जिससे और पेड़ काफी तन्दुरुस्त हो जायं?

श्री नारायणदत्त तिवारी---क्या मंत्री जी बतायेंगे कि जिस समय यह पेड़ बेचे गये इनके हेतु कोई टेन्डर हुआ या ऐसे ही बेंच दिये गये?

श्री जगमोहनसिंह नेगी---इसका पहले नीलाम हुआ, ६५० रु० में बेंचे गये और उसने कुल २०० पेड़ काटे और उसके बाद वह भाग गया। फिर दुबारा नीलाम हुआ, उसमें कोई बोली नहीं बोली गई। तीसरी मर्तबा नीलाम में ३०० ठेकेदार थे और एक आदमी ने ३५ रु० बोली बोली और किसी ने नहीं बोली, इसलिये उसको दे दिये गये।

श्री श्रीचन्द्र---क्या मंत्री जी बतायेंगे कि जंगलात के अधिकारियों ने कुल ३५ रु० ही कीमत आंकी थी?

श्री जगमोहनसिंह नेगी---यह तो नीलाम में बोली थी और जो हाइयेस्ट बोली थी, उसको दिये गये।

मैनपुरी-एटा सड़क पर जलकूप विभाग का ठेला उलटने से दुर्घटना

*२५---श्री गणेशचन्द्र काछी---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि ३० सितम्बर, १९५५ ई० को जिला एटा में थाना कोतवाली के अन्तर्गत मैनपुरी से एटा जाने वाली सड़क पर कोई सरकारी जलकूप विभाग का ठेला पलट गया था? यदि हां, तो उसके पलटने से कितने लोग जख्मी हो गये और कितने लोगों की मौतें हो गईं?

श्री जगनप्रसाद रावत---जी हां। १२ व्यक्तियों की मृत्यु हो गयी तथा २१ अन्य व्यक्ति जख्मी हुये।

श्री गणेशचन्द्र काछी---क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि जो १२ आदमी मर गये और २१ जख्मी हुये, यह पब्लिक के आदमी थे जो पैसा देकर ठेले में बैठे थे या सरकारी आदमी थे?

श्री जगनप्रसाद रावत---यह लोग एक स्नान करने के लिये जा रहे थे और ठेले वाले ने पैसा लेकर इनको बैठाया था।

श्री गणेशचन्द्र काछी---क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि सरकारी जलकूप विभाग के ठेले में पैसा लेकर सवारी बैठायी जा सकती है या नहीं?

श्री जगनप्रसाद रावत---ड्राइवर को पैसा लेकर या बिना पैसा लेकर के सवारी बैठाने का अधिकार नहीं था। यह उसने अधिकार के विरुद्ध कार्य किया।

श्री गणेशचन्द्र काछी---क्या सरकार बतायेगी कि वह ड्राइवर अब भी उस ठेले पर काम कर रहा है या हटा दिया गया?

श्री जगनप्रसाद रावत---वह तो जेल में है।

*२६-२८---श्री पद्मनाथ सिंह (जिला आजमगढ़)---[वापस लिये गये।]

किछौछा शरीफ, जिला फैजाबाद में श्रमदान के समय छात्रों से झगड़ा

*२९---श्री रामसुमेर (जिला फैजाबाद)---क्या सरकार को यह सूचना मिली है कि किछौछा शरीफ, तहसील टांडा (फैजाबाद) में २३ जनवरी, १९५६ ई० को श्रमदान करते हुए कुछ छात्रों पर कुछ लोगों ने फरसे तथा गंडासों से आक्रमण किया था ?

श्री जगनप्रसाद रावत--- जी हां।

*३०---श्री रामसुमेर---यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही सरकार कर रही है ?

श्री जगनप्रसाद रावत---मामले की रिपोर्ट आई० पी० सी० की धारा १४९/३२४ के अन्तर्गत दर्ज की गई है और उसकी जांच की जा रही है।

श्री रामसुमेर---क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि इस प्रकार के हमले का कारण क्या था ?

श्री जगनप्रसाद रावत---एक जमीन के टुकड़े की बाबत एक सज्जन में और वहां के कुछ मुसलमानों में झगड़ा था।

श्री रामसुमेर---क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इस सम्बन्ध में जो सियासत पेपर में स्टेटमेंट निकला था जिसमें माननीय मुख्य मंत्री का भी नाम था, उसके बारे में कुछ जांच हुई ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द----जी हां, एक अखबार में जिस अखबार का जिक्र माननीय सदस्य कर रहे हैं उसमें निकला था कि वहां के कोई सज्जन मुझसे मिले और मैंने कोई एश्योरेंस दिया। लेकिन उसके बाद इन्फार्मेशन डिपार्टमेंट की तरफ से उसका खंडन हो गया था कि न तो कोई सज्जन मुझसे मिले थे और न मैंने कोई एश्योरेंस दिया था।

श्री जोरावर वर्मा---क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि यह छात्र जो श्रमदान कर रहे थे यह कोई सरकारी योजना पर कार्य कर रहे थे या कोई स्कूल की योजना या गांव की योजना थी ?

श्री जगनप्रसाद रावत---यह उनके स्कूल की योजना थी।

श्री मुहम्मद नसीर (जिला फैजाबाद)--- क्या सरकार कृपया यह बतायेगी कि जिन आदमियों को चोट लगी है उनमें कितने विद्यार्थी हैं और कितने अध्यापक हैं और जनता के कितने आदमी हैं ?

श्री जगनप्रसाद रावत---उसमें दो अध्यापकों को चोट लगी थी और कुछ लड़कों को चोट लगी थी। जनता के और कोई आदमी उसमें शरीक नहीं थे।

श्री देवदत्त मिश्र (जिला उन्नाव)---क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि हमला करने वाले लोग कौन थे ?

श्री जगनप्रसाद रावत---दूसरा फरीक जो उस जमीन के टुकड़े को अपना बतलाता था।

श्री मुहम्मद नसीर---क्या यह सही है कि जिस स्कूल के विद्यार्थी और अध्यापक इस झगड़े में हैं वह स्कूल जिस बाग में लगाया गया है उसके सम्बन्ध में कोई दीवानी में मुकदमा दायर किया गया है बाग के मालिकों की तरफ से कि यह जबर्दस्ती स्कूल तैयार किया गया है ?

श्री जगनप्रसाद रावत—इस समय तो उस मुकदमे की सूचना मेरे पास नहीं है।

इलाहाबाद में जुए के मामले

*३१—श्री कल्याणचन्द मोहिले (जिला इलाहाबाद)—क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि इलाहाबाद नगर में साल भर में कितने जुए पकड़े गये?

श्री जगनप्रसाद रावत—सन् १९५५ में १३६ जुए पकड़े गये।

श्री कल्याणचन्द मोहिले—क्या माननीय मंत्री महोदय कृपा कर बतायेंगे कि जो जुए पकड़े गए उनमें से कितने जुवों की जमानत को कोतवाली में या थाने पर हुई और कितनों का चालान कचेहरी में किया गया?

श्री जगनप्रसाद रावत—यह तो बहुत तफसील का सवाल है। कुछ की वहीं जमानत होती है, कुछ की अदालतों में होती है, सब की अलग-अलग फेहरिस्त नहीं है।

श्री कल्याणचन्द मोहिले—क्या यह सही है कि जो जुए पुलिस की जानकारी में होते हैं उनकी जमानत थानों पर हो जाती है और जो पुलिस की जानकारी में नहीं होते, उनका चालान हो जाता है?

श्री जगनप्रसाद रावत—यह तो शायद आपकी जानकारी में ज्यादा होता होगा, पुलिस की जानकारी में तो होता नहीं।

श्री वीरेन्द्र वर्मा—क्या माननीय मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि जो १३५ जुए पकड़े गये उन सबका चालान हुआ और यदि हुआ, तो कितनों को सजा हुई?

श्री जगनप्रसाद रावत—इन जुवों में करीब ७४० आदमी पकड़े गये थे और करीब ६६७ आदमियों को सजा हुई।

श्री रामेश्वर लाल—क्या यह सही है कि इलाहाबाद में बहुत से क्लबों में रात को बिजली की रोशनी में जुए होते हैं, जिन्हें सरकार जुवा नहीं समझती?

श्री अध्यक्ष—यह सवाल उठता नहीं। जिसको सरकार जुआ नहीं समझती उसके बारे में मालूमात कैसे दे सकती है?

श्री रामेश्वरलाल—क्या सरकार कृपा करके जुआ की परिभाषा बतायेगी?

(उत्तर नहीं दिया गया।)

श्री वीरेन्द्र वर्मा—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिन ६६७ आदमियों को सजायें हुई हैं उनमें से कितनों को कैद हुई है और कितनों पर जुर्माना?

श्री जगनप्रसाद रावत—हर मुकदमे की तफसील तो इस वक्त नहीं है।

एडिशनल कोआपरेटिव रजिस्ट्रार की नियुक्ति

*३२—श्री कल्याणचन्द मोहिले—क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि रजिस्ट्रार कोआपरेटिव सोसायटी के यहां एडिशनल कोआपरेटिव रजिस्ट्रार की नियुक्ति की गई है?

सहकारिता उपमंत्री (श्री मंगला प्रसाद)—जी हां। १ एडिशनल रजिस्ट्रार, कोआपरेटिव सोसाइटीज की नियुक्ति हाल में स्थानापन्न रूप में की गई है।

श्री कल्याणचन्द मोहिले—क्या माननीय मंत्री महोदय कृपा करके बतायेंगे कि वह जो एडीशनल रजिस्ट्रार की नियुक्ति हुई है वे एक ही स्थान पर काम करते हैं या बाहर का भी काम करते हैं?

श्री मंगलाप्रसाद—हेडक्वार्टर तो लखनऊ में है लेकिन उनका काम तमाम सूबे भर में है।

इलाहाबाद में पजावा रामलीला कमेटी का जुलूस

*३३—श्री कल्याणचन्द मोहिले—क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि इलाहाबाद में दशहरे के अवसर पर पजावा रामलीला कमेटी का जो रामनवमी के दिन जुलूस निकल रहा था, पुलिस के द्वारा रोक दिया गया था? यदि हां, तो क्यों?

श्री जगनप्रसाद रावत—जुलूस पुलिस के द्वारा नहीं रोका गया था। प्रश्न का दूसरा भाग नहीं उठता।

श्री कल्याणचन्द मोहिले—क्या यह सही है कि कोतवाली के पास जुलूस पुलिस द्वारा रोका गया था और वह एक घंटे तक रुका रहा?

श्री जगनप्रसाद रावत—मैंने कहा कि जुलूस पुलिस द्वारा नहीं रोका गया।

आजमगढ़ जिले के थाना पवई की इमारत बनाने की मांग

*३४—श्री विश्रामराय (जिला आजमगढ़)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि आजमगढ़ जिले के थाना पवई की कच्ची इमारत का अधिकांश भाग पिछली बाढ़ और वर्षा से नष्ट हो गया है? यदि हां, तो क्या सरकार इस थाने की इमारत को बनवाने का विचार कर रही है?

श्री जगनप्रसाद रावत—जी हां। नई इमारत बनाने का प्रश्न विचाराधीन है।

श्री उमाशंकर (जिला आजमगढ़)—क्या माननीय मंत्री जी कृपा करके बतायेंगे कि जो बजट प्रस्तुत है इसमें भी इस इमारत के लिये कुछ पैसा रखा गया है?

श्री जगनप्रसाद रावत—बहुत सी इमारतों के लिये बजट में पैसा रखा गया है। इस इमारत के लिये पैसा है या नहीं, यह तो सूचना मेरे पास इस समय नहीं है।

श्री उमाशंकर—क्या माननीय मंत्री जी ने बजट देखा नहीं है? शायद इसमें लिखा हुआ है...

श्री अध्यक्ष—मैं समझता हूं कि यह स्वीकृत हुआ है लेकिन यह तो पत्र-व्यवहार की बात है। प्रश्न की बात नहीं है।

*३५—श्री महीलाल—[५ अप्रैल, १९५६ के लिये स्थगित किया गया।]

लखीमपुर खीरी पुलिस लाइन से असलहों की चोरी

*३६—श्री गज्जूराम (जिला झांसी) (अनुपस्थित)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि लखीमपुर खीरी में अभी हाल में पुलिस लाइन से कुछ असलहा चोरी हुये हैं? यदि हुये हैं, तो क्या-क्या और कितने-कितने और किन-किन तारीखों में चोरी हुये हैं?

नोट—तारांकित प्रश्न ३६ श्री लक्ष्मणराव कदम ने पूछा।

श्री जगनप्रसाद रावत—जी हां। कुल ७ शस्त्र चोरी हुये हैं जिनका ब्योरा निम्न प्रकार है :—

शस्त्र	नम्बर
१—रिवाल्वर (·३८ बोर)	१२०७
२—रिवाल्वर (·४५०/४५५ बोर) ..	१९४१
३—रिवाल्वर (·४५५ बोर)	६१९
४—बन्दूक दोनाली कारतूसी (·१६ बोर) ..	१२,२९९.४८
५—रिवाल्वर (.३८ बोर)	४,८८८
६—रिवाल्वर (.३२ बोर)	८७१
७—पिस्तौल (.३२बोर)	७,०६,४३१

जांच से पता चलता है कि यह चोरी विगत अप्रैल, १९५५ और सितम्बर, १९५५ के बीच में हुई थी।

श्री लक्ष्मणराव कदम—क्या माननीय मंत्री जी को पता है कि ये हथियार कैसे और किसने चुराये थे ?

श्री जगनप्रसाद रावत—इसमें कुछ तो पुलिस के जो कांस्टेबिल वगैरह थे वे और कुछ बाहर के आदमी मिले हुये थे। इन लोगों ने मिल कर चुराया था।

श्री लक्ष्मणराव कदम—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि उन लोगों के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई ?

श्री जगनप्रसाद रावत—दो को गिरफ्तार कर लिया गया है और भी जो इसमें संदिग्ध हैं उनके लिये भी कोशिश की जा रही है।

श्री रामदुलारे मिश्र—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो लोग गिरफ्तार किये गये हैं उनमें कितने सरकारी कर्मचारी हैं और वे किस पद पर काम करते हैं ?

श्री जगनप्रसाद रावत—अब तक तो जो गिरफ्तार किये गये उनमें दोनों ही सरकारी कर्मचारी हैं, एक कांस्टेबिल और एक हेडकांस्टेबिल।

श्री बाबूनन्दन (जिला जौनपुर)—क्या माननीय मंत्री जी कृपा करके बतायेंगे कि जो यह सामान चोरी गया उसमें से कुछ बरामद भी हुआ है ?

श्री जगनप्रसाद रावत—उसमें से अभी बरामद तो कुछ नहीं हुआ।

प्राक्कलन समिति द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदनों पर विचार

*३७—श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि एस्टीमेट्स कमेटी (प्राक्कलन समिति) की विभिन्न रिपोर्टों पर उसने क्या कार्यवाही की ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—सरकार के प्रायः उन सभी विभागों ने जिनको एस्टीमेट्स कमेटी (प्राक्कलन समिति) ने अपनी रिपोर्टें भेजी हैं, उन रिपोर्टों पर पूर्णतया विचार किया है। समिति की जो सिफारिशें मान ली गयी हैं उनके अनुसार उचित कार्यवाही की जा रही है।

२—समिति की रिपोर्टों पर सरकार ने जो निर्णय किये हैं और कार्यवाही की हैं उस सम्बन्ध की सूचना शीघ्र ही विधान सभा के सम्मुख प्रस्तुत की जायगी।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि सरकार ने एस्टीमेट्स कमेटी की किन-किन विभागों से सम्बन्धित रिपोर्टों पर विचार कर लिया है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—इसके लिये तो मुझको सूचना चाहिये। इस वक्त अलग-अलग विभागों की बाबत मेरे पास सूचना नहीं है।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या यह सही है कि सरकार एक वर्ष से लगातार घोषणा करती रही है कि वह शीघ्र ही एस्टीमेट्स कमेटी की रिपोर्ट सदन के सामने रखेगी ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—सरकार अब तक अपने वादे से हटी नहीं है।

श्री मदनमोहन उपाध्याय (जिला अल्मोड़ा)—एस्टीमेट्स कमेटी की रिपोर्ट पर इस सदन के सामने बहस हो सकेगी या नहीं ?

श्री अध्यक्ष—यह तो नियम का सवाल है। इसका उत्तर तो मैं दूंगा।

श्री वीरेन्द्र वर्मा—क्या माननीय मुख्य मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि एस्टीमेट्स कमेटी की किन्हीं खास सिफारिशों को सरकार ने कार्यान्वित किया ?

श्री अध्यक्ष—यह उठता नहीं है। यह प्रश्न सदन के सामने आने वाला है, उसके बाद यह चीज उठ सकती है।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या माननीय मुख्य मंत्री जी कृपया बतलायेंगे कि जिन कार्यों का इशारा उन्होंने अपने उत्तर में किया है वह कौन से कार्य हैं ?

श्री अध्यक्ष—माननीय मुख्य मंत्री अगर प्रश्न समझ गये हों, तो उत्तर दें।

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—जी हां, मैं समझ तो गया लेकिन उसका उत्तर देना आसान काम नहीं है। एस्टीमेट्स कमेटी ने कई महकमों की बाबत कई सुझाव दिये हैं। किस महकमे की बाबत कौन-सा सुझाव दिया गया इसका उत्तर देने में बहुत समय लग जायगा और सारी फाइल देखनी पड़ेगी।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या माननीय मुख्य मंत्री जी बतलायेंगे कि एस्टीमेट्स कमेटी की सिफारिश पर जो कि प्रायः प्रत्येक विभाग पर लागू होती है, कंटिंजेंसी का फंड ५ परसेंट से कम करके दो परसेंट कर दिया जाय, इसके बारे में क्या राय है ?

श्री अध्यक्ष—मैं इस प्रकार अलग-अलग राय लेने की इजाजत नहीं दूंगा। नियम जो बने हुए हैं उसके अनुसार जो कार्यवाही सरकार उचित समझेगी वह करेगी और सरकार जो डिसाइड करेगी वह सदन के सामने आयेगा। तो जब तक वह सदन के सामने नहीं आता है तब तक आप इस प्रकार के प्रश्न नहीं पूछ सकते हैं।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या माननीय मुख्य मंत्री जी कृपया बतलायेंगे कि एस्टीमेट्स कमेटी की सिफारिशों के विषय में की गयी कार्यवाही का विवरण कब तक सदन के सामने प्रस्तुत हो जायगा ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—मैं इसको बहुत जल्दी रखने की कोशिश करूंगा। इस वक्त तो माननीय सदस्य अन्य रिपोर्टें तैयार करने में लगे होंगे। जब उनको छुट्टी होगी तो मैं बहुत जल्दी करने की कोशिश करूंगा। अभी तो उनको छुट्टी नहीं है।

श्रावस्ती नगर, जिला गोंडा में बुद्ध जयन्ती के अवसर पर बिजली लगाने की मांग

*३८—श्री बलभद्रप्रसाद शुक्ल (जिला गोंडा)—क्या विद्युत मंत्री कृपया बतायेंगे कि श्रावस्ती नगर (जिला गोंडा) में बुद्ध जयन्ती के अवसर पर बिजली से रोशनी पहुंचाने की व्यवस्था की जायेगी ?

श्री धर्मसिंह—जी नहीं।

श्री बलभद्रप्रसाद शुक्ल—क्या माननीय मंत्री जी कृपया बतलायेंगे कि बुद्ध जयन्ती के अवसर पर किन-किन तीर्थों में बिजली लगाने की योजना है ?

श्री धर्मसिंह—बनारस जिले में सारनाथ और देवरिया जिले में कुशीनगर में।

श्री बलभद्र प्रसाद शुक्ल—क्या माननीय वित्त मंत्री जी बतलायेंगे कि श्रावस्ती नगर में भी बुद्ध जयन्ती के अवसर पर बिजली लगाने की सख्त जरूरत है ?

श्री धर्मसिंह—यह तो भारत सरकार से सलाह-मशविरा किया गया था और उसके आधार पर जो स्थान मैंने बताये वहां बिजली लगायी गयी और जैसा कि माननीय सदस्य कहते हैं वहां कोई आवश्यकता तो प्रतीत नहीं होती।

श्री शिवनारायण—क्या सरकार कृपा करके बतलायेगी कि जहां इस वर्ष के मेले में सरकार बिजली का प्रबन्ध नहीं कर पायेगी वहां गैस का प्रबन्ध कर लेगी ?

श्री धर्मसिंह—कोई आवश्यकता प्रतीत नहीं होती।

श्री सियाराम चौधरी (जिला बहराइच)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि श्रावस्ती का मेला जहां लगेगा यह किस जगह पर है, बहराइच में या गोंडा में है ?

श्री धर्मसिंह—नोटिस की आवश्यकता है।

गोंडा जिले के प्रमुख स्थानों को बिजली देने की मांग

*३९—श्री बलभद्रप्रसाद शुक्ल—क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि पिछले साल सदन में उन्होंने जो घोषणा तुलसीपुर, मनकापुर, नवाबगंज, इकौना आदि ३२ नगरों में १२ मास के अन्दर ही बिजली पहुंचा देने के सम्बन्ध में की थी उस दिशा में कितना कार्य हो चुका है और उपर्युक्त नगरों में से किन-किन में बिजली पहुंचा दी गई है ?

श्री धर्मसिंह—काम जारी है।

*४०—श्री बलभद्रप्रसाद शुक्ल—क्या मंत्री जी को पता है कि ट्रांस राप्ती भाग (गोंडा) में तुलसीपुर N. E. Railway स्टेशन के समीप स्थित, प्रदेशीय ख्याति का ऐतिहासिक "देवी पाटन मन्दिर" है, जहां चैत्र नवरात्रि में लगभग १५ दिन का मेला लगता है और जहां मेले के दिनों में बिजली से रोशनी पहुंचाने की नितान्त आवश्यकता है, वहां भी बिजली पहुंचायी जायगी ?

श्री धर्मसिंह—इस साल के चैत मास के नवरात्रि के अवसर पर मेले में बिजली देना सम्भव नहीं है।

श्री बलभद्रप्रसाद शुक्ल—क्या माननीय मंत्री जी कृपया बतलायेंगे कि मनकापुर, नवाबगंज और तुलसीपुर नगरों में बिजली कब तक पहुंच जायगी ?

श्री धर्मसिंह—यह काम जारी है और जल्दी कोशिश की जा रही है कि जल्दी बिजली पहुंच जाय।

कानपुर जिले में हुये कत्लों के सम्बन्ध में अपराधियों के विरुद्ध कार्यवाही

*४१—श्री लक्ष्मणराव कदम—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि गत वर्ष तथा गत मास (जनवरी) में कानपुर जिला व शहर में कितने कत्ल हुए और उनमें से कितने कातिल पकड़े गये?

श्री जगनप्रसाद रावत—१९५५ में ४० तथा जनवरी, १९५६ में ३। इन मामलों में कुल १५० अभियुक्त पकड़े गये।

श्री लक्ष्मणराव कदम—क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि उक्त कत्लों में से कितने कत्ल शहर और कितने जिले में हुए?

श्री जगनप्रसाद रावत—४० मामलों में ११ शहर में हुए और २९ देहातों में हुए।

श्री रामदुलारे मिश्र—क्या माननीय मंत्री जी कृपा कर बतलायेंगे कि इनमें कितने केस चालान किये गये और कितने सजायाब हुए?

श्री जगनप्रसाद रावत—सन् १९५५ में ३२ मामलों में चालान हुए, ४ सजायाब हुए, दो छूट गये, २६ अदालत में हैं और अभी ८ केसों में जांच जारी है। सन् १९५६ में ३ मामले हुए। अभी तीनों की जांच हो रही है।

श्री लक्ष्मणराव कदम—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि उक्त मामलों में स्त्री-पुरुषों की संख्या कितनी है?

श्री जगनप्रसाद रावत—यह तफसील तो इस समय मेरे पास नहीं है।

गाजीपुर जिला जेल में सिखाये जाने वाले उद्योग

*४२—श्री कमलासिंह (जिला गाजीपुर) (अनुपस्थित)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि गाजीपुर जिला जेल सुपरिन्टेन्डेन्ट के क्वार्टर के लिये कोई जमीन ली गई है? यदि हां, तो कब?

श्री जगन प्रसाद रावत—जी नहीं।

*४३—श्री कमला सिंह (अनुपस्थित)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि गाजीपुर जिला जेल में कौन-कौन उद्योग-धंधे सिखलाये जाते हैं?

श्री जगनप्रसाद रावत—मूंज की चटाई, दरी, बान और निवाड़ बनाने के काम सिखाये जाते हैं।

बनारस के हरिजन आन्दोलन में तथा आलमबाग, लखनऊ के झगड़े में हुई गिरफ्तारियों के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचना

श्री अध्यक्ष—मेरे पास दो कामरोको प्रस्ताव, एक श्री राजनारायण जी ने और एक श्री रामेश्वरलाल जी ने भेजे हैं। श्री राजनारायण जी ने जिसके सम्बन्ध में कामरोको प्रस्ताव भेजा है उसका जिक्र कल यहां पर हो गया है। वह हरिजन आन्दोलन के सिलसिले में कुछ गिरफ्तारियों का है और मैंने इस विषय के सम्बन्ध में

नोट—तारांकित प्रश्न ४२–४३ श्री श्रीचन्द्र ने पूछे।

कल निर्णय दे दिया था और इसे फिर से उठाने की मैं उनको इजाजत नहीं देता हूं। यह उनका सिर्फ आरोप है कि वह बेकायदा गिरफ्तारियां हो रही हैं तो उसके लिये अदालत में चाराजोई करने के लिये जिनके खिलाफ यह बातें हुई हैं द्वार मुक्त हैं और इस रास्ते को अख्तियार करना चाहिये। दूसरा श्री रामेश्वरलाल जी का है। यह कुछ लांडरी के सम्बन्ध में झगड़ा हो जाने पर कुछ छात्रों की गिरफ्तारियां होने के सम्बन्ध में है। यह स्थानीय शासन से सम्बन्धित प्रश्न है, इसके लिये मैं इजाजत नहीं देता हूं।

श्री राजनारायण (जिला बनारस)—श्रीमन्, आपने जो अभी व्यवस्था दी है उसके सम्बन्ध में तो कुछ नहीं कहना चाहता हूं लेकिन मैं यह कहना चाहता था कि मुख्य मंत्री ने जो कल कहा था कि इस पर इंजंक्शन आर्डर है। हमारा यह कहना है कि सेंट्रल गवर्नमेंट का जो ऐक्ट है उसकी धारा के मुताबिक किसी कोर्ट का आर्डर नहीं रह सकता है। जब सरकार जानती है कि गिरफ्तारियां नाजायज हो रही हैं तो सरकार को व्यवस्था करनी चाहिये।

श्री अध्यक्ष—आप मेरे कमरे में आये थे और मैंने कहा था कि जो कानूनी दृष्टिकोण है उस सम्बन्ध में लिखित आप मुझे दें तो मैं उसकी सरकार से चर्चा करूंगा। लेकिन जब तक इस चीज की जांच न हो जाय और कानूनी दृष्टिकोण देखा न जायगा तब तक कामरो को प्रस्ताव से यह बातें कैसे हो जायेंगी। वह प्रश्न आपको उठाना है तो उसके बारे में आप मुझे लिखित दें जिस तरह से कि आप ने बात की थी और आप यदि लिखित कानूनी राय दें तो मैं सरकार से पत्र-व्यवहार करूंगा और कोई चीज उचित होगी तो वह सदन में आयेगी। यह इस तरह से नहीं आ सकती है।

१६ तथा २१ मार्च, १९५६ को ६ बजे सायंकाल तक सदन की बैठक करने का संकल्प

शिक्षा मंत्री (श्री हरगोविन्द सिंह)—अध्यक्ष महोदय, यदि आज्ञा हो तो यह संकल्प जो ५ बजे के बाद पेश होने वाला है, उसे इसी समय पेश कर दूं।

श्री अध्यक्ष—अब १२ बजे जाते हैं केवल १ मिनट बाकी रह गया है। इस बीच में मैं किसी संकल्प की इजाजत नहीं दूंगा। अनुदानों के समय के बीच में किसी संकल्प की इजाजत नहीं दूंगा। ५ बजे के बाद या अनुदानों का कार्य समाप्त होने के बाद या सदन समय बढ़ाता है तो उसके बाद यह प्रस्ताव लिया जायगा।

श्री राजनारायण (जिला बनारस)—अध्यक्ष महोदय, यदि हाउस की रिक्वेस्ट हो।

श्री अध्यक्ष—मैं इसकी इजाजत नहीं दूंगा। इसमें हाउस की रिक्वेस्ट का सवाल नहीं है।

सत्रावधि में सदस्यों पर समन की तामील के संबंध में जानकारी

श्री परिपूर्णानन्द वर्मा (जिला गोरखपुर)—अध्यक्ष महोदय, मैं एक जानकारी हासिल करना चाहता हूं कि माननीय राजनारायण के ऊपर समन तामील कराने के विषय में अदालत को मैंने आपके द्वारा समन तामील कराने के लिये कहा था। लेकिन मुझे सूचना मिली है कि आपने समन को वापिस कर दिया है। क्या मैं जान सकता हूं कि ऐसा क्यों हुआ?

श्री अध्यक्ष—मैं समझता हूं कि मेरे कमरे में आप पूछ लेते तो ज्यादा अच्छा रहता। मेरा नियम बहुत साफ नियम है, किसी माननीय सदस्य के ऊपर जिस समय सत्र

[श्री अध्यक्ष]

चल रहा हो, समन तामील करने के लिये मेरे पास आता है तो मैं यही जवाब देता हूं कि सत्र के अवसर में किसी माननीय सदस्य की सेवा से इस सत्र को वंचित करने का मौका मैं नहीं देता हूं। लिहाजा मैं समन तामील करने से इन्कार कर देता हूं और मैं केवल पोस्ट आफिस का काम नहीं करता हूं।

श्री राजनारायण (जिला बनारस)---अध्यक्ष महोदय, वह खुद ही इस मुकदमे से भागते हैं। हम तो चाहते हैं कि मुकदमा जल्दी हो जाय।

श्री अध्यक्ष---वह दूसरी बात है।

१९५६-५७ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान---अनुदान संख्या ३०---लेखा शीर्षक ५०---नागरिक निर्माण-कार्य---निर्माण-कार्यों पर लागत, अनुदान संख्या ३१---लेखा शीर्षक ५०---नागरिक निर्माण-कार्य और केन्द्रीय सड़क निधि से वित्तीय सहायता, अनुदान संख्या ३२---लेखा शीर्षक ५०---नागरिक निर्माण-कार्य और ८१---राजस्व लेखे से बाहर नागरिक निर्माण-कार्यों की पूंजी का लेखा तथा अनुदान संख्या ४६---लेखा शीर्षक ८१---राजस्व लेखे के बाहर नागरिक निर्माण-कार्यों का पूंजी लेखा

श्री जगनाथ मल्ल (जिला देवरिया)---श्रीमन्, मैं चाहूंगा कि इन चारों अनुदानों को माननीय मंत्री जी एक साथ पेश कर दें और हमारी तरफ से दो आदमी दो, दो कटमोशन एक साथ पेश कर दें।

श्री अध्यक्ष---यह ठीक है। हो सकता है।

निर्माण मंत्री (श्री विचित्र नारायण शर्मा)---श्रीमन्, मैं गवर्नर महोदय की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ३०---सार्वजनिक निर्माण-कार्यों के व्यय, जो राजस्व से पूरे किये जाते हैं (लेखा शीर्षक ५०---नागरिक निर्माण-कार्य---निर्माण-कार्यों पर लागत) के अन्तर्गत, ४,५८,३४,५०० रुपये की मांग स्वीकार की जाय।

श्रीमन्, मैं गवर्नर महोदय की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ३१---यातायात के साधनों का सुधार (केन्द्रीय सड़क निधि के लेखे से वित्त-पोषित) (लेखा शीर्षक ५०---नागरिक निर्माण-कार्य और केन्द्रीय सड़क निधि से वित्तीय सहायता) के अन्तर्गत, ३९,९८,४०० रुपये की मांग स्वीकार की जाय।

श्रीमन्, मैं गवर्नर महोदय की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ३२---सार्वजनिक निर्माण-कार्य स्थापना पर व्यय (लेखा शीर्षक ५०---नागरिक निर्माण-कार्य और ८१---राजस्व लेखे से बाहर नागरिक निर्माण-कार्यों की पूंजी का लेखा) के अन्तर्गत ७६,२३,६०० रुपये की मांग स्वीकार की जाय।

श्रीमन्, मैं गवर्नर महोदय की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ४६---राजस्व लेखे के बाहर नागरिक निर्माण-कार्यों पर लागत (लेखा शीर्षक ८१---राजस्व लेखे के बाहर नागरिक निर्माण-कार्यों का पूंजी लेखा) के अन्तर्गत, १०,४६,९४,१०० रुपये की मांग स्वीकार की जाय।

इन मांगों को पेश करते हुए मैं सदन का ज्यादा समय नहीं लेना चाहूंगा। जो साहित्य बजट विभाग की तरफ से पेश किया गया है उनमें इनका बहुत कुछ खुलासा विवरण दे दिया गया है। नयी मांगों की बाबत भी उसमें लिखा गया है। ज्यादातर रुपया जो इस विभाग का खर्च की बाबत है उसका मूल संबंध दूसरे विभागों से रहता है और जहां तक उनकी आवश्यकताओं और दूसरी बातों का संबंध है वह वास्तव में इस विभाग से इतना संबंध नहीं रखती है, क्योंकि नीतियां उनके विषय में दूसरे विभागों से निर्धारित होती हैं। मेरे विभाग से केवल इतना उनका ताल्लुक रहता है कि उनकी बिल्डिंग्स वगैरह सही तरह से और किफायत से बनवा दी जायं और उस विषय में मैं यह अर्ज कर सकता हूं कि उसमें कम से कम इधर जो काम हो रहा है कुछ वर्षों से, उससे मुझे संतोष है। हमारे पास जितना स्टाफ है और माननीय सदस्य देखेंगे कि शायद हिन्दुस्तान भर में सब से सस्ता यह हमारा पी० डब्ल्यू० डी० का विभाग है। और जगह १३ परसेंट और १५ परसेंट और इससे भी ज्यादा खर्च आता है। केवल बिहार और पंजाब में खर्च करीब-करीब हमारे बराबर है। इतना ज्यादा काम हम लोग अपने परिमित साधनों से कर रहे हैं और इसमें कोई शक नहीं है कि उस काम में कई बार कुछ खामी भी रह जाती है। दूसरी तरफ शिकायतें भी हमको मिलती हैं और इसी वजह से हमारे पास जो ऊंची श्रेणी का स्टाफ है जिसके ऊपर आप और हम सब विश्वास कर सकते हैं वह बहुत नाकाफी है। हमारा काम सारे प्रदेश के कोने-कोने में फैला हुआ है। पहाड़ों की कन्दराओं के अन्दर भी हमारा काम चल रहा है और ऐसी ऐसी जगह भी हमारा काम चल रहा है जहां पर आसानी से आमदरफ्त नहीं हो सकती है। एक एक आदमी को कई कई जगह पर निरीक्षण करना पड़ता है और चूंकि यह नामुमकिन है कि वह सब जगह एक समय उपस्थित रह सके, इसलिये कुछ शिकायतों का होना अनिवार्य है। यह सुझाव दिया जा रहा है कि हम थोड़ा अपना स्टाफ बढ़ा दें और मैं स्वयं इस बात को अनुभव करता हूं कि प्रदेश में विकास के काम की अगर यही गति रही तो हमको यहां और स्टाफ बढ़ाना पड़ेगा। लेकिन टेक्नीकल आदमी तो ऐसे नहीं हैं कि बाजार में उनके लिये मांग पेश कर दी जाय और उधर हाजिर हो जायं। हमारी सबसे बड़ी कठिनाई ओवरसियर और नीचे के स्टाफ को प्राप्त करने में हो रही है। अभी हमने असिस्टेंट इन्जीनियरों के लिये पब्लिक सर्विस कमीशन को सिफारिश की थी तो केवल हमको नये सात आदमी ही मिल सके। ३३ आदमियों की हमको जरूरत थी उसमें केवल हमको ११ आदमी मिल सके और ४ आदमी हमारे विभाग के थे जिन्होंने अप्लीकेशन भेजी थी। तो यह दिक्कत है। इसलिये मैं यह चाहता हूं कि जिस समय माननीय सदस्य इस विभाग की खामियों पर और इसके दोषों पर विचार करें तो मेहरबानी करके इन पहलुओं को कतई नजरन्दाज न कर दें।

मैं साधारणतया सड़कों की बाबत यह निवेदन करना चाहता हूं कि हम लोगों ने अपने विभाग की तरफ से भी एक पुस्तक हिन्दी और अंग्रेजी में सदन की मेज पर रखी है। उसमें विभाग का बहुत सारा काम काफी तफसील के साथ बतलाया गया है। उसको मैं यहां पर दोहराने की जरूरत नहीं समझता हूं। १, २ बात की तरफ मैं खास तौर से सदस्यों का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं और वह इसलिये कि माननीय सदस्य यह न समझें कि हमें सन्तोष है

[श्री विचित्रनारायण शर्मा]

उस काम के बारे में जो काम और जितना काम हमारे विभाग की तरफ से सड़कों के मुताल्लिक हुआ है। इसमें जो दो नक्शे (चार्ट) हैं उनको देखने से पता चलता है कि हिन्दुस्तान सड़कों के मामले में सबसे कम उन्नत देश है। हमारे देश में भी कुछ प्रान्त ऐसे हैं जो बहुत उन्नत हैं जैसे बम्बई और पंजाब। उनकी अपेक्षा हमारा प्रान्त अभी बहुत पीछे है। तो यह सड़कों की कमी हमारे यहां बहुत ज्यादा है और इसी के पीछे हमने हर जिले को स्टार ग्रिड फार्मूले से देखने की कोशिश की है। माननीय सदस्य उनको देख लेंगे तो उनको पता चलेगा कि ऐसे ऐसे भी जिले हैं कि जैसा अल्मोड़ा जिला है, वहां पर ६०८ मील सड़कों की कमी रह जाती है और भी है जहां पर २००, २५० और ३०० मील की कमी हैं। और भी कुछ जिले हैं जो इस मामले में खुशनसीब हैं जो सरप्लस हैं और जिनके बारे में कहा जाता है कि वहां भी काफी सड़कों की कमी अभी है। मैं यह तसलीम करता हूं। मुझे भूदान के सिलसिले में और खादी के सिलसिले में अक्सर देहातों में जाना पड़ता है और लोगों से मिलने का मौका मिलता है तो मैं जहां भी जाता हूं यह रास्तों की मांग, सड़कों की मांग मेरे सामने पेश की जाती हैं। मेरे दोस्त मुझे ऐसी टेढ़ी-मेढ़ी सड़कों से ले जाते हैं, जो बहुत खराब होती हैं और जानबूझ कर ऐसी जगह प्रोग्राम रखते हैं। लेकिन मैं यह कह सकता हूं कि जो पिछड़े हुए डिस्ट्रिक्ट हैं, उनमें तो अभी बहुत ही सड़कों की कमी है लेकिन फिर भी चूंकि हमारे साधन कम हैं। हमने कोशिश की थी कि ज्यादा से ज्यादा पैसा इसके लिये ला सकें। हमने ३३ करोड़ रुपये की मांग पेश की थी लेकिन वह काट दी गयी और मुझे थोड़ा दुःख होता है शायद हम लोगों की तरफ से उस मांग को ज्यादा जोर के साथ उपस्थित नहीं किया गया जितनी जोर के साथ कि उसको किया जाना चाहिये था। हम साधारणतः हर साल जितना काम करते थे इस अगली पांच साला योजना के मातहत उतना काम भी नहीं कर पायेंगे। जब माननीय सदस्य अपने अपने जिलों की मांगें पेश करें या शिकायत करें कि हमारे यहां की सड़कें इतनी खराब हैं या सड़कें नहीं हैं, २०–२० मील तक लोगों को पैदल चलना पड़ता है, तो कृपा करके यह ध्यान जरूर रक्खें कि हमारे यहां के कुछ जिले ऐसे हैं जो और जिलों के मुकाबले में ज्यादा बुरी हालत में हैं। मैंने यह कोशिश की है और हमारे विभाग ने यह उचित समझा है कि जो जिले पिछड़े हुए हैं उन जिलों को ज्यादा से ज्यादा सड़कें दे सकें। हम लोग यह महसूस करते हैं कि जो पिछड़े हुए जिले हैं उनके पिछड़े हुए रहने का सबसे ज्यादा कारण वहां पर सड़कों का न होना है। सड़कें जहां पहुंच जाती हैं वहां विकास का काम, बिला किसी खर्चे के, बिला किसी सरकारी मदद के अपने आप होने लगता है।

करोड़ों रुपये का लाभ जनता को सिर्फ अपनी उपज आसानी से बेचने में हो जाता है। २–३ रुपया मन वह बचत कर लेता है और इस प्रकार से लाखों और करोड़ों रुपया उसका बच जाता है। सड़कों के अभाव में ऐसा होता है कि किसी जगह किसी चीज की बहुतायत है लेकिन वहां के लोग उसको इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं और वह वहां पर पड़ी सड़ती रहती है और दूसरी जगह जहां उसकी ज्यादा जरूरत है वहां लोग उसके बिना तकलीफ उठाते हैं। खास तौर से पहाड़ों में अकाल पड़ जाता है। जब वहां गल्ला भेजा जाता है तो उसको भेजने में बहुत-सा खर्चा हो जाता है। एक तो वे लोग पहले से ही निर्धन होते हैं फिर उनके ऊपर बहुत-सा खर्चा पड़ जाता है। इसलिये अगर वहां पर सड़कें बना दी जातीं तो कई कई रुपया मन उन चीजों पर बचत हो सकती और फिर एक ही आदमी सौ दो सौ मील की दूरी पर भी रह कर अपने कामों को कर सकता है, अपने आदमी वहां रख कर निगरानी कर सकता है। इस प्रकार से १० स्थानों पर वह काम कर सकता है। अभी पीलीभीत-टनकपुर सड़क बनी और स्वभावतः अपने ही आप वहां पर प्लान्टेशन शुरू हो गया, दूसरे विकास के कार्य शुरू हो गये और इसमें सरकार को कुछ भी खर्चा न करना पड़ा। इस तरह से हम यह महसूस करते हैं कि इन स्थानों पर सड़कों की कितनी जरूरत थी।

जब माननीय सदस्य अपने अपने यहां की सड़कों की मांग पेश करें तो कृपा करके इस नक्शे को वे जरूर अपने सामने रक्खें कि दूसरे ऐसे भी जिले हैं जिनके यहां उनसे भी कम सड़कें हैं। मैं यह तो नहीं कहता कि मैंने बिलकुल मैथमेटीकली सब स्थानों पर सड़कों को बांटा है, और इस काम को पूरा किया है, लेकिन सब स्थानों पर थोड़ा बहुत काम करने की चेष्टा की है, क्योंकि अगर ५, ६, १० मील सड़कें भी वहां न दी जातीं तो वहां का सारा स्टाफ बेकार ही पड़ा रहता। यहां माननीय सदस्य शायद यह बात समझ सकें। लेकिन आम जनता, गांवों की जनता इसको आसानी से नहीं समझ सकती है, क्योंकि वह तो अपने जिले और अपनी तहसील की बात पहले समझती है। इसलिये कुछ न कुछ सब जिलों को देने की कोशिश की गयी है। उन जिलों को भी दिया गया है जो सरप्लस जिले हैं। कुछ जिले ऐसे जरूर हैं जिनका महत्व कुछ थोड़ा सारे प्रान्त की दृष्टि से अधिक है, जैसे बनारस, इलाहाबाद, लखनऊ, आगरा आदि, वहां सब आस-पास के जिले आमदरफ्त या आवागमन चाहते हैं, विदेशों से भी लोग वहां आते हैं, एक तरह से कहीं-कहीं पर कुछ थोड़ी रियायत उनके लिए जरूर दिखाई देगी और उसके लिए अगर कोई मुझे दोषी ठहराएगा तो उसका गुनहगार मैं अपने को मान लूंगा।

सड़कों के मुताल्लिक इसी नक्शे में बताया गया है कि सन् ५५ के आखिर में ९१७२ मील के करीब सड़कें रहेंगी लेकिन मुझे इसमें जरा सन्देह हो रहा है क्योंकि मुझे जो अभी बिलकुल अप-टु-डेट फिगर मिले हैं वह ९४८० मील के हैं लेकिन किताब में ९७२० मील हैं। माननीय सदस्यों का जवाब जब मुझे अन्त में देना पड़ेगा उस समय मैं शायद बता सकूंगा कि यह भेद क्यों है और कौन फिगर सही हैं। जो पंचवर्षीय योजना बनी है वह पूरी हो जायगी तो हम और ज्यादा मील दे सकेंगे लेकिन ५ साल की अवधि खत्म होने के बाद ११७७० मील बताए गए हैं लेकिन आज जो फिगर मिले हैं वह ११७०७ मील के हैं, तो यह टाइप मिसटेक होगी या यह रिवाइज्ड अप-टु-डेट केलकुलेशन भी हो सकता है, यह मैं जब अपना उत्तर दूंगा तो पूछ कर बाद को बता सकूंगा कि कौन फिगर ठीक है। मैं इस वक्त सभी चीजों की ओर माननीय सदस्यों का ध्यान आकर्षित नहीं करूंगा, जो खास बातें हैं वही अभी बताए देता हूं। जो हमारी बड़ी-बड़ी सड़कें हैं, हमारे नेशनल हाईवेज हैं उनको कई स्थानों पर २२ फुट तक चौड़ा कर दिया गया है, उन पर ट्रेफिक ज्यादा है और अब मोटरें आसानी से उन पर आ जा सकती हैं और इसी खयाल से यह किया गया है कि ज्यादा कनजेश्चन न हो। सड़कों के माडर्नाइजेशन, यानी जो आज कल के आधुनिक तरीके हैं उनके नव निर्माण के, उन पर एक बार तो हमारा खर्च ज्यादा होता है लेकिन हमारा सब मिलाकर उनके रखरखाव पर और देखभाल पर खर्च इतना कम हो जाता है और सुविधा और मजबूती इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि अगर हम सब प्रदेश की सड़कों का माडर्नाइजेशन कर दें तो २७ लाख रुपये की बचत हर साल हमारे केवल सूद में ही हो सकती है और उस २७ लाख से नई सड़कें बनाई जा सकती हैं। लेकिन इस विषय में हमारे अर्थ विभाग की राय यह थी कि सड़कों के ऊपर कर्ज न लेना चाहिए और दूसरे विभाग, जो नेशन बिल्डिन्ग के कार्य करते हैं उन पर ज्यादा खर्च किया

[श्री विचित्रनारायण शर्मा]

जाय जैसे सिंचाई, नहर, नलकूपों आदि का कार्य है उस पर खर्च करने से लाभ हो सकता है।

थोड़ी सी बातें पुलों के सम्बन्ध में मैं और कह दूं। उनकी तादाद और उनके अन्दर कितनी लागत लगी है यह सब इस किताब में दिखाया गया है और यह सचमुच आश्चर्य की बात है कि अंग्रेजों के जमाने में इतने कम पुल थे, बड़ी से बड़ी सड़कों पर भी कितनी कमी थी, वह हमें अब बनाने पड़ रहे हैं क्योंकि पुल नहीं होते हैं तो सड़कों का पूरा लाभ ही नहीं हो पाता है, बरसात में तो नदी पार करना बहुत स्थानों पर किसी तरह भी शक्य नहीं होता है। गर्मियों में जो नाव या पीपों के पुल बनते हैं इतने कमजोर होते हैं कि उन पर ज्यादा बोझ के ट्रक्स नहीं जा सकते और अक्सर उनको माल उतारना पड़ता है, खाली करना पड़ता है और फिर लादना पड़ता है। इससे जनता को बड़ा कष्ट होता है। समय भी ज्यादा लगता है। इस दृष्टि से मेरा एक सुझाव है और माननीय सदस्य उस पर अपनी राय दें क्या जो पुल इस तरह से बनते चले जाते हैं उन पर कोई टैक्स लगाना उचित होगा। मेरी राय है कि यह बहुत अच्छा होगा। जो आय हमें इस तरह से हो उससे हम ज्यादा से ज्यादा पुल बना सकें और उस आय से सिर्फ पुलों का ही निर्माण किया जाय और किसी दूसरी जगह वह खर्चा न किया जाय और अगर ऐसा कर लेंगे तो आज जो दो दो तीन तीन घंटे एक पुल पर लगते हैं नदी को क्रास करने में वह नहीं लगेंगे। ट्रक वालों को ४, ५ रुपये की मजदूरी ट्रक पर से सामान उतारने और सामान चढ़ाने में लगती है वह बच जायगी और सरकार को भी हर साल जो खर्च करना पड़ता है, उस सब से वह बच जायगी और हमारी सड़कों से ज्यादा से ज्यादा लाभ जनता को हो सकेगा। इन पुलों की बाबत मैं नाम नहीं पढ़ना चाहूंगा पर यह जरूर कहूंगा कि जो बड़े बड़े पुल बने हैं उनको माननीय सदस्य देख जरूर लें। गढ़मुक्तेश्वर के पुल का तो स्वीकृति अभी हमारे पास नहीं आयी है लेकिन मैं समझता हूं कि बहुत जल्दी जून में काम शुरू हो जायगा और टेंडर वगैरह हम लोग ले सकेंगे।

मकानात की बाबत मैं कुछ पहले अर्ज कर चुका हूं। करीब २८ करोड़ के अगली पंचवर्षीय योजना में मकान बनाने के ऊपर खर्च किया जायगा और इस साल स्कीम में जो बिल्डिंग्स बना रहे हैं उनका जिक्र भी इसमें किया गया है, खास तौर से माननीय सदस्यों का ध्यान जो हाउसिंग स्कीम हमारी है उसकी तरफ जरूर दिलाना चाहूंगा। इसमें पहले फेज में २७७६ क्वार्टर्स बने और ७५ लाख की लागत आई। दूसरे फेज में ३७५० क्वार्टर्स १०३ लाख की लागत के बने और तीसरे फेज में ७४०० क्वार्टर्स २०० लाख की लागत के बने। इन क्वार्टर्स में ९०२२ हमारे विभाग ने बनाये, ५६० लखनऊ म्युनिसिपैलिटी ने और ३८४४ कानपुर डेवलपमेंट बोर्ड ने बनाये। दूसरे और जगहों पर जमीनें न मिलने की वजह से काम रुका हुआ है। अगले सालों में कानपुर, रामपुर और इलाहाबाद में मकान बनाने की योजना है। अकेले कमरे के सेट में २७०० रुपये लगते हैं जिसमें एक कमरा किचन और बाथ रूम वगैरह होता है और इसी तरह से जो दो कमरों के सेट हैं उनमें ३४९० रु० के करीब खर्च होता है। यह इमारतें जिन्होंने देखी होंगी मेरा खयाल है कि उनको उनसे संतोष अवश्य प्राप्त हुआ होगा। मैंने जितनी जगहें देखीं मुझे उनमें कोई शिकायत नहीं मिली। महज यह सुनने में आया है कि जब ये मकान बन जाते हैं तो पानी, बिजली और दूसरे जो सेनिटेशन के प्रबन्ध हैं वे समुचित रूप से नहीं मिल पाते, इसलिये जो लोग पहले वहां चले जाते हैं उनको ये दिक्कतें होती हैं। उसकी कोशिश की जा रही है कि वह शिकायतें न हो सकें। लेकिन उसमें कितनी भी कोशिश करने पर कुछ न कुछ कमी जरूर रह जाती है। वह शिकायत मेरे ख्याल में एक दो जगह में मैं खुद भी देख आया, वह जायज है। उससे लोगों को तकलीफ जरूर होती है। उसे दूर करने की कोशिश की जायगी। मैं ज्यादा समय इस सदन का नहीं लेना चाहूंगा।

बनारस के घाटों की बात जरूर थोड़ा-सा निवेदन कर दूं। वहां काम अभी तक सन्तोषजनक चल रहा है। घाटों की वजह से जो नदियां काट रही हैं, हमारे बहुत से पुराने शहरों में मिर्जापुर और दूसरे शहरों के ऊपर यह खतरा है। उसकी बाबत भी विभाग का ध्यान उधर जा रहा है। वह योजना एग्जामिन की जा रही है कि किस तरह से शुरुआत की जाय।

बनारस के घाटों की जो प्रगति है उसमें एक आध बार शिकायत आयी है कि कुछ कुएं टेढ़े हो गये थे। यह सही है। मैंने उन्हें खुद भी देखा। लेकिन उन्हें ठीक कर लिया गया है। जो एक आधे बच गये थे वह भी शायद ठीक हो जायेंगे।

बुद्ध जयन्ती की बाबत भी दो शब्द कह दूं। हमारे भाग्य से बुद्ध जयन्ती का जो उत्सव ढाई हजार साल पर मनाया जा रहा है उसकी वजह से हमें कुछ सड़कें मिल गयी हैं और कुछ बोर्डिंग हाउसेज बने हैं जो बाद में हमारे प्रदेश के काम आ सकेंगे। श्रावस्ती में क्वार्टर्स बने हैं, सड़कें बनी हैं, सारनाथ जाने के लिए एक पुल का भी निर्माण हो रहा है। ये सब चीजें और यह काम इतनी जल्दी हुआ है कि जो काम साल साल, दो दो साल में होता था वह तीन-तीन महीने में हुआ है। जो मकान बने हैं काफी सन्तोषजनक हैं और मेरा ख्याल है कि काफी दिन पहले बुद्ध जयन्ती से वह मकानात पूरे हो जायंगे। इस काम के लिये मैं अपने विभाग के कार्यकर्ताओं को बधाई दे सकता हूं कि उन्होंने इस योग्यता के साथ और इतनी निपुणता के साथ इस काम को किया। हरद्वार में भी एक बाईपास बनाया जा रहा है जो वास्तव में इस साल के शुरू में उसका काम करना तय हुआ। वहां पहाड़ काटने पड़ेंगे नीचे से रेल जाती है उसके ऊपर बोल्डर्स आकर न पड़ जायं और नीचे जो मकानात वहां बने हैं उनके ऊपर चट्टानें न गिर जायं, इसलिए ज्यादा तेजी से यन्त्र नहीं चलाये जा सकते। यहां काम धीरे-धीरे चलता है। लेकिन मुझे पूरी आशा है कि अर्द्धकुम्भ से पहले वह काम समाप्त हो जायगा और संतोषजनक रीति से वह काम पूरा हो जायगा।

मैं जानता हूं कि साधारणतया यह विभाग बदनाम है। इसका नाम बहुत तरह से लोग लेते हैं। पब्लिक वेस्ट डिपार्टमेंट। (एक आवाज) जो बात सारी जनता जानती है उसको अगर मैं सब के सामने स्वीकार करता हूं तो इसमें कोई गुनाह नहीं करता हूं। और दूसरा नाम प्लंडर विदाउट डेंजर, ये सब नाम कहे जाते हैं। मैं भी जब इस विभाग में पहले पहल आया था तो मुझे डर लगता था कि ऐसे विभाग में जा रहा हूं जहां शायद मैं भी बदनामी से न बच सकूं। बदनाम हो जाना बहुत आसान है। लेकिन मैं सन्तोष के साथ कहता हूं और मैं चाहूंगा कि हमारे माननीय सदस्य यह विश्वास करें कि उत्तर प्रदेश के काम करने वाले साधारणतया दूसरे प्रदेशों से अगर अच्छे नहीं हैं तो बुरे नहीं हैं और मैं तो अगर दूसरों की निन्दा इसमें न हो तो बिना हिचकिचाहट के कह सकता हूं और विश्वास के साथ कह सकता हूं कि काफी अच्छे हैं, सन्तोषजनक हैं। और इस विभाग में काम करने वाले आम तौर से काफी ज्यादा इसमें अच्छे हैं, ईमानदार हैं और सेवावृत्ति से काम करना चाहते हैं और मैं उनको इसके लिये बधाई देता हूं। जो मैंने उनके साथ अनजाने में अन्याय किया, खतरा महसूस

[श्री विचित्रनारायण शर्मा]

किया इस विभाग के लेने के वक्त उसके लिए मैं थोड़ा सा लज्जित हो सकता हूं। दुःखी हो सकता हूं और मैं चाहूंगा कि जिन माननीय सदस्यों को शिकायतें हों वह थोड़ा अन्दर से देखने की कोशिश करें, ज्यादा गहराई से, नजदीक से देखें तो उनके भ्रम भी बहुत कुछ दूर होंगे। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि शिकायतें हैं नहीं या कई बार शिकायतें जायज नहीं हैं। यह अगर मेरे निवेदन का अर्थ लगाया जाता है तो वह गलत होगा मैं खुद जानता हूं और मेरा विभाग भी महसूस करता है लेकिन विभाग की और मेरे माननीय सदस्यों की यह ख्वाहिश होगी कि जो हमारे यहां ईमानदार आदमी काम करने वाले हैं उन्हें प्रोत्साहन मिले, उनके भले काम पर उनको गाली न मिले। सिर्फ जो हमारे यहां जिन्हें ब्लेक शीप कहा जा सकता है, उन्हीं की तरफ जिनकी वजह से ज्यादा निन्दा होती है, उन्हीं पर हमारी दृष्टि रहे, और मैं यह विश्वास दिलाता हूं कि मेरा और मेरे विभाग का अधिक से अधिक ध्यान इस तरफ है कि जिन थोड़े से आदमियों की वजह से विभाग को बदनामी मिलती है वह न मिले और पूरा संतोष माननीय सदस्यों को इस विभाग से मिल सके। इन शब्दों के साथ मैं इन अनुदानों को पेश करता हूं और आशा करता हूं सर्वसम्मति से स्वीकार किये जायंगे।

*श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से अनुदान संख्या ३० और ३२ में एक एक रुपये की कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं। मैं यह चाहता हूं कि हमारा यह कटौती के प्रस्ताव एक प्रतीकमात्र हों हमारे विरोध के और प्रोटेस्ट के। जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना में इस राज्य में सड़कों के निर्माण के लिए न्यूनतम स्थान दिया गया है, मुझे बड़े दुःख के साथ कहना पड़ता है कि हमारे माननीय मंत्री जी जहां व्यक्तियों का हृदय परिवर्तन करते हैं, उनमें इतनी क्षमता है, वहां वह केन्द्रीय सरकार का और प्लानिंग कमीशन का हृदय परिवर्तित नहीं कर सके कि वह इस राज्य की वास्तविक आवश्यकताओं के सड़कों के निर्माण के हेतु अधिक से अधिक रुपया इस विभाग के लिये ला सकें। जो रिपोर्ट हमें बंटी है इसमें एक नारा लगाया गया है। लिखा हुआ है कि 'रोड्स मस्ट कम फर्स्ट' यानी सबसे पहले सड़कें होनी चाहिये। लेकिन मालूम पड़ता है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में इस नारे को उलट दिया गया है 'रोड मस्ट कम लास्ट', सब से आखीर में आनी चाहिये। ऐसा बिल्कुल स्पष्टतया प्रतीत होता है। किस प्रकार से यह कमी राज्यों के सड़कों के निर्माण की, जब उत्पादन बढ़ गया है, शरीर में रक्त बढ़ गया है और नसें बढ़ती नहीं हैं, उनका उतना ही विस्तार है, किस प्रकार रक्त का ठीक प्रवाह हो सकता है। इसी प्रकार राज्य का उत्पादन बढ़ गया हो, आवश्यकतायें बढ़ गई हों और यातायात की सुविधा उसके अनुपात से उतनी ही कम हो यह कहां तक उचित है? इस पर माननीय मंत्री जी विचार करें। जो भूमिका लिखी गई है रिपोर्ट की यह बड़ी सत्य भूमिका है और इस स्पष्ट भूमिका के लिये मैं लिखने वाले महोदय को बधाई देता हूं। उन्होंने अपनी आलोचना बड़े सुन्दर ढंग से की है। यह बताया कि अधिकांश मुल्कों में जो सड़कों से टैक्स वसूल होते हैं वह सड़कों के निर्माण में लगाये जाते हैं। जैसे पेट्रोल टैक्स है, मोटर वेहिकिल्स टैक्सेशन, इन सब से जितनी आमदनी होती है वह सड़कों के निर्माण में लगायी जाती है। लेकिन जो सेन्टर में और प्रान्तों में वेहिकिल्स टैक्सेशन से या पेट्रोल टैक्स से आमदनी होती है क्या वह लगायी जाती है सड़कों के निर्माण में?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—उससे ज्यादा।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री नारायणदत्त तिवारी—यहां प्राविन्शियल रोड फंड में लगायी गई है, मैं सेंट्रल की बात कर रहा हूं। इसका सबूत तो सब से बड़ा यह है कि सेन्ट्रल रोड फंड से जो प्रान्ट पिछले वर्षों में हमारे प्रान्त को रोड्स के लिये मिलती चली आ रही है वह बराबर कम होती चली जा रही है और जो अनुदान हमको मिलने वाला है वह लगभग ३६ लाख के है। तो स्पष्ट होता है कि केन्द्र से मिलने वाली धनराशि यदि बढ़ी होती तो हम कहते। जो सेन्ट्रल टैक्सेशन प्रणाली है उससे अधिकांश भाग मिलना चाहिये। ऐसा नहीं हो रहा है।

इसके पहले कि मैं इन अनुदानों के बारे में कुछ कहूं, जो बजट हमारे सामने प्रस्तुत है, उस बजट की तीन मुख्य त्रुटियों की ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। पहली बात तो यह है कि चार्ज हेड्स में गवर्नर महोदय का जो खर्चा है उसमें प्रेसीडेंट, राष्ट्रपति ने एक लिमिट लगा रखी है नोटीफिकेशन के अनुसार कि २ लाख २५ हजार रुपये से ज्यादा खर्चा रिप्लेसमेंट में, रिन्यूअल में और मेंटिनेंस में नहीं होना चाहिए। लेकिन इस बजट में जो चार्ज एक्सपेंडीचर है, जिसके एस्टीमेट्स हमारे सामने हैं, वह प्रेसीडेंट महोदय के आर्डर से ४३ हजार रुपया अधिक पड़ता है। तो कम से कम जो सारे हिन्दुस्तान के लिए जो एस्टीमेट्स प्रेसीडेंट ने संविधान के अनुसार तय कर दिया है, वह खर्चा राजभवन के मेंटीनेंस और रिपेयर्स का उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि इस बजट में ५९ लाख ८१ हजार रुपया रेवेन्यू की मद से ट्रांसफर कर कैपिटल की मद में बढ़ा दिया गया है। पिछले साल यह रुपया रेवेन्यू की मद में था, ये सारी सड़कें रेवेन्यू की मद में शामिल थीं अनुदान संख्या ३० में। लेकिन इस साल ५९ लाख ८१ हजार रुपया कैपिटल की मद में बढ़ा दिया गया है। मैं यह जानना चाहूंगा कि कैपिटल की आपकी परिभाषा क्या है। यह पूंजी खर्चा क्या है? जब सरकार की तबियत आयी कैपिटल मद को रेवेन्यू मद में डाल दिया, और रेवेन्यू मद को कैपिटल मद में डाल दिया। तो मैं समझता हूं कि वित्तीय दृष्टिकोण से यह बहुत ही अनुचित है कि हमको राज्य के वित्त का सही अन्दाजा लगने नहीं पाता। पिछले साल यह रेवेन्यू मद में था, इस साल कैपिटल मद में डाल दिया गया और कोई कारण नहीं बताया गया है। तीसरी बहुत बड़ी गलती की तरफ मैं आपका ध्यान आकर्षित करूंगा। अनुदान संख्या ३० में हैड ५०-ए करके आखीर में जोड़ा गया है जिसमें करीब ८२ लाख रुपया लिखा गया है आखीर में अनुदान संख्या ३० के। यह ८२ लाख रुपया न तो जोड़ा गया है खर्चे में अगर कुल अनुदान में जोड़ा जाता तो अनुदान ४ करोड़ ५८ लाख का न होकर ५ करोड़ ४७ लाख का होता, तो वह जोड़ा नहीं गया, और यही नहीं, बल्कि यह अनुदान संख्या ३० में भी जोड़ दिया गया है और ४६ में घटा दिया गया है और कहीं यह स्पष्ट नहीं किया गया है। मैं समझता हूं यह बहुत बड़ी भूल है और इसको स्पष्ट करना बहुत आवश्यक है।

इसके बाद मैं, जो कुछ आंकड़े हैं उनकी ओर ध्यान दिलाना चाहूंगा सरकार का। कहा यह गया है कि राज्य में प्रथम पंचवर्षीय योजना की समाप्ति पर

[श्री नारायणदत्त तिवारी]

९,७०० मील पक्की सड़कें हो जायेंगी। लेकिन इसी रिपोर्ट में एक अपेंडिक्स (सी) है, उसका कालम ४ माननीय मंत्री जी देखें। उस कालम चार में भी यह लिखा हुआ है कि मार्च ५६ में कुल कितनी सड़कें राज्य में होंगी, उसके आंकड़े जोड़े जायं तो ११,४३० मील सड़कें प्रथम पंचवर्षीय योजना के आखीरी साल में हो जानी चाहिये, तो आप सोचिए कि एक ही रिपोर्ट में दो आंकड़ों का दावा किया गया है ९७२० मील और उसके टोटल में ११४३० मील और उस आंकड़े को हम सही मान लें जो अपेंडिक्स (सी) में है तो फिर इस दृष्टिकोण से केवल ३४० मील सड़कों की योजना रह जाती है। यानी प्रथम पंचवर्षीय योजना में जितनी सड़कों के बनाने का प्रोग्राम था उससे कम सड़कें बनाने का प्रोग्राम द्वितीय पंचवर्षीय योजना में है।

श्री विचित्रनारायण शर्मा—यह तो सही बात है।

श्री नारायणदत्त तिवारी—यही तो मैं कह रहा हूं। सारे विभागों में तो प्रथम पंचवर्षीय योजना से कुछ अधिक के लिए द्वितीय पंचवर्षीय योजना में आयोजन है, लेकिन बदकिस्मती हमारी समझिये कि यह विभाग ऐसा है कि इसमें द्वितीय पंचवर्षीय योजना में प्रथम पंचवर्षीय योजना के मुकाबिले में कम खर्च किया जा रहा है और कम सड़कों को लिया जा रहा है। और उसको माननीय मंत्री जी स्वीकार भी कर रहे हैं। खैर, यह उनके लिए बधाई की बात है कि वह उसे स्वीकार कर ले रहे हैं अपनी किसी त्रुटि को, त्रुटि कहिए या चाहे कुछ और कुछ कहिए। तो मैं माननीय मंत्री जी से चाहूंगा कि वह अपेंडिक्स (सी) की दृष्टि से इस पर दुबारा विचार करें। इस सम्बन्ध में यह बात ध्यान देने योग्य है कि इस्टीमेट्स कमेटी की जो रिपोर्ट थी उसके ऊपर कोई कार्यवाही नहीं की गयी है। उसकी सिफारिश थी तीन सुपरिन्टेंडिंग इंजीनियर्स की संख्या फौरन घटा देनी चाहिये। आल इंडिया रोड्स कांग्रेस की भी यही सिफारिश थी कि नान लैप्सेबिल ग्रांट का एक फंड बनाया जाय क्योंकि पी० डब्ल्यू० डी० का रुपया साधारणतः साल के अन्त में खर्च होने के कारण लैप्स हो जाता है इसलिये नान लैप्सेबिल फंड बनाया जाय और तीन सालों के ग्रांट्स को एक साथ रख दिया जाय। यही रोड्स कांग्रेस की भी मांग थी और यही इस्टीमेट्स कमेटी की एकमत से मांग थी परन्तु न मालूम सरकार को इसमें क्या एतराज है।

इसके साथ साथ जो राज्य के छोटी श्रेणी के कर्मचारी हैं उनकी तनख्वाह २५ रुपये मासिक थी और जो दो रुपये मासिक की वृद्धि की पिछले साल घोषणा की गयी थी सभी निम्नकर्मचारियों के वेतन में दो रुपये मासिक हम बढ़ा देंगे, लेकिन उसको अभी तक पी० डब्लू० डी० के कर्मचारियों के लिये लागू नहीं किया गया है। तो यह इस्टेब्लिशमेंट के बारे में मेरी राय है।

इसके साथ-साथ कुछ और भी सिद्धान्त की बातों की ओर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। जैसे स्टार्ट ग्रिड फार्मूले की बात नागपुर में चीफ इंजीनियर्स कान्फ्रेन्स में तय हुई थी कि यह फार्मूला उन क्षेत्रों के लिये है जहां रेलवे और रिवर ट्रांसपोर्ट भी है। लेकिन ऐसे क्षेत्रों के लिये, जहां रिवर और रेलवे का ट्रांसपोर्ट नहीं है, वहां कोई दूसरा फार्मूला बनाया जाना चाहिये। हमारे राज्य में ऐसे बहुत से क्षेत्र हैं, जहां रेलवे का यातायात बिल्कुल नहीं है वहां जहां नदी का यातायात बिल्कुल नहीं है पर ऐसे क्षेत्रों के लिये प्रदेश में चाहे कहीं भी हो किसी नये फार्मूले की आवश्यकता है। स्टारग्रिड फार्मूले को ऐसे क्षेत्रों के लिये लागू करना मैं समझता हूं कि न्यायपूर्ण नहीं है।

इसके साथ साथ दो तीन साल पहले जो आपके विभाग की रिपोर्ट निकलती थी उनमें हमको यह बतलाया जाता था कि करप्शन रोकने के लिये विभाग ने क्या क्या कार्यवाहियां की हैं। उसमें यह बतलाया जाता था कि इतने इंजीनियर्स के खिलाफ ऐक्शन लिया गया, कितने ओवरसियर के खिलाफ ऐक्शन लिया गया और कितने जमादारों के खिलाफ ऐक्शन लिया गया या इतने मामले ऐडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल के सामने गये हैं। लास्ट रिपोर्ट्स के आखिर में छपा हुआ रहता था और यदि किसी साल नहीं छपा होता था तो माननीय मंत्री जी हमको बतलाते थे। लेकिन दो तीन सालों से इस प्रकार की कार्यवाही की रिपोर्ट भ्रष्टाचार रोकने के सम्बन्ध में नहीं मिली है। पिछले साल तो मंत्री जी नये नये आये थे। (एक आवाज—भ्रष्टाचार है ही नहीं तो रिपोर्ट किसकी ?)

ठीक है, भ्रष्टाचार नहीं है तो अब क्या कहा जाय। तो भ्रष्टाचार को रोकने के लिये क्या कार्यवाही की गई है, कितनों को वार्निंग दी गई है, कितनों को सजा दी गई है, और ऐडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल के सामने कितने मामले हैं, इसका कोई पता इस रिपोर्ट से नहीं चलता। इस्टीमेट्स कमेटी ने भ्रष्टाचार को रोकने के लिये सिफारिश की है, कंट्रेक्टर्स को पेमेंट का सिस्टम किस प्रकार से हो, उसकी सिफारिश की गयी थी और कंट्रेक्टर्स के रजिस्टर को किस प्रकार मेन्टेन किया जाय। इसकी सिफारिश के अनुसार भ्रष्टाचार रोकने के लिये माननीय मंत्री जी ने आने के बाद क्या-क्या कदम उठाये हैं, इस मामले में हम लोग बिल्कुल अन्धकार में हैं। हम यदि माननीय मंत्री जी को बधाई देना भी चाहें तो कैसे दें जब उन्होंने यह हमें बताया ही नहीं है कि उन्होंने भ्रष्टाचार को रोकने के लिये क्या ठोस कार्यवाहियां की हैं। तो मैं चाहूंगा कि अगर माननीय मंत्री जी उन सब नामों से अपनी संज्ञा को वेष्ठित नहीं करना चाहते जैसे 'प्लन्डर वर्क्स डिपार्टमेंट', या 'प्लन्डर विदाउट डेंजर' तो हमें भी उन शब्दों को इस्तेमाल करने में कोई आनन्द नहीं आता है। लेकिन अगर हम इन कार्यवाहियों के बारे में अन्धकार में रहेंगे तो मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री जी को अपने कर्णकुहरों को इनसे भी अधिक कटु शब्दों को सुनने के लिये प्रस्तुत रहना पड़ेगा। मैं चाहूंगा कि इस सम्बन्ध में कोई स्पष्ट नीति अपनायी जाय। इस प्रदेश की आवश्यकताओं को देखते हुए इस बात की भी आवश्यकता है कि नेशनल हाई वे जितने हैं उनकी लिस्ट में परिवर्तन किया जाय। जिस प्रकार से योजना का विस्तार हुआ है, उसको देखते हुए प्रान्तीय हाईवे हमारे प्रदेश में बहुत कम हैं और नेशनल हाईवे भी राष्ट्रीय दृष्टिकोण से बहुत कम हैं। बहुत से ऐसे मार्ग हैं जिनको प्रांविंशयल हाईवे में आना चाहिये, लेकिन अब तक नहीं लिये गये। तो इन सब का सर्वे होना चाहिये और जिन रीजन्स की मांग है, उनकी सड़कें हाईवेज की सड़कों में शामिल की जानी चाहिये, ताकि वहां के ट्रैफिक के वाल्यूम को देखते हुए, आवश्यकताओं को देखते हुए और उत्पादन का वाल्यूम देखते हुए, वे वास्तव में हाई वे बन सकें और उनमें वास्तव में रुपया खर्च किया जा सके। जब प्रथम पंचवर्षीय योजना बनी थी, उस वक्त यह भी कहा गया था कि हम पी० डब्ल्यू० डी० विभाग में तीन प्रकार का अध्ययन कर रहे हैं। एक तो रोड यूज स्टडी, दूसरा रोड-लाइफ स्टडी और तीसरा सर्वे। तीनों

[श्री नारायण दत्त मैठाणी]

प्रकार के सर्वे के लिए एक रिसर्च इस्टीटयूट भी बनाया गया है, लेकिन इन तीन प्रकार की स्टडीज के लिए क्या रिसर्च की गयी यह स्पष्ट नहीं है। मैं चाहूंगा कि माननीय मंत्री जी, जो कम से कम रिसर्च वर्क होता है, उसको प्रकाशित किया करें, ताकि वह हमारे सन्मुख भी आ सके कि वे वास्तविक रूप से क्या कर रहे हैं और प्रदेश के लोग भी उससे लाभ उठा सकें। मान लिया कि हम टैक्नीकल जानकारी नहीं रखते, लेकिन दूसरे राज्य तो उससे फायदा उठा सकते हैं। तो ऐसा मौका सभी प्रदेशों के लोगों को देना चाहिये।

इसके साथ ही साथ जहां तक प्रश्न है मेंटिनेंस का, मुझे बड़े दुःख के साथ कहना पड़ता है कि जो सड़कें बन चुकी हैं उनके मेंटिनेंस के लिए भी बहुत कम रुपया रखा गया है। इस साल केवल ६२ लाख रुपया मेंटिनेंस के लिए रखा जा रहा है। पिछले साल भी इतना ही था और उसके पहले भी इतना ही था। इधर तो सड़कों की संख्या बढ़ रही है और मेंटिनेंस के लिए उतना ही रुपया रखा जा रहा है, यह कोई प्रसन्नता की बात नहीं है। उसी प्रकार माडर्नाइजेशन के जो फंड्स हैं उसके सम्बन्ध में रुपये की ग्रांट कम होती जा रही है। आज से दो साल पहले माडर्नाइजेशन में ४० लाख रुपया खर्च किया गया था, लेकिन द्वितीय पंचवर्षीय योजना के पहले वर्ष में प्रदेश की सारी सड़कों के माडर्नाइजेशन के लिए साढ़े सत्तरह लाख रुपया रखा है। मुझे कभी यह आशा नहीं थी कि यह विभाग हमारे माननीय मंत्री जी के काल में इतना उपेक्षित होगा।

*श्री गंगाधर मैठाणी (जिला गढ़वाल)—अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से मैं अनुदान संख्या ३१—लेखा शीर्षक ५० और अनुदान संख्या ४६—लेखा शीर्षक ८१ दोनों में एक-एक रुपये की कटौती का प्रस्ताव करता हूं।

अध्यक्ष महोदय, ये दोनों अनुदान कैपिटल एक्सपेंडीचर से चल रहे हैं। करीब ९४ करोड़ और ९१ लाख रुपया रेवेन्यू से आता है, लेकिन वर्तमान और पिछले बजट में से भी रेवेन्यू से बहुत कम रुपया यातायात के लिए खर्च किया जाता है। इसमें कितना कैपिटल एक्सपेंडीचर है और कितना दूसरे विभाग से आता है, वह तो खैर जमा होगा तो उधर चला जायगा, तो इसमें कोई ऐसी नीति नहीं है कि रेवेन्यू एक्सपेंडीचर से कितना रुपया खर्च करें। इसके अलावा हम यह भी देखते हैं कि बहुत सा रुपया, जैसे सेंट्रल ग्रांट मिल गयी, एम्पलायमेंट रिलीफ की या किसी और चीज की, वह भी रेवेन्यू में जोड़ दिया गया है। पिछला १२५ लाख रुपया भी रेवेन्यू में ही जमा कर दिया गया है जो कि एम्पलायमेंट रिलीफ का था। तो इससे स्पष्ट है कि रेवेन्यू से बहुत कम रुपया खर्च किया जा रहा है। अभी यहां पर जो प्रथम कटौती का प्रस्ताव रखा गया उसमें तिवारी जी ने भी कहा कि यातायात के लिए या सड़कों के लिए बहुत कम रुपया खर्च किया गया और जो पुस्तिका माननीय मंत्री महोदय के पास से आई उसमें प्रारम्भ में यह दिखाने की चेष्टा की गयी है कि चूंकि रुपये की कमी है, इसलिए इस बात की आवश्यकता है कि ऐसे सरकमस्टांसिज पैदा करें जिससे लोगों पर टैक्स लगा सकें। यद्यपि अमरीका ने प्रथम फेज और दूसरे फेज में किस तरह से अपनी सड़कों को बढ़ाया है, किस प्रकार रेवेन्यू को इकट्ठा किया है यह दिखाया गया है, इससे यह प्रकट होता है कि वह बहुत-सी सड़कों पर टोल-टैक्स लगायेंगे और अन्य तरीकों से रुपया इकट्ठा करेंगे। लेकिन इस सम्बन्ध में मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि जैसी परिस्थिति देश की है कि लोगों की टैक्स देने की कैपेसिटी कम है, इसलिए वर्तमान परिस्थिति में कम से

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

कम टैक्स बढ़ाने का सरकार को नहीं सोचना चाहिये। जहां तक यातायात पर आते हैं, तो विभिन्न प्रकार के यातायात हैं, हवाई जहाज, रिवर, समुद्र और रेलवे और एक हमारे मोटर का भी है और हमारे देश में एक साधन बैलगाड़ी का भी है और गधे का भी है। लेकिन बहुत से ऐसे पर्वतीय इलाके हैं जहां अभी तक ट्रेन्स का काम भेड़ बकरियां भी करती हैं और सामान यातायात का काम उन्हीं से लिया जाता है और अभावग्रस्त क्षेत्र में एक-एक बकरी दो-दो सौ, ढाई-ढाई सौ मील दूरी पर गल्ला पहुंचाती हैं। यह इस युग में होता है। इस पर माननीय मंत्री जी का ध्यान होना चाहिये।

अध्यक्ष महोदय, अभी मंत्री महोदय ने द्वितीय पंचवर्षीय योजना में यह ग्रिड और स्टार फार्मूला का मतलब जो एक चार्ट हमारे सामने प्रस्तुत किया गया है उसमें बता दिया है और उससे उत्तर प्रदेश के प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट के बारे में जानकारी होती है और हर एक आदमी जब कि अपनी अपनी जिले की बात करेगा तो उसका खाका हमारे सामने दिखा दिया कि किस सड़क को किस डिस्ट्रिक्ट में बनायें, कहां सर्विस है और कहां क्या है। इसको मैंने थोड़ा सा देखा है, इसमें एक दो बातें मुख्यतः उठती हैं। कुछ डिस्ट्रिक्ट्स ऐसे हैं जैसे बनारस, जौनपुर, लखनऊ, कानपुर, नैनीताल, प्रतापगढ़, आगरा और बाराबंकी जो कि सड़कों के मामले में सरप्लस डिस्ट्रिक्ट्स हैं, और कुछ जिले ऐसे भी हैं, जिनके यहां दो सौ मील से अधिक डेफिसिट है, जैसे अल्मोड़ा, बदायूं, बहराइच, बांदा, गढ़वाल, गोरखपुर, हरदोई, हमीरपुर, मेरठ, मुजफ्फरनगर और मिर्जापुर। बहुत से डिस्ट्रिक्ट्स में जहां पर उस फार्मूले के मुताबिक सर्विस बनी है वहां भी स्टाफ को रखा गया है और कुछ काम बना है। इसलिए थोड़ी थोड़ी सड़कों का एलाटमेंट भी वहां कर दिया गया है। लेकिन कुछ रीजन्स, खासकर बुन्देलखंड और पहाड़ी इलाके ऐसे हैं, जहां सड़कों की बहुत कमी है, जैसे अल्मोड़ा और टेहरी-गढ़वाल के जिले हैं, बहुत बहुत कमी है।

इस बात को डिसाइड करने के लिए कि किस डिस्ट्रिक्ट में कितनी सड़कें बनायी जायं, इस बात की आवश्यकता थी कि यह भी देखा जाय कि किस डिस्ट्रिक्ट में कितने अन्य साधन यातायात के हैं। जैसे कहीं रेल चलती है, हवाई जहाज चलता है, रिवर से भी चला जा सकता है, लेकिन कुछ डिस्ट्रिक्ट्स ऐसे जरूर हैं जैसे बुन्देलखंड और उत्तर में हिमालय, जहां न हवाई जहाज के न रेल के यातायात हैं। यदि कहीं ऐसा हो तो सरकार की यह ड्यूटी है कि वह यह देखे कि अगर कहीं रेल का यातायात नहीं है तो भारत सरकार को इस बात के लिये प्रेरित करे कि वहां पर रेलें दे। उदाहरण के लिये मैं मंत्री महोदय का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि गढ़वाल में एक सर्वे रेल के लिये सन् १९२४ में हुआ था; वह सर्वे ऋषीकेश से कर्णप्रयाग तक हुआ था। उसकी द्वितीय रिपोर्ट बन गयी थी और इस सम्बन्ध में यहां मैंने एक प्रश्न भी किया था कि क्या मंत्री महोदय ने भारत सरकार को इस बात के लिये सुझाव दिया है या नहीं, लेकिन उसका उत्तर हमें उचित ढंग से नहीं मिला। यह विभाग तो और विभागों का काम करता है। दूसरे विभागों से रुपया मिल गया और वह

[श्री गंगाधर मैठाणी]

काम आपने कर दिया। आपके विभाग ने अपना सबस्टेन्शल काम कितना किया है? इस विभाग का कर्तव्य है कि जहां यातायात के साधन उपलब्ध न हों वहां उनको उपलब्ध करायें।

एक बात मुझे कहना है कि जो कल्टीवेटेड एरिया है, खास तौर से पहाड़ों में, जैसे गढ़वाल, टेहरी, अल्मोड़ा, नैनीताल, वहां रेवेन्यू डिपार्टमेंट की यह हालत है कि वहां इसके रेकार्ड्स नहीं हैं कि वहां पर टोटल कल्टीवेटेड एरिया क्या है। हालांकि मैं टेहरी का रहने वाला नहीं हूं, गढ़वाल का रहने वाला हूं, लेकिन जो वहां ग्रिड और स्टार फार्मूला के मुताबिक फोगर्स निकाली गयी हैं वे ठीक नहीं हैं। वहां रेवेन्यू डिपार्टमेंट के रेकार्ड्स ठीक नहीं हैं। अगर मंत्री महोदय वहां इसका सर्वे करायें तो यह वहां के लोगों के लिये बहुत सुन्दर बात होगी।

इसके बाद मैं मंत्री महोदय का ध्यान इस ओर आकर्षित करूंगा कि आपने बहुत सी नयी सड़कें रखी हैं। उदाहरण के लिये मैं अपने ही डिस्ट्रिक्ट के बारे में कहूंगा हालांकि ऐसे ही और जिलों के बारे में भी होगा। वहां जो आपने गुलाब कोठी से जोशीमठ तक नयी सड़क के नाम से रखा है, तो वह नयी सड़क नहीं है। वह तो प्रथम पंचवर्षीय योजना के अन्दर सन् ५६ में पूरी हो जानी चाहिये। अगर आपने ऐसे ही इनकम्पलीट सड़कों को नयी सड़कों का नाम दिया है तो यह कोई आपने नयी सड़कें नहीं बनायीं। गढ़वाल में तो आपने कोई भी नयी सड़क नहीं दी है। मैं यह समझता हूं कि वहां की डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी ने केदारनाथ की रोड को प्रायरिटी दी थी कि उसे फर्स्ट फाइव ईयर प्लान के फर्स्ट स्टेज में ले लेना चाहिये। आप वहां गये थे और आपने देखा था और चीफ इंजीनियर ने काफी इंट्रेस्ट लिया। बहुत सी सड़कों को द्वितीय पंचवर्षीय योजना के सेकिंड फेज में लेना चाहिये। दूसरी बात की ओर मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि बहुत सी जगह ऐसी है और उसके सम्बन्ध में झूले का जिक्र किया गया है। मैं उनसे कहूंगा कि और बराबर कहता हूं कि दुनिया में, संसार में कहीं भी ऐसे इलाके नहीं होंगे, वहां बड़ी-बड़ी नदियां हों और जिनको बारहों महीने क्रास नहीं किया जा सकता है। वहां घास के झूले हैं जो वहां के लोग जंगलों से घास लाकर रस्सी बनाते हैं और झूला बना कर नदी पार करते हैं। मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं कि इस बात की जानकारी हासिल करनी चाहिये कि ऐसी कितनी नदियां हैं जिनमें घास के झूले हैं। यहां इस युग में जिसे कि ऐटोमिक युग कहा जा सकता है, नदियां घास के झूले से पार की जाती हैं और प्रति वर्ष मृत्यु होती है। जानवर तो पार हो ही नहीं सकते हैं और बहुत से आदमी हर साल मर जाते हैं। तो क्या सरकार की यह ड्यूटी नहीं है कि वह लोगों की लाइफ और प्रोपर्टी को सेफ्टी दे सके? इस दृष्टि से झूले रिप्लेस कर दिये जाने चाहिये।

गत वर्ष झूलों के लिये कुछ रुपया दिया गया था, लेकिन इस वर्ष के आंकड़ों में कुछ नहीं है। यद्यपि लमसम में मद रखी गई होगी। वह मालूम होनी चाहिये। मैं यह बात कहना चाहता हूं कि वहां पर इस बात की नितान्त आवश्यकता है और प्रत्येक वर्ष कितने ही आदमियों की मृत्यु हो जाती है, इसलिये आवश्यकता है कि जहां पर घास के झूले हैं वह रिप्लेस कर दिये जायं।

श्री जयेन्द्रसिंह बिष्ट (जिला टेहरी-गढ़वाल)—अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी की बात हम जानते हैं और उन्होंने कहा भी है कि देश की उन्नति के लिये सड़कें बहुत ही जरूरी हैं और यह भी उन्होंने बतला दिया कि हमारा प्रदेश सड़कों के मामले में कितना पिछड़ा हुआ है। यह सब होते हुये भी हम देखते हैं कि सड़कों की प्लानिंग में पोजीशन यह है कि वह सब से अखीर में रखी जाती हैं। प्रथम पंचवर्षीय योजना में

सड़कों का सातवां नम्बर था और हम यह उम्मीद करते थे कि इस द्वितीय पंचवर्षीय योजना में सड़कों का नम्बर इंडस्ट्रीज के बाद आयगा। लेकिन हमें बड़ा दुःख है कि इस समय भी सड़कों का नम्बर वही है। इस द्वितीय पंचवर्षीय योजना के बजट में १६.१४ करोड़ रुपया सारे प्रदेश की सड़कों के लिये रखा गया है जिसमें ऐक्चुअल न्यू वर्कस पर जो इस योजना में होंगे केवल ८ करोड़ रुपया आता है। हम क्या आशा कर सकते हैं कि हमारे माननीय मंत्री जी सड़कों के मामले में हमारी क्या सहायता कर सकते हैं।

इसी के साथ-साथ मैं यह भी कह देना चाहता हूं कि जो कुछ भी पैसा मंजूर हुआ है वह पूरा खर्च नहीं हो पाता है और प्रति वर्ष रुपया लैप्स होता जाता है। जैसा कि नारायणदत्त जी ने कहा था कि हम चाहेंगे कि पी० डब्ल्यू० डी० का बजट नान-लैप्सेबिल रखा जाय और मंत्री जी कोई ऐसा रास्ता निकालें, जिससे ऐडमिनिस्ट्रेटिव सैंक्शन लेने में जो देर होती है वह उस तरीके से आसानी से प्राप्त हो सके, क्योंकि इधर सदन रुपया मंजूर करता है लेकिन ऐडमिनिस्ट्रेटिव सैंक्शन न मिलने से काम नहीं हो पाता है।

जहां तक टारगेट का सम्बन्ध है इस सदन में माननीय नारायणदत्त जी तिवारी और मैठाणी जी ने उसका जिक्र किया है। स्टार ग्रिड फार्मूले के मुताबिक जो टारगेट जिलेवार निर्धारित किया गया है उससे मुझे एक शिकायत है, इसलिये कि कम से कम जिलों की वास्तविक आवश्यकता की बात मालूम करके टारगेट फिक्स होना चाहिये था। लेकिन कोई सर्वे अभी तक मंत्री जी ने इस बात का नहीं कराया कि प्रत्येक जिले में सचमुच आवश्यकता क्या है? आपने यह स्टार ऐन्ड ग्रिड के फार्मूले पर और दूसरी बातों को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक जिले का माइलेज निर्धारित किया। जैसा अभी मैठाणी जी ने कहा, उसके लिये मैं उन्हें बधाई देता हूं। सही बात उन्होंने कही है और हमारे जिले में इस फार्मूले के मुताबिक कम सड़कें ली गई हैं। इसका कारण यह है कि कल्टीवेटेड एरिया के किसी जमाने के आंकड़े लिये गये होंगे। कल्टीवेशन अब कहीं ज्यादा बढ़ गया है और सड़कों की जरूरत काफी ज्यादा हो सकती है, लेकिन जो सड़कें इस फार्मूले के मुताबिक भी हमारे जिले में बननी चाहिये थीं, वह भी नहीं आ पाई हैं। उसका कारण यह है कि इसी किताब के मुताबिक इसमें बता रखा है कि १६८ मील सड़कें बन चुकी हैं और २६९ टार्गेट था। उस १६८ में, अध्यक्ष महोदय, २८ मील सड़कें ऐसी हैं कि जो मोटरेबिल नहीं हैं, १४ मील है भल्याना से लम्बगांव और १४ मील है टेहरी-घोंटी सड़क। तो यह २८ मील का टार्गेट आपने ज्यादा बता दिया कि मोटरेबिल हैं। यह है नहीं। इन पर मोटरें नहीं चलती हैं और न आपका विभाग मेंटेन कर रहा है। फिर यह २८ मील जो आप लेंगे आगामी पंचवर्षीय योजना में, उनमें आप इसको भी जोड़ते हैं और इस तरह से ५६ मील का यह फर्क यहां पूरा हो जाता है। यहां यह भी बताया गया कि कुल ९३ मील की कमी सारे जिले में है, मैं नहीं समझ सकता कि आखिर यह ९३ मील क्यों है, मैं समझता हूं कि यह कमी अधिक है। इसका थोड़ा

[श्री जयेन्द्रसिंह विष्ट]

सा उदाहरण में आपको, अध्यक्ष महोदय देता हूं। अगर सरकार धरासू से गंगोत्री तक सड़क बनाती है तो ७४ मील तो वह होती है और धरासू से यमनोत्री तक ६५ मील वह होती है, टेहरी से देवप्रयाग तक ३३ मील और चम्बा से मसूरी तक ३० मील और बड़कोट से कालसी ३८ मील है। यह मुख्य-मुख्य सड़कें मैं आपको बता रहा हूं जो बनानी चाहिये। तो इन सब का जोड़ ९३ मील नहीं होता है बल्कि ३०० मील से अधिक होता है। तो इसलिये मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि जो आपकी फैक्ट्स फाइंडिंग कमेटी है और जिसने १५ जिलों में सर्वे किया है और सरकार ने उसे नेक्स्ट फाइव इयर प्लान के काम के लिये बुलाया है, मैं चाहता हूं कि यह पार्टी फिर से सब जिलों का सर्वे करे और फिर आप विचार करें कि किस जिले में कितनी सड़कों की आवश्यकता है।

दूसरी बात आपका जो सिद्धान्त है रोड्स प्रोग्राम का, जैसा अभी दोनों सदस्यों ने कहा, ऐसा होना चाहिये था कि सड़कों को प्राथमिकता प्रेफरेंस उन स्थानों पर मिलना चाहिये जहां कि और कोई साधन यातायात के नहीं हैं, लेकिन यह जो आपका प्लान है उसमें मैं देखता हूं कि कहीं-कहीं तो नेशनल हाईवेज, प्राविंशियल हाईवेज और रेलवेज सब एक साथ पैरेलेल चल रहे हैं और कहीं कुछ नहीं है कुछ जिलों में सरप्लस होते हुए भी उनको सड़कें मिल रही हैं और जहां सड़कों की बहुत आवश्यकता है वहां उनके अनुपात से आप सड़कों का बजट नहीं रखते हैं। माननीय मैठाणी जी ने हेर-फेर से कहा, मैं सही मानों में और खुल्लमखुल्ला कहना चाहता हूं कि पर्वतीय जिलों का पी० डब्ल्यू० डी० के बजट में अधिक हक है और होना चाहिये। इसकी वजह यह है कि अगर आप उनका उत्थान करना चाहते हैं तो जब तक आप कम्यूनिकेशन्स उनके यहां नहीं बढ़ाते हैं तब तक दूसरे आपके काम वहां सफल नहीं हो सकते हैं। दूसरी बात मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि जहां पर न रेल है, न हवाई जहाज जा सकते हैं और न बैलगाड़ी चलती है, कोई दूसरी प्रकार की सुविधा नहीं है, वहां पर एक साधन सिवाय रोड के और कोई नहीं हो सकता है। वहां पर सड़कों का बनाया जाना बहुत जरूरी है। आप किसी भी प्वाइन्ट आफ व्यू से इसको देखें चाहे सिक्यूरिटी प्वाइंट स्केरसिटी दृष्टि से ट्रैफिक यात्रा लाईन तथा विकास की दृष्टि से पर्वतीय इलाकों में सड़कों का बनाया जाना बहुत जरूरी है। हम लोगों के यहां कहीं पर भी आप देखें, तो आपको नमक एक रुपये का तीन सेर से अधिक नहीं मिल सकता है जब कि यहां प्लेन्स में ६ पैसे का सेर भर मिलता है। यह वहां की हालत है। कारण यह है कि वहां आने जाने में, कंट्रोल रेट रहने पर भी, इतना अधिक खर्चा पड़ जाता है कि जिससे सारी वस्तुओं का दाम महंगा हो जाता है। इसलिये हम यह चाहते हैं कि वहां पर जो महत्वपूर्ण सड़कें हैं जिनको मैंने अभी बतलाया है उनको आपको नेशनल हाईवे में सम्मिलित करना चाहिये था नहीं तो उनको प्राविंशियल हाईवे में अवश्य आना चाहिये। इसलिये हमारा निवेदन आपसे यह है कि आप सारे जिलों में सड़कों का कार्य इस प्रकार से शुरू करें जो नये दृष्टिकोण से और नई तरह से सड़कों का बटवारा हो सके।

श्री बलवीरसिंह (जिला मेरठ)—माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सार्वजनिक निर्माण मंत्री जी ने जो अनुदान हमारे सामने रखा है मैं इस पर उनको बधाई देना चाहता हूं। मैं यह भी कहूंगा कि इस मद में यानी पी० डब्ल्यू० डी० की मद से काफी अच्छा काम भी हुआ है और सड़कें बनायी भी काफी गयी हैं। यह भी हुआ है कि जिसको माननीय मंत्री जी ने कहा है कि माडर्नाइजेशन आफ रोड्स भी हुआ है। कुछ सड़कें चौड़ी भी की गयी हैं और अपने भरसक उन्होंने काम भी किया है, लेकिन मैं इतने ही काम को यह नहीं समझता कि यह संतोष-जनक है। इस मद में बहुत ज्यादा काम हो सकता है। जितना रेवेन्यू इसमें खर्च हुआ है उतने रेवेन्यू पर अगर हमारे सरकारी कर्मचारी लगन से काम करें जिस लगन से कि उनको करना

चाहिये तो उतने रेवेन्यू से ज्यादा काम हो सकता था। यह बात ऐसी है कि जिसको मानना पड़ेगा।

अब मैं इसके आंकड़ों पर नहीं जाना चाहता हूं और इन आंकड़ों को माननीय नारायण दत्त तिवारी जी के लिये छोड़ देता हूं और जो बातें इस अनुदान के विषय में हैं उनका ही केवल जिक्र करना चाहता हूं। वह यह है कि हमारे माननीय मंत्री जी ने अपने इस बजट के भाषण में अनुदान को पेश करते हुये एक ऐसी बात कही है जिसको मैं कम से कम यह कह सकता हूं कि मैं सहमत नहीं हूं। उन्होंने यह कहा है कि हमारे इस विभाग में जो कर्मचारी काम कर रहे हैं वह ईमानदार हैं और वे सेवावृत्ति से कार्य करते हैं। चूंकि मेरे पास ऐसा उदाहरण नहीं है जिसको मैं विशेषरूप से सदन के सामने रख सकूं। यह मैं नहीं कह सकता कि वह ईमानदार नहीं हैं लेकिन मैं जहां तक जनता के सम्पर्क में आता हूं और जहां तक इस विभाग की बाबत सुनता हूं वहां तक मेरी राय दूसरी प्रकार की है। जनता इस बात को कहती है और यह समझती है कि इस विभाग में ईमानदारी उतनी नहीं है जितनी होनी चाहिये।

(इस समय १ बजकर १५ मिनट पर सदन स्थगित हुआ और २ बजकर १९ मिनट उपाध्यक्ष, श्री हरगोविन्द पंत, की अध्यक्षता में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

श्री बलवीर सिंह––उपाध्यक्ष महोदय, लंच के लिये उठने से पहले मैं इस बात पर कि हमारे इस विभाग में कर्मचारी बहुत ईमानदार हैं और सेवावृत्ति से काम करते हैं, आपके सामने कुछ शब्द रख रहा था। मैं यहां यह भी कह देना चाहता हूं कि इसके माने यह नहीं हैं, मैं यह समझ बैठा हूं और मैं यह चाहता हूं कि इस सदन का प्रत्येक सदस्य यह समझ ले कि इस विभाग में कोई ईमानदार आदमी है ही नहीं या कोई ऐसा आदमी नहीं है जो सेवावृत्ति से काम करता हो। यह मैं मानता हूं कि हर विभाग में कुछ न कुछ प्रतिशत ऐसा है जो ईमानदार है और सेवावृत्ति से काम करता है लेकिन जहां तक इस विभाग के विषय में मेरा अनुमान है वह यह है कि कुछ थोड़ा सा ही परसेंटेज इस विभाग में ऐसा है जो इस कसौटी पर कस कर निकल सकता है। जहां तक हमारे माननीय मंत्री जी का संबंध है मैं उन पर यह दोषारोपण नहीं करता कि वह इस विभाग को यह भी कि यह ज्यादा ईमानदार नहीं है और सेवावृत्ति से काम नहीं करते हैं, वे उनको शील्ड करते हैं, यह मेरी विचारधारा नहीं है। यह मुमकिन हो सकता है कि वह ऐसा समझते हों और इसका भी कारण हो सकता है। मैं यह भी मानता हूं कि माननीय मंत्री जी ने भरसक और अपनी शक्ति के अनुसार इस महकमे में सुधार किया हो, लेकिन उस सुधार के मानी यह नहीं समझे जा सकते कि इस विभाग के अन्दर पूरा-पूरा सुधार हो गया। इसी विषय के ऊपर मेरी एक सदस्य से बातचीत हुई और उसके बारे में मैं एक छोटा-सा उदाहरण देना चाहता हूं। उपाध्यक्ष, महोदय यदि उस उदाहरण को मैं आपके सामने रक्खूं तो कोई असंगत बात न होगी। उन्होंने कहा कि एक गड़रिये की लड़की शादी होकर आयी। जिस घर में वह आयी उस घर में बदबू बहुत ज्यादा थी। वह पतोहू जिस घर से आयी थी उस घर में भेड़ और बकरियां नहीं थीं। इस घर में भेड़ और बकरियों के कारण बहुत बदबू थी। उसने कहा कि यहां बहुत बदबू है, यह हमारे घर सरीखा नहीं है, अच्छा नहीं है। उसने उसको लीपा, पोता और साफ किया, चौका दिया, दीवारें झाड़ीं लेकिन वे भेड़ और बकरियां वहीं रहीं। अब उसे मालूम हुआ कि बदबू नहीं रही। इसके

[श्री बल बीर सिंह]

दो कारण हो सकते हैं। एक तो उसकी यह भावना कि मैंने इसको साफ कर दिया है और दूसरी यह कि वह वायुमंडल और बदबू उसके मन में बस गयी और इसीलिये वह पतोहू यह कहने लगी कि अब इस घर में कोई बदबू नहीं है। जैसी मेरी माता का घर है वैसा ही यह घर भी है। तो इस तरह की कोई बात हो सकती है। लेकिन इसमें हमारे मंत्री महोदय का कोई दोष नहीं है। हमारे इस विभाग की गन्दगी का दोष है जो काफी अर्से से चला आ रहा है।

मैं आपकी आज्ञा से सरकार को सुझाव देना चाहता हूं। मेरा सुझाव इसके लिये यह है, हालांकि मैं इंजीनियर नहीं रहा हूं और इंजीनियरिंग स्किल से ज्यादा तजुर्बा मुझे नहीं है, लेकिन जहां तक मैं अनुमान लगा सकता हूं अगर इस विभाग को २ शाखाओं में बांट दिया जाय एक तो वह शाखा जो कार्य को करावे और दूसरी वह शाखा जो पेमेंट करे या फाइनेंसेज से जिस का संबंध हो। तो इस तरह से मुमकिन है कि सुधार हो जाय और विभाग की गन्दगी दूर हो जाय और अगर विभाग के कर्मचारी अपनी सेवा वृत्ति या सेंस आफ ड्यूटी से काम करें तो जितने फजूल के खर्च हैं वह बच सकते हैं और बहुत कम में काम हो सकते हैं और दिखाया जा सकता है कि यू० पी० में इतना उत्तम कार्य हो रहा है। मंत्री जी ने कहा कि पिछड़े हुये जिलों में ज्यादा काम करने की जरूरत है, यह मैं मानता हूं लेकिन मंत्री महोदय ने यह बात नहीं बतलायी कि पिछड़े हुए कौन से जिले हैं। क्या वह मेरठ जिले को भी पिछड़ा हुआ जिला मानते हैं? अगर वह उसको पिछड़ा हुआ कहते हैं तो मैं उनसे प्रार्थना करूंगा कि वह मेरठ में भी उसको पिछड़ा हुआ जिला समझकर उतना ही काम करायें जितना वह पहाड़ी या दूसरे पिछड़े हुये जिलों में कराना जरूरी समझते हैं। अब मंत्री महोदय को यह बात खटकती है लेकिन मैं उनसे क्षमा चाहता हूं, मेरठ के संबंध में मैं भी उतनी ही जानकारी रखता हूं जितनी एक सदस्य को होना चाहिये और हमारे माननीय राम नरेश जी कहते हैं कि मंत्री जी भी उतनी ही जानकारी रखते हैं, वह रखते हैं या नहीं इस के बारे में मैं आगे बताऊंगा कि जानकारी होते हुये भी ऐसी बात हो जाती है कि जैसे "चिराग तले अंधेरा"। उपाध्यक्ष महोदय, डासना मंत्री महोदय की कांस्टीटुएंसी से मिला हुआ है लेकिन यह हमारा दुर्भाग्य है कि मंत्री महोदय को उस तरफ जाने का संयोग नहीं पड़ा।

मैंने सन् ५५ में मंत्री महोदय को दो बार पत्र लिखे और वह एक सड़क के विषय में थे जो गुलावटी से डासना होती हुई गाजियाबाद को चली जाती है और गाजियाबाद ही तहसील का हेडक्वार्टर है, जहां पर इस समय २ मुंसिफ रहते हैं, मुंसिफी भी वहीं पर है, सब-डिवीजनल आफिसर, जुडीशियल मैजिस्ट्रेट, स्पेशल मैजिस्ट्रेट भी वहीं रहते हैं, कहने का मेरा मतलब यह है कि उस सड़क से ही सारा जनता का काम गाजियाबाद आकर होता है। मैंने मंत्री महोदय को सुझाव दिया था कि इस सड़क को पक्का कर दिया जाय और वह इस सिलसिले में था कि जो सड़क सयाने से गाजियाबाद को जाती है वह गुलावटी तक तो ठीक कराई गई लेकिन गुलावटी से आगे उस सड़क का बनना विभाग जरूरी नहीं समझता, एक अन्डर सेक्रेटरी साहब, श्री डी० डी० अग्रवाल हैं जो शायद एल० एल० बी० भी हैं उन्होंने मुझे उस पत्र का उत्तर दिया और उन्होंने उसमें यह लिखा कि अभी उस से ज्यादा जरूरी सड़कें और हैं जो पहले बनेंगी और इस सड़क को अभी कंसीडर नहीं किया जा सकता। उन्होंने वजह ऐसी दी और लिखा कि "फ्राम पेनी कंसिडरेशन्स" वह टाप प्रायर्टी की मुस्तहक नहीं हो सकती, अगर वह टाइप मिस्टेक थी तो वह दस्तखत करने से पहले देख लेते और अगर उसकी जरूरत नहीं है तो वह क्यों नहीं है। तो समझ में नहीं आता कि कौन से कारण हैं जिनसे दूसरी सड़क को ज्यादा जरूरी समझा जाता है और वह सड़क जिसकी गाजियाबाद हेडक्वार्टर पर जाने के लिये जनता को रोज जरूरत पड़ती है उसको जरूरी नहीं समझा गया।

श्री धनुषधारी पान्डेय (जिला बस्ती)––माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो अनुदान माननीय मंत्री जी ने इस सदन के सामने उपस्थित किया है उसका मैं समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। माननीय मंत्री जी व्यक्तिगत रूप से और माननीय मंत्री जी के उपमंत्री जी यदि कोई काम निर्माण विभाग का रक्खा जाता है तो उसको अच्छी तरह से सुनने के लिये तैयार रहा करते हैं, लेकिन मैं माननीय मंत्री जी से दो तीन बातें जानने के लिये प्रयत्न करूंगा और आशा करूंगा कि वह अपने बजट के समय में उसका उचित उत्तर मुझे देंगे। गत वर्ष जिस समय बजट सेशन चल रहा था उस समय वे भी नये थे। उनके सामने नये-नये प्रश्न आये और उनका उन्होंने उत्तर दिया। उसके बाद हम लोगों से बातें हुईं तो माननीय मंत्री जी ने कहा कि यह बजट जो आया था उसको हमने देखा नहीं था। विभाग के अधिकारियों ने इसको बनाया था और रक्खा था। माननीय उपाध्यक्ष महोदय आपके द्वारा मैं उनसे यह जानना चाहूंगा कि उन्होंने इन शब्दों को कहा था कि आगे चल करके जो जिले पिछड़े हुये हैं और जिनकी लिस्ट मेरे सामने है, जिसको मैं देख रहा हूं उनको जिस तरह से आगे और पीछे देख रहा हूं उनके लिये उसी तरह से प्रयत्न करूंगा। मैंने इस बजट को देखा और जबकि साल भर का उनका जमाना गुजर रहा है मैं उन जिलों को उसी तरह से देख रहा हूं जिस तरह से पहले मैंने देखा था। मैं बस्ती जिले का एक निवासी हूं। मैं अपने जिले को जिस प्रकार पहले देख रहा था उसी तरह से आज देख रहा हूं। माननीय मंत्री जी कहेंगे कि बांसी का पुल बन रहा है, नौगढ़ की सड़कें बन रही हैं और लुम्बनी गारडेन तक कुछ काम हो रहे हैं लेकिन मैं उनसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि ये जो सड़कें बन रही हैं, जो पुल बन रहा है यह प्रांतीय सरकार के रुपये से नहीं है। यह जो आपके बुद्ध भगवान की जयन्ती मनाई जा रही है उसके लिये यह तैयारी की जा रही है। अगर बुद्ध भगवान की जयन्ती न मनाई जाती तो मुझे आशा है कि काम भी न होता।

मैं आपके द्वारा माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस सदन का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि बस्ती जिला वह जिला है जिसमें नदियां उसके एक अंग से दूसरे अंग को अलग करती हैं। एक हिस्सा दूसरे अंग से कट रहा है। इस क्षेत्र में माननीय मंत्री जी और माननीय उप मंत्री जी दोनों गये हैं और उन्होंने इन क्षेत्रों को देखा है। बांसी का इलाका ऐसा इलाका है जिसमें एक गांव वाले दूसरे गांव वाले से ६,६ महीने तक नहीं मिल पाते हैं। खलीलाबाद के दक्षिण का जो क्षेत्र है, घाघरा और कुवानो नदी के कुछ ऐसे गांव हैं। जिनने ६,६ महीने तक लोग नहीं मिल पाते हैं। मैं यह चीज आपके सामने रखना चाहता हूं कि सन् ५४ में माननीय पंत जी जब मुख्य मंत्री थे तो नवम्बर के महीने में मुखलिसपुर घाट पर गये। माननीय पंत जी ने वहां पर पब्लिक मीटिंग में यह आश्वासन दिया कि मुखलिसपुर का पुल जल्दी से जल्दी बनाया जायगा। वहां से लौटने के बाद पंत जी से पूछा कि आपने क्या किया है तो उन्होंने कहा कि ११ नवम्बर को मैंने एक पत्र पी० डब्लू० डी० को लिखा है। उस पत्र को भी मैंने देखा लेकिन उस पत्र पर अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है। ८ नवम्बर, १९५५ को मुख्य मंत्री डा० सम्पूर्णानन्द जी फिर उसी जगह पर गये। मैंने प्रयत्न किया आगे बढ़ाने के लिये लेकिन अधिकारियों ने कहा कि आगे मोटर टूट जाती है, उनकी कमर में चोट न लग जाय उनको यह दिक्कत न हो, वह दिक्कत न हो। सौभाग्यवश मुझ से कहा गया कि माननीय आचार्य जी वहां जायेंगे। मैंने आचार्य जी से निवेदन किया तो उन्होंने बनबसा तक जाने के लिये सहर्ष स्वीकार कर लिया।

[श्री धनुषधारी पांडे]

में आचार्य जी को वहां ले गया। आचार्य जी ने कुछ गांवों को देखा। एक गांव से दूसरे गांव को जाने में कितनी कठिनाई होती है इसको उन्होंने स्वयं देखा है। वहां ऐसी दशा है कि लोगों के खाने का ठिकाना नहीं है, पशुओं के चारे का ठिकाना नहीं है। पानी पीने के लिये कुयें तक नहीं है, जिनको अपनी आंखों से आचार्य जी ने देखा है। वहां की दशा देखने के बाद मुझे आशा थी कि आचार्य जी ने शायद सरकार का ध्यान इस ओर दिलाया होगा कि कुंवानों पर पुल बन जाय और सड़कें बन जायं। जब से सूर्य और चन्द्र उदय होते हैं, जब से मानव समाज की सृष्टि हुई है तब से, मैं सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं, आजतक उस क्षेत्र में एक पैसा खर्च नहीं किया गया। वहां एन० ई० एस० ब्लाक खुला है लेकिन सड़क न होने के कारण, पुल न होने के कारण एक कदम भी आगे एन० ई० एस० ब्लाक नहीं बढ़ पाया है। इतना ही नहीं कोई भी अधिकारी, उच्चाधिकारी की हिम्मत नहीं होती कि वह उस क्षेत्र में जाकर उस क्षेत्र की दशा को देखे। यह बात कही जाती है कि विभाग में सेवा भाव से काम किया जाता है। मैं जरूर जानता हूं और इसको जरूर कहने को तैयार हूं और हिम्मत के साथ तैयार हूं कि माननीय मंत्री जी, और उपमंत्री सेवा भाव को लेकर आये हुये हैं। वे केवल सेवा भावना से प्रेरित हो कर काम करते हैं। मैं नहीं जानता कि और लोग किस भावना से कार्य कर रहे हैं। पी० डब्लू० डी० में जो कुली हैं, उनके साथ क्या व्यवहार होता है, जो साप्ताहिक या माहवारी वेतन पाते हैं उसके साथ क्या व्यवहार होता है, उनसे किस तरह से काम लिया जाता है, मैं उस ईमानदारी का एक उदाहरण आपके सामने रखना चाहता हूं। खलीलाबाद तहसील की एक इमारत की नौ-नौ बार छतें गिरीं, उसकी दीवारें खिसक रही हैं और प्लास्टर गिर रहा है, जिसको स्वयं माननीय उपमंत्री जी ने देखा है। यह ईमानदारी का नमूना है या भ्रष्टाचार का नमूना है? मैं नहीं जानता कि यह गाड़ी कैसे चलेगी।

एक बात मैं और कह देना चाहता हूं अगर वहां की सड़कों को देखा जाय डुमरियागंज से बस्ती को जो सड़क जाती है, खलीलाबाद से मेंहदावल जो सड़क जाती है, और खलीलाबाद से मुखलिसपुर को जो सड़क जाती है, उनको अगर देखा जाय तो पता चलेगा कि कितनी ईमानदारी से काम हुआ है। इन सब बातों को देख कर मैं यही कह सकता हूं कि मेरे जिले के साथ जो व्यवहार हो रहा है वह वही व्यवहार किया जा रहा है जो कि अंग्रेजों के जमाने में व्यवहार किया गया। यह कहा जाता है कि बेकारी और भुखमरी दूर करने के लिये कई जिलों में काम किया जा रहा है। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि भुखमरी बस्ती में नहीं, गोरखपुर में नहीं है, आजमगढ़ में नहीं, गाजीपुर में नहीं है, मैं प्रतापगढ़ को भी जोड़ लेता हूं, तो क्या यह भुखमरी दिल्ली में है, इंग्लैन्ड में है अमेरिका में है। मुझसे यह कहा गया कि भुखमरी दूर करने के लिये व्यवस्था इस योजना में की गयी है, आपके जिले में भी वह रखी जायगी। लेकिन जब मैंने उस पुस्तिका को उठा कर देखा तो मैंने देखा कि मेरा जिला दूर फेंक दिया गया और कुछ दूसरे जिले भी दूर फेंक दिये गये हैं।

एक बात मैं अवश्य कह देना चाहता हूं। गत वर्ष माननीय शिवनारायण जी ने कुछ बातें कहीं थीं जिन पर माननीय मंत्री जी ने कहा कि मुझे धमकी दे रहे हैं। मैं धमकी नहीं देना चाहता हूं। मैं केवल यही चाहता हूं कि हमारा हक मिले, जन संख्या के ऊपर अनुपात के ऊपर हमारा हक है। मेरा जिला पिछड़ा जिला है, उस नाते से और मानवता के नाते से मंत्री जी को हमारा हक देना चाहिये। हमारा हक मिलना चाहिये। न्याय को देखते हुये माननीय मंत्री जी उस पर ध्यान दें।

श्री रामेश्वर लाल (जिला देवरिया)---मान्यवर, मैं प्रस्तुत कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। जहां तक इस अनुदान के प्रस्तुत करते समय माननीय मंत्री जी के भाषण का संबंध है मैंने उसे बड़े गौर से सुना। जैसा कि उन्होंने कहा माननीय मंत्री जी को

१९५६-५७ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान—अनुदान संख्या २८१
३०—लेखा शीर्षक ५०—नागरिक निर्माण—कार्य निर्माण कार्यों पर लागत,
अनुदान संख्या ३१—लेखा शीर्षक ४०—नागरिक निर्माण कार्य और
केन्द्रीय सड़क निधि से वित्तीय सहायता, अनुदान संख्या ३२—लेखा
शीर्षक ५०—नागरिक निर्माण-कार्य और ८१ राजस्व लेखे से
बाहर निर्माण-कार्यों की पूंजी का लेखा तथा अनुदान संख्या
४६—लेखा शीर्षक ८१—राजस्व लेखे के बाहर
नागरिक निर्माण कार्यों का पूंजी लेखा

विश्वास है कि कार्यकर्ता बड़ी ईमानदारी के साथ कार्यरत हैं मैं यह, समझता हूं कि यह विश्वास सिर्फ इसलिये है कि माननीय मंत्री जी स्वयं एक बहुत ही सचरित्र आदमी हैं और हमेशा एक अच्छा आदमी बुरे आदमी को भी अच्छे दृष्टिकोण से ही देखता है। इसलिये माननीय मंत्री जी ऐसा सोचते हैं इस विभाग के बारे में। लेकिन वाक्यात यह हैं कि यदि इस विभाग की गहराई में जा कर देखा जाय और जो हमारे इस सदन के माननीय सदस्य अपने जिलों से आये हुये हैं उनसे माननीय मंत्री जी कृपया पूछें तो वह इस नतीजे पर पहुंचेंगे कि शायद अपने प्रांत में आबकारी के बाद सिर्फ एक यही विभाग है जहां काम कर थोड़े दिनों में काफी पैसा कमाया जा सकता है और देखने को यह मिला है कि १५० रु०, १५० रु० की तनख्वाह पाने वाला ओवरसियर अपने दो वर्ष की नौकरी के बाद मोटर साइकिल तो अवश्य ही खरीद लेता है और जो कुछ भी चार्जेज करप्शन की रिपोर्टों के आधार पर हमको मिली हैं, कहा जा सकता है, विश्वास के साथ कि पी० डब्लू० डी० जो है उसका नाम सार्वजनिक निर्माण विभाग है लेकिन वह जो काम करता है वह सार्वजनिक हित के लिये भले ही हो, लेकिन जो ढंग है करने का वह सार्वजनिक हित के विरुद्ध है। मैं समझता हूं कि इस सदन के दो महारथी यह समझ कर ही नियुक्त किये गये हैं, मंत्री और उप-मंत्री के स्थान पर कि वह करप्शन को दूर कर सकेंगे। लेकिन अगर पहले ही यह विश्वास हो जाय कि विभाग अच्छा है तो मैं समझता हूं कि असफलता ही हाथ लगेगी। श्रीमन्, मैं समझता हूं जिलों में विधान सभा के सदस्यों के सहयोग की कमेटी बनाई गई है जो बहुत से जिलों में नहीं बन पाई है उसका काम है कि वह भ्रष्टाचार निवारण करे इस विभाग में सहयोग दे इन कामों में। मैं समझता हूं कि जो प्रगति इस तरह की समिति बनाने पर हुई है स्वयं मंत्री जी और सदन उसकी जानकारी रखे तो इस नतीजे पर पहुंचेंगे कि हम बहुत ही धीमी गति से उस तरफ जा रहे हैं। आवश्यकता इस बात की है यदि मंत्री जी समझते हैं इस विभाग से भ्रष्टाचार दूर करना चाहिए जो देश की जैनुइन आवश्यकता है जैसा कि इस पुस्तिका द्वारा मानने को हम लोग मजबूर हैं, कि यातायात के साधन किसी भी देश के लिये और शिक्षित कहलाने वाले देश के लिये बहुत आवश्यक है, तो हम इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि यदि सार्वजनिक निर्माण विभाग में सार्वजनिक हित के लिये जो काम होता है वह भ्रष्टाचार से रहित काम होता है तो देश की जो निधि है जो पूंजी है उसकी छीज नहीं होती। और यदि भ्रष्टाचार के साथ होता है तो वह राष्ट्रीय पूंजी की छीज है।

मैं समझता हूं माननीय मंत्री जी ध्यान देंगे और आवश्यकता इस बात की है ध्यान देने के लिये कुछ क्रांतिकारी कदम उठाया जाय। इसके लिये मैं सबसे पहले यह सुझाव दूंगा कि जो पी० डब्लू० डी० में काम करने वाले कर्मचारी कितनी ही संख्या में अस्थायी हैं, काम करते हैं, १५,२० साल से काम करने वाले कर्मचारी जो अस्थायी जगहों पर काम करते हैं, मुझे जहां तक पता है कई जगह पी० डब्लू० डी० में जिले के हेडक्वार्टर पर दो एक आदमी ऐसे हैं, जो स्थायी हैं बाकी सब अस्थायी हैं। मैं कहना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी लोगों को स्थायी करने की तरफ कदम उठायें और उन कार्यकर्त्ताओं के जो त्रिशंकु की तरह से हमेशा लटकते रहते हैं उस विभाग में वह अपनी जिन्दगी और नौकरी स्थिर नहीं समझते, उनके बारे में विचार करना चाहिये।

दूसरी बात ठेकेदारी प्रथा है, जो एक तरह से करप्शन की मूल है, उसमें कोई आमूल परिवर्तन करने की आवश्यकता है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जिले के हेडक्वार्टर पर इंजीनियर से लेकर नीचे तक सब ठेकेदारों से मिले रहते हैं और उसकी मुनाफे की कमाई में,

[श्री रामेश्वर लाल]

गैरहाजिरी करके मजदूरों को, ज्यादा मजदूरी लगा कर और कम रेट देकर जो मुनाफा प्राप्त होता है उसमें हिस्सा पाते हैं। मंत्री जी को विश्वास करना चाहिये और यदि नहीं तो जिले के माननीय सदस्यों से इसकी जानकारी करें। तो मैं चाहता हूं कि ठेकेदारी प्रथा के बारे में विचार करके कम से कम कोई आमूल परिवर्तन करने की तरफ ध्यान देंगे, और परिवर्तन करने की आवश्यकता है।

जहां तक सड़कों का सवाल है मैं आपके द्वारा माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि जितने इस प्रांत के जिलों में हेडक्वार्टर हैं वह सब अधिकतर उस जिले के मध्य में हैं। आप किसी भी जिले को लीजिये, उसके जिले में ही उस जिले का हेडक्वार्टर है और जिले के हेडक्वार्टर से कस्बे बहुत दूर-दूर हैं। उन कस्बों को उनसे मिलाने की कोई योजना नहीं है। मैं यह बताना चाहता हूं कि जैसे कि अपने देश को पाकिस्तानी हमले का हमेशा खतरा बना रहता है उसी तरह से जहां हमारे प्रांत की सरहदें हैं उन सरहदों पर हमेशा दूसरे प्रांत वालों का खतरा बना रहता है। स्मग्लिंग होती है, चोरियां होती हैं, डकैती आते हैं और पुलिस पहुंच नहीं पाती है। तो जरूरत इस बात की है कि प्रांत के वह सब से पिछड़े इलाके जो कि त्याज्य हैं, जिनके साथ कि यह सरकार हमेशा से सौतेले लड़के की तरह से व्यवहार करती आयी है, और जो बार्डर के इलाके हैं, उन बार्डर के इलाकों में कम से कम एक सड़क ऐसी बना दी जाय गोल जो कि उसके सारे कस्बों को मिलाती हो, इससे राज्य को भी सुविधा होगी, हम लोगों को भी सुविधा होगी और जो बार्डर के इलाके में रहने वाले हैं उनको भी सुविधा होगी।

*श्री रामस्वरूप भारतीय (जिला प्रतापगढ़)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो अनुदान इस समय सार्वजनिक निर्माण विभाग का भवन के सम्मुख प्रस्तुत हुआ है, मैं उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। उपाध्यक्ष महोदय, किसी भी देश को जल्द से जल्द सम्पन्न बनाने तथा और मानों में उन्नति के लिये यह आवश्यक है कि देश में यातायात के साधन अच्छे हों। जहां तक प्रांतीय सरकार का संबंध है वह इसी दृष्टिकोण से सड़कों के निर्माण का कार्य कर रही है। जहां तक पहली पंचवर्षीय योजना में सड़कों के निर्माण का कार्य है, उसमें काफी कार्य हुआ है। सन् १९५१ के पहले कच्ची और पक्की जितनी भी सड़कें थीं और आज सन् १९५१ के बाद जो सड़कें बनी हैं कच्ची तथा पक्की, उनको देखने से यह पता चलता है कि सचमुच में इस विभाग ने काफी कार्य किया है। अब जहां तक द्वितीय पंच वर्षीय योजना की बात है उसमें जो रुपया सड़कों के निर्माण कार्य के लिये रखा हुआ है मेरी समझ में वह सड़कों की आवश्यकता को देखते हुये बहुत ही कम है, लेकिन फिर भी सरकार को जो साधन उपलब्ध हैं उनके अनुसार वह इस बात के लिये प्रयत्नशील है कि प्रदेश के अन्दर अधिक से अधिक सड़कों का निर्माण हो। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे जिले में प्रतापगढ़ के अन्दर एक परगना बिहार है। उस परगने में आज तक न तो अंग्रेजी सरकार में न इस सरकार के जमाने में कोई भी कार्य हुआ है। उस इलाके से होकर के डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की एक सड़क गयी हुई है जिसकी हालत इतनी खराब है कि वह यातायात के लिए बिल्कुल बेकार है। कई सालों से उस एरिया में बराबर बाढ़ आ रही है। सरकार की तरफ से दी जाने वाली सहायता वहां उचित समय पर पहुंच नहीं पाती है इस वर्ष माननीय मंत्री जी या उपमंत्री जी यह कहें कि सरकार ने बड़ी भारी कृपा की कि वहां की जनता के दुख को सुना और उस सड़क को द्वितीय पंचवर्षीय योजना में शामिल कर लिया। उस सड़क का नाम है लालगोपालगंज जठवारा सड़क। वहां की जनता इस लालगोपालगंज जठवारा सड़क के द्वितीय पंचवर्षीय योजना में लिये जाने के लिये बहुत आभारी है और मैं माननीय मंत्री जी को हार्दिक धन्यवाद देता हूं वह जिले का ऐसा हिस्सा है कि बहुत ही उपजाऊ है। उपजाऊ होते हुये और तमाम कृषि संबंधी उत्पादन के होते हुये भी वहां की जनता कोई उसका विशेष लाभ नहीं उठा सकी।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अब चन्द शब्द में माननीय मंत्री जी की सेवा में सुझाव के तौर पर करना चाहूंगा। पहली चीज यह है कि जो सड़कें बन चुकी हैं अब तक सार्वजनिक निर्माण विभाग की तरफ से उन पर बहुत से स्थानों में वर्षा के पानी निकलने के स्थान नहीं हैं, न पुलिया है और न पुल है। इससे दिक्कत यह होती है कि वर्षा का पानी इकट्ठा हो जाता है। उसके फलस्वरूप तमाम गांव डूब जाते हैं और फसलें बरबाद हो जाती है फिर पब्लिक को मजबूरन सड़कों को काट देना पड़ता है और उस समय सरकारी कर्मचारी उन लोगों को जो मजबूरन सड़कों को काटते हैं उन्हें गिरफ्तार करते है और उन लोगों को तमाम दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। मैं इस विषय में यह कहना चाहूंगा कि जो सड़कें बन चुकी हैं और जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना में बनने वाली है उनकी ओर सरकार को विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है और ऐसे स्थानों में इन पर पुलिया और पुल बनने चाहिये जहां पर आसानी से वर्षा का पानी निकल सके और इसके लिये उन्हें पब्लिक की राय भी लेनी चाहिये।

दूसरी चीज यह है कि जिला बोर्डों की बहुत सी सड़कें कच्ची हैं। उनकी हालत दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही है। सरकार या तो उन्हें ही अनुदान देकर उनको ठीक कराने की कोशिश करें या उनको स्वयं अपने हाथ में लेने की बात सोचें।

मैं एक बात की तरफ और माननीय मंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहता हूं और वह यह है कि सार्वजनिक निर्माण विभाग की वे सड़कें जो बड़ी-बड़ी बस्तियों और बाजारों से होकर गुजरतीं हैं। तो उनके उन भागों पर जो इन बस्तियों से होकर गुजरती हैं उनपर या तो सीमेंट या कंकरीट पड़ती है, लेकिन हमारे यहां एक रोड है लालगंज से कालाकांकर उस पर ऐसी व्यवस्था नहीं की गई है। जनस्वास्थ्य की दृष्टि से इन बाजारों के सामने तार-कोल या कंकरीट इस सड़क पर पड़ना नितान्त आवश्यक है क्योंकि यह ऐसी सड़क है जिसपर बहुत सी लारियां चलती हैं और धूल उड़ने की वजह से खाने पीने की चीजें खराब होती है और उसको पब्लिक खाती है जिससे उनके स्वास्थ्य पर बड़ा बुरा प्रभाव पड़ता है। इन शब्दों के साथ मैं माननीय मंत्री जी को इन प्रस्तावित अनुदानों के लिये धन्यवाद देता हूं और आशा करता हूं कि जो थोड़े से सुझाव मैंने दिये हैं उन पर वे अवश्य ध्यान देंगे।

श्री बेचनराम गुप्त (जिला बनारस)––उपाध्यक्ष महोदय माननीय मंत्री जी और उनका विभाग जो सेवायें इस प्रांत की कर रहा है उसके लिये वे बधाई के पात्र हैं। होना तो यह चाहिये था कि कृषि के बाद सरकार का ध्यान यातायात की ओर जाता। हमारा यह अनुभव है कि कुछ जिलों में ऐसे स्थान हैं जहां से काश्तकार अपने गल्ले को बाजारों में नहीं ले जा सकते और उसका परिणाम यह होता है कि सस्ते दामों पर उन्हें गल्ला वहीं बेचना पड़ता है। अधिक अन्न उपजाओ योजना के बाद अगर किसी दूसरी योजना की आवश्यकता थी तो यातायात की सड़कों पर अधिक से अधिक रुपया खर्च किया जाता। मुझे तो अफसोस है कि माननीय मंत्री जी ने जो रुपया सड़कों के लिये मांगा है वह प्रांत की जरूरतों को देखते हुये बहुत कम है। साथ ही साथ में यह भी बतलाना चाहता हूं कि छोटे-छोटे उद्योग धंधे कभी सफल नहीं हो सकते हैं जब तक हमारे प्रांत में सड़कें न हों। इस वास्ते यह नितान्त आवश्यकता थी कि गल्ले की अधिक उपज के बाद सरकार का ध्यान सड़कों पर जाता किन्तु खेद है कि वह सड़कों पर न जा करके सरकार ने उद्योग धंधों को उसके बाद लिया है।

[श्री बेचनराम गुप्त]

एक दो और खामियों की ओर मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान दिलाता हूं और आशा करता हूं कि उस पर वे गम्भीरतापूर्वक विचार करेंगे। जो उन्होंने साहित्य हम लोगों को दिया है उसके पढ़ने से यह मालूम होता है कि उनके विभाग की प्रगति बहुत मन्द है। मैं उदाहरण के लिये यह पढ़ता हूं—

"ऐसे कार्यों की तालिका जो प्रथम पंचवर्षीय योजना के अतिरिक्त स्वीकृत किये गये हैं और उनमें जो प्रगति की गयी है नीचे दी जाती है—

नयी पक्की सड़कों का निर्माण ५५ तक—५७१ मील उनका टार्गेट था जिसमें बनी २३ मील।

पक्की सड़कों का सुधार व पुनः निर्माण—८८० मील टार्गेट था जिसमें बनी १३६ मील।

ओ० डी० और बी० सड़कों का पक्की करना— ३१८ मील टार्गेट था जिसमें बनी १० मील"।

इसके अलावा और भी कई सड़कों के अनुभव से मैं कहता हूं कि जो प्रगति उनकी है वह बहुत मन्द है। उदाहरण के लिये मैं यह बताता हूं कि १९५४-५५ के बजट में बनारस जिला की ज्ञानपुर तहसील में महाराजगंज में चार फर्लांग सड़क बनाने के लिए २० हजार रुपया सप्लीमेंटरी बजट के द्वारा दिया गया था। मुझे खेद के साथ कहना पड़ता है कि दो वर्ष में भी चार फर्लांग सड़क आज तक नहीं बनी। तो इससे मंत्री महोदय समझ सकते हैं कि उनके विभाग की जो प्रगति है वह बहुत मन्द है। इसके अलावा माननीय मंत्री जी जानते होंगे कि बनारस से सेवापुरी की सड़क १५ मील की है और पारसाल उसके लिये ४ लाख रुपया रखा गया था और ५० हजार रुपया मिट्टी फेंकने के काम के लिये रखा गया था। इसके कहने की आवश्यकता नहीं है कि सेवापुरी से बनारस की सड़क बहुत आवश्यक सड़क है, बाहर से लोग आते हैं, बहुत से प्रशिक्षणों का केंद्र है। माननीय मंत्री जी गये होंगे और उन्होंने देखा होगा कि आज तक शायद एक मील में भी मिट्टी न पड़ी है और ५० हजार रुपया शायद अभी तक खर्च न हुआ होगा। इसी प्रकार से और भी सड़कें हैं। हमने उनके विभाग के कर्मचारियों से इस सिलसिले में बातचीत की। तो उन्होंने बताया कि साहब, हमारा क्या दोष है। बजट पास होता है दो तीन महीने के बाद वह जिलों में पहुंचता है। उसके बाद रफ एस्टीमेट बनता है फिर डिटेल्ड एस्टीमेट बनता है। इसके बाद टेंडर मांगे जाते हैं। होते-होते दिसम्बर आ जाता है और तब काम शुरू होता है। अधिकतर यह होता है कि जो बजट में रुपया हम रखते हैं उसका अधिकांश भाग खर्च नहीं हो पाता है परन्तु विभाग के लोग जब देखते हैं कि मार्च खत्म हो रहा है तो दिखला देते हैं कि वह रुपया खर्च हो गया और उसके बाद भी काम जारी रहता है। मैं आशा करता हूं कि माननीय मंत्री जी इन सब त्रुटियों पर ध्यान देंगे।

*श्री मथुराप्रसाद त्रिपाठी (जिला फर्रुखाबाद)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो अनुदान सार्वजनिक निर्माण मंत्री जी ने सदन के सामने मंजूर होने के लिये रखे हैं मैं उनके समर्थन में बोलने के लिये खड़ा हुआ हूं। इसके साथ ही जहां मंत्री जी ने यह कहा है कि उनके विभाग के कर्मचारी बड़े परिश्रम, मेहनत और लगन से कार्य कर रहे हैं, तो ऐसा उनको कहना ही चाहिये था, क्योंकि उनको उन कर्मचारियों से काम लेना है। साथ ही क्योंकि मंत्री जी को इस विभाग के साथ-साथ और भी दूसरे महान कार्यों को संभालना पड़ता है, जैसे भूदान और गांधी आश्रम का बहुत सा काम है इस वजह से वह इस विभाग के काम में अपना पूरा समय नहीं दे पाते हैं और विभाग के कर्मचारियों को इस तरह से बधाई देकर उनसे काम लेना उचित ही प्रतीत होता है। इसके साथ ही साथ जहां तक मैंने ईमानदारी वाली बात को समझा है मैं उसकी

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

साईड करूंगा। इस विभाग के जो नीचे के कर्मचारी हैं उनको ईमानदार कहें या कुछ भी कहें उनको बेईमानी के लिये मांगना नहीं पड़ता है। उनका सब कुछ बंधा हुआ है यानी उनका बंधा हुआ कमीशन है १२ या १६ प्रतिशत जो कुछ भी हो, वह बंधा हुआ और उनको बिना मांगे ही मिल जाता है। मांगने की कोई आवश्यकता ही नहीं पड़ती। इसको जोड़ कर मैं मानूंगा कि यह विभाग ईमानदारी से काम कर रहा है।

जहां तक माननीय मंत्री जी ने कहा कि हमने पिछड़े हुये जिलों में अधिक काम लेने की बात रखी है। लेकिन मुझे तो यह याद पड़ता है कि पिछड़े हुये जिलों की बात इसमें नहीं है। जहां तक स्टार ग्रिड फारमूले की बात है उसके अनुसार काम लेने की बात हुई थी। लेकिन आज मैं देखता हूं कि जिन जिलों में प्रथम पंचवर्षीय योजना में काफी काम हो चुका है, उसके बाद भी वहां काफी काम लिये जा रहे हैं और जो पिछड़े जिले हैं उनका कोटा पूरा नहीं हो रहा है। जहां तक मेरे जिले फर्रुखाबाद की बात है, प्रथम पंचवर्षीय योजना में ४२ मील काम रह गया था। लेकिन एक पर्चा बांटा गया है उसके अनुसार उसमें ३४ मील सड़क के निर्माण के लेने की बात रखी गई। लेकिन मैं देखता हूं कि केवल १२ मील सड़क के टुकड़े के लिये जाने की बात की जा रही है। मैं यह कहूंगा कि जो टुकड़ा लिया जा रहा है वह भी जनता की मांग का टुकड़ा नहीं है। यदि मंत्री जी मुझे समझ लेंगे तो मैं उनके सामने प्रमाण पेश करूंगा क्योंकि जिन सड़कों के लिये डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी ने मंजूरी दी थी। हमारे इस विभाग के अन्डर सेक्रेटरी डी० डी० अग्रवाल सब जगह गये थे और वहां भी आये थे, उन सड़कों को नहीं लिया गया और नीचे की जो अनुमति है उसके अनुसार सड़कें ली गई।

जहां तक छिबरामऊ-फर्रुखाबाद सड़क के बनाने का सवाल है, जब वह वहां गये तो इसको तीसरा स्थान दिया गया और चौथा स्थान शम्साबाद-मुहम्मदाबाद-छिबरामऊ सड़क के लिये दिया गया था। आज इस सड़क को लिया जा रहा है। मैं प्रमाण पेश करने के लिये प्रस्तुत हूं यदि मंत्री जी समय दें। अधिकारियों के जो दोस्त लोग हैं उनकी मांग पर सड़कें ली जा रही हैं। जिस क्षेत्र की सड़क बनने का प्रश्न है वहां आलू और तम्बाकू का मुख्य भाग है, यदि वहां सड़क बन जाय तो वहां के काश्तकार फायदा उठा सकते हैं। साथ ही यह टुकड़ा छिबरामऊ तहसील के मुकाम और जिले के सदर मुकाम को मिलाता है। लेकिन इसके लिये कहा जाता है कि इसको अलीगंज से मिला दिया जायगा और ऐटा से इसका कनेक्शन हो जायगा। मैं मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि वह नक्शे को देखें कि जी० टी० रोड जो एटा को जाती है जिसका मोडरेनाइज किया जा चुका है। जब वह सड़क बन जाती है तो जाने वाले इस सड़क को पसन्द करेंगे जो कंकरीट की बन चुकी है या उस टुकड़े को जो अभी तक पूरा नहीं बन रहा है। आश्वासन दिया जा रहा है कि बाकी टुकड़ों को पूरा किया जायगा तब यह पूरी सड़क बन जायगी तो मैं यह कहूंगा कि मंत्री जी, जैसा कि हमारे वित्त मंत्री जी ने अपने भाषण में फरमाया था कि कुछ प्लान तो गांव के लेविल पर और कुछ डिस्ट्रिक्ट लेविल पर और कुछ स्टेट लेविल पर बने हैं और उसी तरह से वे कार्यान्वित किये जायेंगे, आप ने उसका कोई भी ध्यान अपने इस विभाग में नहीं रखा है।

मुझे यहां पर यह भी कहना है कि हमारे उप मंत्री जी ने द्वितीय पंचवर्षीय योजना में डिस्ट्रिक्ट की सड़कों को लेने के लिये वहां के एम० एल० एज० को बुलाया और बात की और उस सिलसिले में उन्होंने काफी परिश्रम किया, लेकिन मैंने यह समझा कि वह काम भी सब एक

[श्री मथुराप्रसाद त्रिपाठी]

बच्चों के खेल का सा था। न मालूम कौन सा प्लान बना और आज तक कोई फाइनल प्लान बना या नहीं यह भी पता नहीं लगता। तो इस तरह से मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि पहले हमारे यहां ३४ मील सड़क लेने की बात कही गई और वह अब घट कर केवल १६ मील रह गई है जिसमें कन्नौज से बिलग्राम जाने के लिये ढाई मील का टुकड़ा जो था, उसको छोड़ दिया गया है और इस तरह से हमारे जिले का बहुत थोड़ा कोटा कर दिया गया। माननीय मंत्री जी, मैं आशा करता हूं कि थोड़ा सा समय देकर इस ओर देखने की कृपा करेंगे।

श्री यमुनासिंह (जिला गाजीपुर)---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, प्रस्तुत कटौती के प्रस्ताव के समर्थन में मैं खड़ा हुआ हूं।

मान्यवर, कोई भी देश तभी तरक्की कर सकता है जब वहां के यातायात का साधन सुन्दर और सुगम हो, लेकिन हमारे पूर्वी जिलों में आज सड़कों का अभाव सा है जिससे एक जिले से दूसरे जिले में आने जाने में या व्यापार आदि करने में बड़ी कठिनाई होती है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आप के द्वारा माननीय मंत्री जी का ध्यान गाजीपुर जिले की तरफ आकर्षित करना चाहूंगा। मान्यवर, गाजीपुर एक छोटा सा जिला युद्धकाल में लड़ाई का केन्द्र बनाया गया था और यहां दो-दो हवाई अड्डे बनाये गये थे। यहां की सड़कें आज पहले से भी ज्यादा खराब हो गई हैं। हवाई अड्डे रहने की वजह से बराबर मंत्री लोगों का यहां दौरा हुआ करता है और वे लोग सड़कों को अच्छी तरह से देखते हैं, लेकिन फिर भी उन लोगों का गाजीपुर की तरफ ध्यान नहीं जाता। न जाने गाजीपुर की जनता से क्या गुनाह हो गया है। मान्यवर, पहली सड़क जो इलाहाबाद से शुरू हो कर बनारस होती हुई गाजीपुर को चीरती हुई आजमगढ़ होते हुये गोरखपुर जाती है, इस सड़क की हालत गाजीपुर में बहुत ही खराब हो गयी है। गाजीपुर से मऊ या आजमगढ़ के लिये घंटे-घंटे भर पर बसें जाया करती हैं। बसों के जाने पर इस सड़क पर इतनी धूल उड़ती है कि किसी भी भले-मानुस का रास्ता चलना दूभर हो जाता है। इसके अलावा जंगीपुर एक स्थान है जहां कि हफ्ते में दो बाजारें लगती हैं। जिले के कोने-कोने से और दूसरे जिलों से बैलगाड़ियों और बसें वगैरह माल ले आने और ले जाने के लिये आया करती हैं, लेकिन सड़क की हालत इतनी ज्यादा शोचनीय है कि अक्सर बैलगाड़ियां उलट जाया करती हैं। मैं माननीय मंत्री महोदय से प्रार्थना करूंगा कि इस सड़क पर जल्दी से जल्दी वह तारकोल लगवाने की कृपा करें।

मान्यवर, पंचोतर परगने में सुलेकापुर वहां का एक ऐतिहासिक स्थान है, जहां पर राजा दशरथ की छावनी थी और राजा दशरथ ने अपने हाथों से वहां शंकर जी की स्थापना की थी और वहां पर राजा दशरथ ने अपने हाथों से सोने का शिवाला बनवाया था। लोग कहते हैं कि वह शिवाला इस समय लुप्त हो गया है। उस स्थान पर राजा दशरथ ने श्रवण को हाथी का बच्चा समझ कर शब्दबेधी बाण से मारा था। कहने का मतलब यह है कि इस स्थान पर प्रति वर्ष शिवरात्रि के दिन मेला लगता है, जिस मेले में जिले के कोने-कोने से या दूसरे जिलों से भी आदमी आते हैं, लेकिन यह स्थान एक बक्से में बन्द सा है। चारो तरफ धान के खेत लगे हुये हैं, ऊंची-ऊंची मेड़ें हैं, वहां आदमी का जाना मुश्किल होता है। इसलिये मैं प्रार्थना करूंगा कि वह स्थान किसी पक्की सड़क से मिला दिया जाय। वहां से पक्की सड़क को तीन जगह से रास्ता जाता है। बरही से बरेना होते हुए महार पहुंचती है, दूसरी महंगवा से पार हो कर गोविन्दपुर होते हुए महार पहुंचती है और तीसरी सड़क मरदई से शुरू हो कर सक्कापुर होते हुए महार पहुंचती है। यह तीन रास्ते हैं। जिसको माननीय मंत्री जी अच्छा समझें बनाने की कृपा करें। इनकी हालत इतनी खराब है कि बरसात के दिनों में यहां पर काफी पानी लगा रहता है। इन शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री शिवमंगल सिंह कपूर (जिला बस्ती)--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आप का बड़ा आभारी हूं कि आप ने मुझे इस अनुदान पर बोलने के लिये सुअवसर प्रदान किया। मैं माननीय मंत्री महोदय के बजट का, जो उन्होंने सदन के सामने पेश किया है, समर्थन करने के लिये उपस्थित हुआ हूं। वास्तव में मंत्री महोदय ने जिस खूबी के साथ जिस विद्वता के साथ अपने डिपार्टमेंट की प्रशंसा की है वह वास्तव में सराहनीय है। मुझे उम्मीद थी कि जिस साधु पुरुष के पास ऐसा डिपार्टमेंट आया है, जो बदनाम था तो वास्तव में वह कुछ सीधे रास्ते पर और अपने चरित्र के अनुकूल अपने मन के अनुकूल और अपने भावों के अनुकूल ले जायेंगे। जैसा मेरा विश्वास था वैसे मैंने पाया इस पर मुझे ही नहीं बल्कि सदन में अन्य सदस्यों को भी विश्वास और प्रशंसा रही होगी।

इसके साथ-साथ मुझे यह भी कहना है कि मैं मंत्री महोदय का ध्यान अपने गरीब जिले की तरफ ले जाना चाहता हूं। वह जिला जहां से हम ही नहीं प्रान्तीय सरकार में और प्रान्तीय कांग्रेस कमेटी में प्रतिनिधि जाते हैं वहां की जनता कांग्रेस के ऊपर विश्वास रखती है और सीधी सादी भोली भाली जनता अपने भोले भाले प्रतिनिधि को चुन कर इस सदन में और लोक सभा में भेजती है। ऐसे भोले भाले जिले के ऊपर, ऐसे पिछड़े हुए जिले के ऊपर और ऐसे भोले भाले प्रतिनिधियों के ऊपर, अगर सरकार ध्यान न दे, तो बहुत अफसोस की बात है और दुःख की बात है। बस्ती जिला ऐसा जिला है जो पूर्व के सब से पिछड़े हुए जिलों में माना जाता है। मैं उस जिला, तहसील डुमरियागंज का प्रतिनिधि हूं जो कि बस्ती जिले के बीच में पड़ती है और बहुत ही पिछड़ा हुआ इलाका है। मैं इस डुमरियागंज तहसील के उत्तरी हिस्से का, जो राप्ती नदी के उस पार का हिस्सा है, वहां के किसानों की पिछड़ी हुई जनता की दशा का वर्णन क्या करूं। उन लोगों का सिर्फ खेती ही एक पेशा है। वहां के किसान जिस वक्त अपनी लढ़िया पर ऊख लाद कर चालीस मील दूरी पर बस्ती शहर के मिलों पर ले जाने का जब प्रयत्न करते हैं तो वहां के रास्ते बिल्कुल ऐसे बिखरे हुये हैं, टूटे हुये और कच्चे हैं और इस प्रकार की कच्ची सड़क है कि जिस पर कुछ मिट्टी भी नहीं पड़ी होती है। वह किसानों के लिये बड़ी दर्दनाक हालत पैदा कर देती है। उन किसानों की वहां इस तरह की दशा हो जाती है जिसका वर्णन करने से कलेजा फटता है और रोना आता है। मैं माननीय मंत्री महोदय का ध्यान उस तरफ दिलाना चाहता हूं कि उसका नतीजा यह होता है कि वे किसान अपनी ऊख को सस्ते दामों पर बेच कर किसी तरह से जान छुड़ाते हैं, क्योंकि उनको इतनी दूर जाने में बहुत दिक्कत होती है। इसलिये मैं अपने मंत्री महोदय का ध्यान उस राप्ती नदी की तरफ ले जाना चाहता हूं कि जहां शयापुर डुमरियागंज के बीच में एक ऐसी नदी पड़ती है जिसके ऊपर पक्का पुल बनना बहुत आवश्यक है। वह सड़क नेपाल के हिस्से में जा कर मिलती है। अन्तर्राष्ट्रीय दृष्टि से भी वह नदी एक बड़ी महत्वपूर्ण नदी मानी जाती है। इसलिये मेरी प्रार्थना है कि मंत्री जी सैयापुर, डुमरियागंज के राप्ती नदी पर पक्का पुल बनाने की कृपा करेंगे।

इसके साथ ही साथ मैं यह कह देना चाहता हूं कि एक सड़क सैयापुर से सिंगारजोत जाती है। यह गोंडा जिले की सरहद तक जाती है और वहां आने-जाने के कोई साधन नहीं है। मोटर कार तो वहां जा ही नहीं सकती, बैलगाड़ी भी बड़ी तकलीफ से चलती हैं। हमारे पास उस तरफ की जनता की बहुत सी चिट्ठी और खतोकिताबत आती रहती है। और मैंने भी देखा

[श्री शिवमंगल सिंह कपूर]

है। पारसाल भी मैंने मंत्री महोदय का ध्यान उस तरफ दिलाया था। मैं आप से बहुत अदब के साथ यह निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी वहां के किसानों और पिछड़े हुए लोगों की तरफ ध्यान दें।

इसके अलावा मैं आप को बनारस की ओर भी ले जाना चहता हूं। यह तो आप जानते ही हैं कि यह किस किस्म का घना शहर है। यहां पर बहुत से डिप्यूजी रहते हैं। यहां पर मकानों का बहुत ही अभाव है। मंत्री महोदय ने बताया कि वहां पर जगह नहीं है। मैं माननीय मंत्री महोदय को यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि वहां पर बहुत सी परती जमींन पड़ी हुई है। राजघाट, सिगरा मरयाडीह और यूनिवर्सिटी की तरफ सैकड़ों बीघा जमीन पड़ी हुई है। आशा है मंत्री महोदय इस ओर ध्यान देंगे। वहां के नागरिकों को मकान के अभाव के कारण अति कष्ट है।

दूसरी बात मैं बनारस से आजमगढ़ जाने के लिये जो पुल रास्ते में पड़ता है चकवक पुल उसके बारे में बताना चाहता हूं। इसके बारे में बनारस, आजमगढ़ और जौनपुर के माननीय सदस्य गणों ने आवेदन पत्र दिये थे और सरकार ने विश्वास दिलाया था कि यह पुल बन जायगा। लेकिन मुझे खेद है कि ऐसे महत्वपूर्ण स्थान पर अभी तक पुल नहीं बना है। मैं आशा करता हूं कि सरकार ने जिसका विश्वास दिलाया था वह चीज अवश्य होगी और तभी हम नेकनियती से आगे चल सकते हैं।

श्री बलभद्रप्रसाद शुक्ल (जिला गोंडा)—उपाध्यक्ष महोदय, मैं आप का विशेष आभारी हूं कि आप ने इस महत्वपूर्ण अनुदान पर मुझे २–४ शब्द कहने का अवसर दिया। यह बात बिल्कुल सत्य है कि जब से माननीय मंत्री जी और उपमंत्री जी ने इस बिगड़े हुये विभाग के कार्य को संभाला है तब से उसका कुछ सुधार अवश्य हुआ है, उसमें कुछ चेतना आई है। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण अगर हम सब लोग जिले में जाकर देखें और निष्पक्ष रूप से अनुमान लगायें तो इसमें कोई सन्देह की बात नहीं है। इसके लिये एक कारण भी है कि माननीय मंत्री जी और उपमंत्री जी किसी जिलों में, जिले के किसी कोने में चाहे वह कितना ही दुर्गम क्यों न हों, जाने-आने में कोई गुरेज नहीं करते हैं। इसका परिणाम यह होता है कि विभाग के जो अधिकारी हैं उनको खतरा हो गया है और वे अपने स्थानों पर सजग हो कर काम करते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, हमें एक बात स्टारग्रीड फारमूला के बाबत बतायी गयी। उसके आधार पर काम चलाने के लिये विभाग की ओर से बचन दिया गया था लेकिन द्वितीय पंच-वर्षीय योजना बनाते समय तक भी उसका पालन नहीं किया जा रहा है। हमने ध्यान-पूर्वक लिस्ट को देखा जो कि आप के यहां से प्रकाशित हुई है। आप के यहां से जो सरकार की ओर से लिस्ट प्रकाशित हुई है उसमें हमारे बहुत से जिले ऐसे हैं कि जो सड़कों की दृष्टि से सरप्लस कहे जा सकते हैं, जहां पर आबादी के हिसाब से सड़कें ज्यादा हैं, लेकिन अगर आप सड़कों का अन्दाजा लगायें और उसके साथ ही वह लिस्ट देखें तो आप को मालूम होगा कि जो जिले बहुत पिछड़े हुये हैं, और जहां सौ-सौ मील दो-दो सौ मील सड़कें फारमूला के हिसाब से बननी चाहियें थीं, वहां न बन कर जिन जिलों में पहले से ही सरप्लस सड़कें थीं, उन्हीं जिलों को अधिक सड़कें और ज्यादा मील बनाने को दी गई हैं, वह ज्यादा न हों, लेकिन दस पांच जिले हमारे यहां ऐसे हैं, जहां पर सड़कें पहले से ही ज्यादा हैं, लेकिन अगर गौर से देखा जाय तो किसी भी पिछड़े हुये जिले के मुकाबले में उनको और ज्यादा सड़कें दी गई हैं, तो जब इस तरह से बटवारा हो तो मैं थोड़ा सा सशंकित होता हूं और मैं डर जाता हूं कि जो जिले पिछड़े हुए हैं वह पिछड़े ही रह जायंगे और जो जिले अंग्रेजों के जमाने में बृटिश शासन काल में आगे बढ़ गए, वह जिले अब भी हमेशा आगे ही बढ़ते जायंगे।

मैं आप की आज्ञा से सदन के सम्मुख एक बात और अर्ज करूं कि जहां पर यातायात के साधन नहीं होते वहां पर दूसरे विकास कार्य चलाने में भी कठिनाई होती है और जिले के विभिन्न विभागों के कर्मचारियों को वहां आने जाने में कठिनाई का अनुभव होता है। अगर उसके फलस्वरूप जो भी स्कीम बनती हैं, वह ऐसे ही स्थानों के लिए बनती हैं, जहां आना जाना कर्मचारियों के लिये आसान होता है और इसी वजह से लोग उन जिलों के हेडक्वार्टर्स पर जाना पसन्द करते हैं, नतीजा यह होता है कि कोई भी पिछड़ा हुआ जिला हो, वह हर बात में पिछड़ा ही रह जाता है। चाहे कम्युनिटी प्रोजेक्ट हो या एन० ई० एस० ब्लाक हो, उनको बनाते वक्त पिछड़े हुये इलाके को कंसीडर करना लाजिमी है ऐसा पहले तय हुआ था। थोड़े दिन वह चीज चली, लेकिन बाद में विभाग के अफसरों ने मजबूरियां जाहिर कीं और आने-जाने की तकलीफ को सामने रखा तो मजबूर हो कर फिर वह सब ब्लाक्स और प्रोजेक्ट्स जिले हेडक्वार्टर्स के किनारे ही स्थापित होने लगे। मैं अपने जिले के बारे में बराबर देख रहा हूं कि वहां के जो पिछड़े हुये भाग थे, वह अब भी पिछड़े हुये हैं और वहां जनता के लिये कुछ नहीं हो रहा है और अगर कुछ हो रहा है तो वह नगण्य कहा जा सकता है। अगर मान लिया जाय कि ४––५ पंचवर्षीय योजनाओं के बाद स्टार ग्रिड फारमूला के अनुसार हमारे पिछड़े जिलों की तरफ ध्यान दिया गया तो उस समय हमारी अवस्था लखनऊ, इलाहाबाद, कानपुर या बनारस जिलों के बराबर हो तो कहा जा सकता है कि हम उन जिलों के मुकाबले में १५––२० साल पीछे रह जायंगे। इसलिये जो पिछड़े हुये जिले हैं या जिलों के वह भाग, जो अधिक पिछड़े हैं, उनमें सड़कें बनाने में प्राथमिकता देना उचित है।

श्री बाबूनन्दन (जिला जौनपुर)––उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने जो अनुदान भवन के समक्ष उपस्थित किया है उस के लिए मैं उनको हृदय से बधाई देता हूं और साथ ही मैं आप को बधाई देता हूं कि आप ने मेरी ओर कृपा दृष्टि कर के मुझे बोलने का अवसर दिया। यह आवश्यक है कि देश की उन्नति और विकास के लिये जो योजनायें सरकार की ओर से बनाई जायं, उन में सर्वप्रथम स्थान यातायात का होना चाहिये। यातायात के लिए अच्छी सड़कों का होना अत्यन्त आवश्यक है। जहां यातायात के लिए, कुटीर उद्योग धंधों और कल कारखानों की व्यवस्था की गई है और खेती की उन्नति के लिये सिंचाई की व्यवस्था की गई है, वहां सड़कों का रहना अति आवश्यक है। अगर सड़कें अच्छी हालत में रहेंगी तो विकास के कार्यों के लिये, सरकार के सहयोग के लिये या देश की उन्नति के लिये यह बहुत ही उत्तम रास्ता होगा कि सड़कें अच्छी हालत में हों और सड़क के साथ ही साथ हमारे देश के उत्थान के लिये, भवन निर्माण के लिये भी अत्यावश्यक है।

तो मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान इन बातों के होते हुये अपने छोटे से जिले जौनपुर की तरफ खींचना चाहता हूं। वहां पर अब तक जो कार्य माननीय मंत्री जी के विभाग की तरफ से हुआ है उसके लिये तो मैं उनको बधाई देता हूं और बधाई के पात्र वे हैं भी लेकिन दो-एक बातें हैं जिनकी तरफ पिछले वर्ष भी मैंने माननीय मंत्री जी से प्रार्थना की थी। सचमुच जो काम वहां हुआ है वह पुलों पर हुआ है। एक पुल चन्दवक का वहां कराकत तहसील में बहुत जरूरी था उस पुल से गाजीपुर, बनारस, आजमगढ़ और जौनपुर सब मिलते हैं। दूसरे जलालपुर बनारस रोड पर पुल के लिये जो स्वीकृति दी है, उसके लिये भी मैं उनको बधाई देता हूं। अतः मैं अपने क्षेत्र शाहगंज के विषय में माननीय मंत्री जी का ध्यान

[श्री बाबूनन्दन]

आकर्षित करना चाहता हूं। वहां पर एक सड़क जो बांधगांव से खुटहन होते हुए, बदलापुर होते हुये, महाराजगंज होते हुए इलाहाबाद में आकर मिलती है, जहां माघ मेले के अवसर पर, बसंत पंचमी के अवसर पर, आजमगढ़, देवरिया, बस्ती और गोरखपुर आदि अन्य जिलों से लाखों के तादाद में लोग जाते हैं। तो इसलिये मैं माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि इन यात्रियों की तकलीफों को देखते हुये उस सड़क को पक्की बनवाने की व्यवस्था करें, और साथ ही साथ वहां गोमती नदी तथा पीली नदी जो पड़ती है, उस पर भी पुल बनवाने की व्यवस्था करें। अगर माननीय मंत्री जी को कोई अड़चन पड़े तो मैं उनको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जनता की तरफ से धन, सहयोग या श्रमदान जिसकी भी आवश्यकता होगी, वह मैं दिलाने के लिये तैयार रहूंगा, लेकिन मेरी उनसे प्रार्थना है कि इतना ही नहीं वहां पर शाहगंज रत्ना शुगर मिल जो है वहां सड़क उतनी ही उपयोगी है कि सारी तहसील का गन्ना उसी सड़क से होकर मिल तक पहुंचता है। इसके अतिरिक्त मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान वहां पर सवई नाले की तरफ ले जाना चाहता हूं। वह नाला बहुत ही उपयोगी नाला है और आने जाने के लिये वह बहुत ही विकट रास्ता है। वहां पर समोधपुर ऐसा स्थान है जो एक कोने पर बसा हुआ है और वहां बहुत ही आदर्श नार्मल ट्रेनिंग कालेज और औषधालय वगैरह खुले हुये हैं मगर सड़क का साधन न होने की वजह से सरकारी कर्मचारी या पब्लिक के लोग पहुंच नहीं सकते और लोग उन चीजों से फायदा नहीं उठा सकते, और अगर कोई उसे देखना चाहे तो देखने से वंचित रह जाता है।

इसलिये माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि जो विकास के काम हो रहे हैं जिसे देख कर जनता का उत्साह बढ़ेगा उसके लिये माननीय मंत्री जी को उन स्थानों की सड़कों को पक्की करवाने का प्रयत्न करना चाहिये। इससे माननीय मन्त्री जी का मतलब भी हल होगा, सरकार की नीति भी पूरी होगी। इसलिये माननीय मंत्री जी इन बातों की तरफ ध्यान दें जिनकी ओर मैंने उनका ध्यान आकर्षित किया है और जहां तक जनता के सहयोग का सम्बन्ध है जनता उनके साथ हमेशा तैयार रहेगी।

*श्री अवधेशप्रताप सिंह (जिला फैजाबाद)--मान्यवर, यह निर्विवाद है कि किसी भी देश की उन्नति के लिये यातायात का प्रबंध समुचित रूप से होना चाहिये। मान्यवर, यदि माननीय मंत्री को मैं भलीभांति समझ पाया हूं तो आज उन्होंने अपने भाषण में यह कहा कि सरकार की तरफ से केन्द्रीय सरकार के ऊपर काफी प्रभाव न डाला गया या जिस मात्रा में प्रयत्न करना था उस रूप से लोग प्रयत्नशील न थे, नहीं तो सम्भवतः इस प्रदेश के लिये कुछ अधिक इस विभाग के लिये धन प्राप्त हो सकता था। मान्यवर, मैं आपके द्वारा उनका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा और यह जानना चाहूंगा कि आखिर इसमें किसका कसूर है। आपके पक्ष के जो सदस्य हैं या विरोधीदल के जो सदस्य हैं उनकी जिम्मेदारी तो है नहीं, यह तो कैबिनेट की तरफ से, अगर आप समझते थे, तो आप और भी अधिक प्रभाव डाल कर, प्रयत्न करके अधिक धन इस प्रदेश के लिये उपलब्ध करा सकते थे, अपने विभागके लिये। तो मैं यह समझता हूं कि यह आपके मंत्रिगण या आपको स्वयं करना चाहिये था।

श्रीमन्, मैंने यह देखा कि आज इस वादविवाद में एक रवैया अख्तियार किया गया है और वह यह है कि मैं इससे सहमत हूं कि जहां तक मंत्री जी का ताल्लुक है उनके सम्बन्ध में कोई दो राय नहीं हो सकतीं और इस विभाग के लिये उनसे उत्तम कोई मंत्री नहीं हो सकता है। लेकिन मैंने यह देखा कि इस विवाद में यह लोगों ने समझा कि यदि विभाग की किसी रूप से आलोचना की गयी तो सम्भवतः यह वैयक्तिक आक्षेप होगा। लेकिन यह इधर के लोग और उधर के लोग भी अच्छी तरह से समझते हैं कि उनका जो विभाग है वह ऐसा विभाग है जहां पर भ्रष्टाचार किसी रूप से अवांछनीय नहीं माना जाता। यदि

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

भ्रष्टाचार कहने में किसी को आपत्ति होती हो तो उसे दूसरा नाम दे दिया जाय और यह कह डालिये कि नजराना यानी १० फीसदी या जो भी फीसदी हो, जिस हिसाब से आप चाहिये, पी०डब्लू०डी० में यह कह दिया जाता है। ओवरसियर से ऊपर और नीचे तक, ठेकेदार बिल नहीं पायेगा। रुपया न पायेगा जब तक घूस नहीं देता है, जब तक कि वह उस पद पर न हो, और मंत्री की वह सब सुविधायें उसके पास न हों, तब तक उस विभाग में किसी की पूछ नहीं है। मैं एक ज्वलंत उदाहरण दूंगा। मैं समझता हूं कि दूसरों की तरह मैं इस वक्त मांग करने के लिये नहीं तैयार हूं। उसकी वजह यह है कि मैं समझता हूं कि धन सीमित है, शिकायतें सब को हैं और जायज शिकायतें हैं, सब के यहां सड़कों की जरूरत है। लेकिन इसके कहने में और वक्त खराब करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसको कहने से न सड़कें बन जायंगी, न उनकी तादाद बढ़ जायगी और न उनमें कोई परिवर्तन हो सकता है। परन्तु मैं यह जरूर कहना चाहता हूं कि आप के विभाग के बारे में मैं पूछना चाहता हूं कि पिछली बार जब फैजाबाद बाढ़ से पीड़ित था एक सड़क पर अगर किसी नदी के किनारे पुल कटा तो एक दिन नहीं बल्कि चार दिन, पांच दिन, दस दिन तक यही नहीं जनता ने प्रयास किया, बल्कि डि० मैजिस्ट्रेट हर जगह यह प्रयत्न करता रहा और वह नैशनल हाई वे है, जो फैजाबाद से इलाहाबाद जाता है। तमसा का पुल टूटा और १५ दिन तक टूटा रहा। कोई भी उसका पुरसांहाल न हुआ यहां तक कि कम्युनिटी प्रोजेक्ट के अधिकारियों ने जा कर पुल बनाया।

मैं यह भी पूछना चाहता हूं कि उस विभाग के बारे में अगर आप यह कहते हैं कि किसी जिले में उनको इस तरह से नहीं छोड़ा जा सकता है कि उनके पास कोई काम न रहे, सरकार का धन बिना काम किये हुये न खायें, तो मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि जब आपके पास आदमी काफी हैं तो यह जो कि ट्यूबवेल डिपार्टमेंट है, यह कम्युनिटी प्राजेक्ट्स और नेशनल एक्सटेंशन सर्विस वाले क्यों इमारतें बना रहे हैं। यही नहीं इसी सदन में माननीय मंत्री महोदय का यह कथन था कि जो नैशनल ऐक्सटेंशन सर्विस और कम्युनिटी प्रोजेक्ट्स में जितनी इमारतें बनायी जा रही हैं वह उनका विभाग बना रहा है। मुझे आश्चर्य हुआ और मैं यह नहीं समझ पाता कि जब पी०डब्लू०डी० मौजूद रहे उस समय ट्यूबवेल डिपार्टमेंट के ऊपर यह भार लादा जाय और उनको यह काम सौंपा जाय, यह निन्दनीय है। पी०डब्लू०डी० के रहते हुये उनका यह काम था कि बनावे और इस विभाग के बारे में मंत्री महोदय से अनुरोध करना होगा और करता हूं आपके द्वारा कि वह देखें कि इसमें जो खराबियां हैं वे दूर हों। यह डिपार्टमेंट ऐसा नहीं है जिसमें एक वर्ष में कह देने से कोई काम हो सकता है। आज बजट के दिन यह कहा जाता है, शिकायत की जाती है, लेकिन साल भर बाद हमको पता भी नहीं चलता। और यह मैं कहता हूं कि अगर माननीय सदस्य किसी डिपार्टमेंट में जायं और इंजीनियर तक पहुंचें तो उनकी किसी बात का होना असम्भव है जब कि मंत्री महोदय के पास पहुंचना आसान है। लेकिन डिपार्टमेंट हेड्स से कोई काम लेना, मैं ही यह नहीं कहता हूं बल्कि इस सदन में जितने भी सदस्य हैं उनके दिल में यही बात होगी, कि बड़ा मुश्किल है, आज यह विभाग ऐसा नहीं है कि जिसे दलबन्दी के दृष्टिकोण से देखा जाय। मुझे स्वीकार है कि मंत्री महोदय के रहते हुये यदि इस विभाग में कोई उन्नति नहीं होती तो मैं समझता हूं और दावे के साथ कह सकता हूं कि इस विभाग में फिर उन्नति होना, उस क्षेत्र में जहां भ्रष्टाचार या घूसखोरी, नजराना, या परसेंटेज जो भी आप नाम दें, खत्म नहीं हो सकती।

[श्री अवधेशप्रताप सिंह]

इन बातों के साथ मैं अनुरोध करूंगा कि वह इस पर विचार करें और गम्भीरता से देखें और जिस तरह से इससे छुटकारा हो सके, वह करें।

श्री हरिप्रसाद (जिला पीलीभीत)---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो कटौती का प्रस्ताव पेश हुआ है मैं उसका समर्थन करने खड़ा हुआ हूं। सबसे पहले तो आपके द्वारा यह बात रखूंगा कि कल श्री ताराचन्द माहेश्वरी ने एक बात कही कि इन लाल टोपी वालों में जाने क्या क्या छिपा है। तो मैं उन्हें बताना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष---माननीय सदस्य आज की बात कहें।

श्री हरिप्रसाद---बहुत अच्छा, तो इन लाल टोपी वालों ने पिछली लड़ाइयां जो हुयीं सो हुईं लेकिन सन् ४२ में जो लड़ाई लड़ी उनमें से ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो डेढ़ साल तक फांसी गारद के सीकचों में बन्द रहे। ऐसे लोग हैं जो स्वतंत्रता संग्राम में जब हमारी स्त्रियों को पुलिस द्वारा खींचा जा रहा था उस जमाने में इनमें से बहुतेरे भाई जेल में हमारे साथ रहे और कुछ भाई ऐसे भी हैं जो दुमंजिले पर खड़े-खड़े हिजड़ों की तरह ताली बजा कर पिटवा रहे थे और माल लूट रहे थे और स्त्रियों की बेइज्जती करा रहे थे।

श्री उपाध्यक्ष---माननीय सदस्य जरा मेरी बात सुनने की कृपा करें। सिर्फ अनुदान पर बोलें। अप्रासंगिक बात का कहना बेकार है।

श्री शिवनाथ काटजू (जिला इलाहाबाद)---माननीय सदस्य का ताली बजाना कहां तक उचित है?

श्री उपाध्यक्ष---खैर, वह तो उन्होंने प्रदर्शन किया।

श्री हरिप्रसाद---उपाध्यक्ष महोदय, जो सार्वजनिक निर्माण विभाग की बात है वही कहूंगा। मेरे जिले में माननीय मंत्री जी ने यह बताया कि पीलीभीत से पिथौरागढ़ तथा टनकपुर तक सड़क बनी। पीलीभीत में अब तक सड़क बनवाने की जो तालिका पेश की है वह मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं। पीलीभीत में १७३ मील सड़क बननी चाहिये जिसमें ५२ मील बनी है और १२१ मील बाकी है। तो हमारे ही जिले का ऐसा नम्बर है कि जहां ५२ मील सड़क बनी है और जो बाकी है उसका कभी नम्बर ही नहीं आता। हम लोगों ने हमेशा यह बेवकूफी की है कि जब कोई नुमाइन्दा बाहरी खड़ा हुआ तो पीलीभीत की जनता ने दिल खोलकर सपोर्ट किया और सपोर्ट करने के बाद जब वह यहां आ गये तो अपने-अपने जिले का भला किया और हमारे यहां का इसी लिये नम्बर इतना कम है कि ५२ मील सड़क कुल बनी और १२१ मील अभी बाकी है। जो सड़क पीलीभीत-टनकपुर के वास्ते बनी है वह बृटिश गवर्नमेंट ने अपने काम के लिये बनवायी थी, क्योंकि उस सड़क पर जितना भी एरिया पड़ता है, वह जंगलात का एरिया है या फार्म वालों का एरिया है और फार्म वाले भी सन् ४२ के बाद जाकर बसे हैं वह सड़क पहले की ही बनी हुयी है। हमारे जिले को उससे कोई फायदा नहीं। पीलीभीत जिले की बीसलपुर तहसील जिसकी सबसे बड़ी आमदनी है उसके वास्ते कोई भी सड़क नहीं बनी। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में उसे रखा है लेकिन पता नहीं कब बनेगी या नहीं बनेगी। बीसलपुर से बिलसड़ा के वास्ते सड़क है वह डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की पहले से बनायी हुयी है। वहां माननीय मंत्री जी की बनायी हुयी एक भी सड़क नहीं है। वह पहले से ही डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की बनायी हुई है। सिर्फ जब से यह कांग्रेस गवर्नमेंट आयी है, तब से अगर उसने कुछ बनवाया है तो सिर्फ पीलीभीत से जहानाबाद का एक छोटा सा टुकड़ा बनवाया। पीलीभीत से आगे जाने का तो कोई रास्ता ही नहीं है। यों तो कोई जाने का नाम ही नहीं लेता, क्योंकि दस-ग्यारह मील का जंगल पड़ता है और फिर सड़क भी ठीक नहीं है। वहां कोई सड़क बन नहीं पायी है। दूसरे जो-जो हमारे माननीय मंत्री जी हैं, जहां-जहां कहीं से वह आये हैं वहां उन्होंने बनवा ली। आपने टाइम तो खतम कर दिया

इसलिये मैं सब तो क्या बतला सकता हूं। जौनपुर में २०० मील बननी चाहिये थी लेकिन २७२ मील बन चुकी है। इसी तरह दूसरी जगह भी हुआ है। बाकी फीगर्स तो बेकार हैं आपके सामने रखना।

जहां-जहां के माननीय मंत्री हैं वहां-वहां सड़कों पर सड़कें बनवा रहे हैं। उनके फार्मों तक सड़कें चली जा रही हैं, लेकिन जहां पब्लिक की जरूरत है, वहां नहीं बन रही है। तो मैं माननीय मंत्री जी से कहूंगा कि जहां सड़कें नहीं हैं और उनकी जरूरत वहां है, वहां आप सड़कें बनवाइये। दूसरे जहां सीमेंट की सड़कें आपने बनायी हैं वहां दोयम-सोयम ईंट आपने लगा दी हैं। उनमें मैटीरियल ठीक नहीं लगाते हैं। नतीजा यह होता है कि वह सड़क नीचे बैठ जाती है। इंजीनियर रद्दी मैटीरियल डलवाते हैं। जहां तीन चार के हिसाब से मसाला डलवाना चाहिये वहां छ सात का डलवाते हैं। सीमेंट की सड़कों की ३२ साल की गारंटी होनी चाहिये। लेकिन वह उससे बहुत पहले ही बैठ जाती हैं, गड्ढे हो जाते हैं तो जहां इस तरह की सड़कें बन रही हों, वहां मैटीरियल का ध्यान अवश्य ही रखा जाय। मैटीरियल में सबसे ज्यादा चोरी होती है।

***श्री रामकुमार शास्त्री** (जिला बस्ती)--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, विभाग कैसा है, कैसा नहीं है, उसके सम्बन्ध में अरसे से सदन के माननीय सदस्य अच्छी तरह जान गये हैं। इत्मीनान इतना ही है कि कांग्रेस की इस कैबिनेट ने एक अच्छे चरित्र के मंत्री को इस विभाग के सुपुर्द कर दिया है। इतना ही हमारे लिये संतोष है और हम आशा करते हैं कि जो भी पुराने जमाने की खराबी रही है शनैः शनैः उसको दूर करने के लिये माननीय विचित्रनारायण जी और आचार्य जी प्रयत्न करेंगे और उसको सुधारेंगे और उसमें जो कुछ भी तरक्की सम्भव होगी उसको करेंगे। मैं ज्यादा समय न लेकर के खास-खास बातों की तरफ अपने जिले की जो हैं माननीय मंत्री का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। अभी मुझसे पहले एक माननीय सदस्य बस्ती जिले के यह निवेदन किये हैं इस सदन के समक्ष कि बांसी तहसील में बुद्ध भगवान का चूंकि जन्म स्थान निकट है अतः जहां तक भी सम्भव था सरकार ने और भारत सरकार ने सड़क बनवाने, पुल बनवाने, पुलिया बनवाने के लिये पूरी-पूरी कोशिश की है, उसके लिये हम उनको और भारत सरकार को धन्यवाद देते हैं। लेकिन उसके साथ-साथ में इस विभाग से, माननीय मंत्री महोदय से और उपमंत्री महोदय से यह कहना चाहता हूं कि डुमरियागंज की सड़क जो बस्ती से जाती है इस सूबे में उतनी डिप्लोरेबुल सड़क दूसरी नहीं मिलेगी। हिम्मत नहीं होती है, इस ३२ मील की सड़क पर साधारण इंसान अपनी बैलगाड़ी भी लेकर नहीं चल सकता। न जाने कितनी बैलगाड़ियां टूट गयीं और अरसे तक बस सरविस स्टाप कर दी गयी थी। बावजूद इसके कि हमारे उस क्षेत्र के प्रतिनिधि अदील अब्बासी साहब ने मेमोरेंडम भी दिया, ध्यान भी आकर्षित किया। न जाने क्या ध्यान चीफ इंजीनियर महोदय का है। अगर वे इसकी मरम्मत भी करवा देते तो वहां के निवासियों को संतोष होता। यह ३२ मील की सड़क नैपाल राज्य से उत्तर प्रदेश का सम्बन्ध जोड़ती है और उसके लिये भी इतनी उपेक्षा की दृष्टि बरती जाय तो मैं सिवाय इसके क्या कहूं कि सरकार ने एक बिडम्बना की स्थिति ले रखी है। मुंहचोरवा घाट पर, राप्ती नदी से आगे बूढ़ी राप्ती पर यह घाट पड़ता है, वहां पर पुल बनाने के लिये एक रूपरेखा पांच सात लाख रुपया खर्च करने की रखी गयी थी, लेकिन इस बजट में उसका नामोनिशान नहीं मालूम होता है। तो मैं पूछता हूं कि आखिर कार आपका विभाग क्या कर रहा है? एक ओर

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री रामकुमार शास्त्री]

तो भारत सरकार की मदद से बुद्ध भगवान के जन्मोत्सव पर कुछ किया जा रहा है, लेकिन अगर भगवान बुद्ध न पैदा हुये होते तो बहुत मुमकिन है कि उस तरफ आपका ध्यान भी न जाता लेकिन इस बजट के अवसर पर मैं अपने अत्यन्त शुद्ध प्रकृति वाले माननीय मंत्री का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि डोमरियागंज से बस्ती की जो सड़क बनी हुयी है और डोमरियागंज से बढ़नी तक जो सड़क जाती है उनकी तरफ आपकी कृपादृष्टि अवश्य होनी चाहिये।

जिले के और भाग जैसे कलवारी और एक सड़क और जो कभी कहा जाता है कि फर्स्ट फेज में आने वाली है और कभी कहा जाता है कि सेकेंड फेज में आने वाली है, लेकिन अभी तक उसकी कोई रूपरेखा नहीं है। बराबर उसके लिये लिखा गया, लेकिन चीफ इंजीनियर महोदय, जिनको कि वाकफियत है उस जिले से वहां पर उन्होंने सेवायें की हैं, न जाने क्यों ढिलाई उस तरफ बरती जाती है। मैं उनका ध्यान बस्ती से मेंहदावल तक की सड़क की ओर उनका ध्यान आकर्षित करता हूं। मैं उसी के पड़ोस का निवासी हूं लेकिन मैं वहां पर ६, ६ महीने हो जाते हैं पहुंच नहीं पाता हूं। तो क्या माननीय मंत्री जी जब लाखों करोड़ों रुपये इस अनुदान के सिलसिले में खर्च करने जा रहे हैं तो एक चन्द हजार रुपये उस सड़क के लिये खर्च नहीं कर सकते।

उत्तर हिस्से में तो कुछ सुधार हुआ है, बानगंगा की नहर बन गयी, कुछ नलकूप भी बना दिये गये हैं लेकिन दक्षिणी हिस्सा अब भी बेकार है। खलीलाबाद का पश्चिमी हिस्सा, बस्ती तहसील का उत्तरी हिस्सा लेकिन बांसी का दक्षिणी हिस्सा तो ऐसा मालूम होता है कि जहां स्वराज्य की झलक अभी तक पहुंची ही नहीं है। यातायात की दिक्कतें जो वहां के निवासी महसूस करते हैं अगर थोड़ी सी कृपादृष्टि उधर हो जाय तो हमारा बहुत बड़ा संकट दूर हो सकता है। इससे अधिक मुझे कुछ नहीं निवेदन करना है।

(श्री लक्ष्मीरमण आचार्य के भाषण देने के लिये आह्वान करने पर।)

श्री शिवनारायण (जिला बस्ती)---उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं.....

श्री उपाध्यक्ष---इस वक्त प्रस्ताव की आवश्यकता नहीं है।

श्री वीरेन्द्र वर्मा (जिला मुजफ्फरनगर)---माननीय उपाध्यक्ष जी, बहुत आदमियों को बोलना है। अभी तो सिर्फ ईस्ट के ही लोग बोल रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष---अभी वादविवाद समाप्त नहीं हो रहा है यह मैं माननीय सदस्यों से कहना चाहता हूं। माननीय सदस्य का भी अधिकार है वे खड़े हो गये हैं, इसलिये उनको इजाजत दे दी गयी है।

***निर्माण उप-मंत्री (श्री लक्ष्मीरमण आचार्य)**---उपाध्यक्ष महोदय, एक प्रकार से सार्वजनिक निर्माण विभाग इस सदन का आज ऋणी है, क्योंकि इस अनुदान पर इस सदन में आज बहुत से सुझाव सुनने का अवसर मिला है जो कि इस विभाग के यद्यपि मस्तिष्क में है किन्तु जिसको यह विभाग पूरा नहीं कर पाता। मोटे तौर पर सड़कों तथा इस विभाग में कहे जाने वाले बढ़ते हुये भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में यहां इस सदन में माननीय सदस्यों द्वारा वादविवाद में भाग लिया गया है मैं यह चाहूंगा कि इस सदन के माननीय सदस्य इस प्रदेश में सड़कों के सम्बन्ध में क्या स्थिति है तथा यह विभाग भविष्य में उनके सम्बन्ध में क्या विचारता है, उसको स्पष्ट रूप से समझ सकें तो सम्भवतः इस विभाग तथा इस प्रदेश की कठिनाइयों को स्वयं समझ सकेंगे। बहुत स्पष्ट सब बातें हैं। सन् ४६ में युद्ध समाप्त होने के बाद करीब ६८ करोड़ रुपये की एक युद्धोत्तरकालीन पुनर्निर्माण योजना बनायी गयी। हम चाहते थे कि वह योजना हम पूरी कर

*अध्यक्ष ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

सकें। उस योजना का हमने दो तीन भागों में विभाजन किया, प्रथम चरण, द्वितीय चरण और तृतीय चरण। सन् ४९ में एकदम वह योजना ठप हुयी और हमारे पास आज्ञा आयी कि सड़कों के सम्बन्ध में कोई कार्य न किया जाय।

श्री गंगाधर मैठाणी––यह तो सब लिखा है इसमें।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य––लिखा है लेकिन समझने की कृपा बहुत कम की गयी है। शायद माननीय सदस्य ने समझा हो और यदि समझा है तो यह विभाग उनका ऋणी है। इसके बावजूद उन्होंने अपने जिले के सम्बन्ध में कहने से अपने को रोका तो नहीं। तो उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह कह रहा था कि उसके बाद यह प्रथम पंचवर्षीय योजना इस विभाग में प्रारम्भ हुयी और उसके अन्तर्गत भी यह ख्याल किया गया था कि ७ करोड़ रुपये से अधिक का कार्य हम इस विभाग में कर सकेंगे। उसमें, जैसा कि माननीय सदस्यों ने देखा होगा और इसमें है, ५ करोड़ २२ लाख कुछ रुपये का कार्य विभाग के द्वारा सड़कों पर किया गया। आज फिर द्वितीय पंचवर्षीय योजना एक प्रकार से सदन के सामने उपस्थित है। वह १६ करोड़ १४ लाख रुपये की है, आज उसके सम्बन्ध में यह सदन क्या विवाद करें कि इस विभाग को अधिक रुपया मिल सकता और यदि अधिक रुपया मिल सकता तो उससे अधिक लाभ हो सकता था। यह सही है, लेकिन अधिक रुपया नहीं मिला आज वह बात तो सारे उत्तर प्रदेश के लिये कही जा सकती है। उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा प्रान्त है। उसके निर्माण या पुनर्निर्माण के लिये या विकास के लिये जितने धन की आवश्यकता थी उतना धन नहीं मिला और इसीलिये यदि यातायात के साधनों की उन्नति करने के लिये जितने धन की अपेक्षा थी वह धन उपलब्ध नहीं हो सका तो इसके लिये आज क्या विवाद यह सदन करे? इस सम्बन्ध में मैं केवल नम्रतापूर्वक यही निवेदन करूंगा कि धन उपलब्ध नहीं हुआ है यह सच बात है, और धन उपलब्ध हो तो इससे अधिक कार्य किया जा सके।

आज मैं इस सदन के माननीय सदस्यों से केवल इतना और निवेदन करना चाहूंगा कि यह जो १६ करोड़ १४ लाख की योजना है इसमें पिछली, यानी पहली पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत जितने कार्यों को लिया गया था उनको भी हमें पूरा करना है। बहुत बार यहां जिलों की चर्चा हुयी। माननीय मैठाणी जी ने उसकी बड़ी चर्चा की और उनको शायद बुरा भी लगा कि मैं जो चीजें इसमें लिखी हैं उनका जिक्र करूं। लेकिन मैं उन्हीं का ध्यान आकर्षित करता हूं। उन्होंने भी तो यदि अपने जिले की नहीं तो पहाड़ी प्रदेशों की तो चर्चा की और भी माननीय सदस्यों ने अपने-अपने जिलों की चर्चा की। मैं आपसे कैसे कहूं कि छोटे-छोटे जिलों में मैं गया हूं और प्रायः बहुत से जिलों में जाने की मैंने चेष्टा की है और खराब से खराब सड़कों पर मैं गया हूं। प्रत्येक स्थान पर सड़कों की बहुत बड़ी आवश्यकता है इससे कोई इन्कार नहीं कर सकता। छोटी-छोटी सड़कों को मैंने देखा है, चाहे वह बस्ती हो चाहे कोई और जिला। दुर्भाग्य से मैठाणी के जिले में मैं अभी तक नहीं जा पाया हूं, लेकिन पहाड़ के दूसरे जिलों में जाने का मुझे अवसर मिला है। माननीय उपाध्याय जी के जिले में मैं गया हूं। जैसा कि माननीय मंत्री जी ने कहा कि प्रयास किया जाता है कि हम बुरी से बुरी सड़कों पर जायं और बुरी से बुरी सड़कों पर जाने का अवसर भी हमें मिलता है। जिलों की इस सम्बन्ध में बहुत बड़ी आवश्यकता है इसको कोई इन्कार नहीं कर सकता है। मेरे मित्र शास्त्री जी और दूसरे साथी जो बस्ती जिले के हैं उनसे मैं कहना चाहता हूं कि मैंने भी वह स्थान

[श्री लक्ष्मीरमण आचार्य]

देखा है कि एक छोटा सा टापू है और तीन ओर से वह नदी से घिरा हुआ है। मैंने बहुत स्थान देखे हैं जिनमें नदियों के कारण बरसात में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना असम्भव हो जाता है, ऐसे स्थान भी हैं जहां ३-४ तरह की नदियां आकर सारे स्थान को पानी से ढंक लेती हैं और ऐसे बहुत से जिले हैं, मैं स्वीकार करने में हिचकता नहीं हूं जिनमें सड़कों का बहाना भी नहीं है, सड़कों का होना तो कठिन है। मुझे उपाध्याय जी के क्षेत्र में भी एक दफा जाने का अवसर मिला। मुझे ५० मील तक द्वारहाटा तक पैदल जाने का मौका मिला है। मैं यह निवेदन करूंगा कि जहां-जहां मैं गया मेरे मन में यह आया कि किसी प्रकार से जल्द से जल्द सड़कें यहां आयें। वह स्थान मैंने देखा कि वहां एक मोटी मूली पैदा की जाती है। वह मैंने सड़ते हुये देखी, क्योंकि यातायात के साधन न होने से बाजार में नहीं जा सकती थी। बाजार में जाने पर उसका भाव अधिक पड़ता था और उस समय मैंने यह समझा कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर जहां सड़कें नहीं हैं चीजें ले जाना असम्भव है। जहां यातायात के साधन हैं वहां भाव कम रहता है।

आज इस निर्माण के युग में हमारे मन में यह विचार आता है कि हम लोगों से यह कहें कि ग्रामों में पक्के घर बना दिये जायं तो श्रीमन्, मैं निस्संदेह कह सकता हूं कि इस प्रदेश के बहुत कम ग्रामों में पक्के घर किये जा सकते हैं क्योंकि यातायात नहीं हैं और बिना यातायात के वहां सामान ले जाना बहुत मुश्किल है। इन सभी कारणों से मैं समझता हूं कि यातायात के साधनों में वृद्धि होना चाहिये। इसके लिये जरूरत है कि हम शीघ्र से शीघ्र सड़कें बनायें। यह सारे सदन के साथ-साथ मेरी भी इच्छा से प्रभावित होकर मैंने चेष्टा की कि हम प्रदेश को अधिक से अधिक सड़कें दे सकें। लेकिन हमारे सामने धन की कठिनाई है।

अध्यक्ष महोदय, मैं इतना निवेदन करूंगा कि अगली पंच वर्षीय योजना में जो आंकड़े हमारे पास हैं, नयी सड़कों को बनाने में हम करीब ५ करोड़ ३८ लाख रुपया खर्च कर सकेंगे। और यह भी है कि पुनर्निर्माण में २ करोड़ १६ लाख रुपया खर्च कर सकेंगे। जैसा कि हमारे मित्र त्रिपाठी जी ने कहा हमने अधिक से अधिक सड़कों को देने के लिये चेष्टा की है। यहां पर मैं यह भी निवेदन कर देना चाहता हूं कि हमने चेष्टा की कि पहले कौन-कौन सी सड़कें ली जायं इस पर विचार करके चेष्टा की गयी और जैसा कि इस आदरणीय सदन को मालूम है कि इसके हमारे एक मंत्री महोदय, जिले-जिले में गये। विरोधी पक्ष के एक मित्र ने जिक्र किया था कि जिले-जिलेका सर्वे होना चाहिये। मैं उनसे कैसे कहूं कि जिलों का हमने सर्वे किया। हमने स्थान स्थान पर नियोजन कमेटीज से आंकड़े इकट्ठा किये इसके लिये कि किस सड़क को प्राथमिकता दी जाय और किसको सब से पहले लिया जाय। इसके बाद हमारे विभाग की स्टेंडिंग कमेटी बैठी जिसके हमारे त्रिपाठी जी भी एक सदस्य हैं। इस कमेटी में इसके सम्बन्ध में कुछ सिद्धांत निर्धारित किये गये हैं। उनके अनुसार मोटे तौर पर यह सिद्धांत रखा गया कि जो प्राविंशियल हाईवेज हैं, नेशनल हाईवेज हैं, और इन्टर डिस्ट्रिक्ट रोड्स हैं, उन टुकड़ों को सब से पहले ले लिया जाय। ऐसा सिद्धांत हमने तय किया था। यद्यपि यह सही था। इसके बाद जिले-जिले में ऐसी सड़कें हैं जिनके लिये प्लानिंग कमेटीज ने सिफारिश की है इनको लिया जाता तो इन सब चीजों को दृष्टिगत रखकर यह प्लानिंग बनाया गया लेकिन उसमें एक कठिनाई आयी। हमने सोचा था कि प्रदेश की बहुत सी सड़कें ली जा सकें, लेकिन प्लानिंग कमीशन का आदेश है कि पिछला जितना स्पिल ओवर है यानी प्रथम पंच वर्षीय योजना का जो काम बाकी है उसको इस द्वितीय पंचवर्षीय योजना में लिया जाय और इससे अधिक कार्य हम तीसरी प्लानिंग स्कीम के लिये नहीं छोड़ सकते हैं। आज जो हमने सड़कें ली हैं मेरा उसमें ऐसा विचार है और इसको सदस्यों से छिपाने की आवश्यकता नहीं है, सचमुच में जो हम अंदाजा लगाते हैं, जो काम बचेगा, जो कार्य हम करेंगे, उससे वह उतना ही होगा जितना की स्पिल ओवर है और शायद उससे कम हो और सम्भव हुआ कि हम कुछ शीघ्रता से काम करें तो कुछ और ज्यादा सड़कों को हम बना सकेंगे।

जहां तक सड़कों का प्रश्न है, मेरे मित्र शास्त्री जी ने और दूसरे कुछ भाइयों ने जिक्र किया देरी के सम्बन्ध में और विशेषतः उन्होंने जिक्र किया कि इन कार्यों में देरी होती है क्योंकि इस्टीमेट्स आदि नहीं बन पाते। मैं समझता हूं कि उनका कहना सही है, लेकिन इसके पीछे एक कठिनाई है। मेरा नम्र निवेदन है कि इन कठिनाइयों पर भी आप कृपा करके विचार करने की चेष्टा करें। यह जो कार्य है उसमें कुछ सर्वेयर्स की आवश्यकता पड़ती है कुछ सर्वे करना पड़ता है, फिर इस्टीमेट्स बनते हैं। आज जब सड़क का या सार्वजनिक निर्माण विभाग का लेखा–जोखा इस सदन के समक्ष है, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि दुर्भाग्यवश हमारा बहुत सा कार्य टेक्निकल हैन्ड्स पर निर्भर है, विशेषज्ञों पर निर्भर है और विशेषज्ञ एक दिन में नहीं बनाये जा सकते। यह तो सही है कि कुछ धनराशि इसमें हमें कम मिली, संभवतः हमारे मित्र मुझे क्षमा करेंगे यदि मैं एक बात कह दूं कि प्लानिंग कमीशन ने यह विचार कर धनराशि दी कि पिछले वर्ष हमने कितना कार्य किया है और उनका शायद यह विचार था कि इतना कार्य जब आपने इस वर्ष किया तो अगले वर्ष में आप कैसे ज्यादा कार्य कर सकेंगे। एक तो हमारे पास टैक्निकल हैन्ड्स नहीं हैं, विशेषज्ञ नहीं हैं, जैसा कि अभी माननीय मंत्री जी ने सदन के समक्ष कहा था कि हमको ओवरसियर्स की आवश्यकता है, रिसर्च के लिये व्यक्तियों की आवश्यकता है, हमारे पास असिस्टेंट इंजीनियर्स कम हैं। आज हम इस विभाग में कुछ थोड़े से असिस्टेंट इंजीनियर्स रखना चाहते हैं, हमने अपने डिवीजन्स बढ़ाये हैं और एक कमेटी भी इसके रिआर्गेनाइजेशन के लिये काम कर रही है। वह कमेटी विचार कर रही है कि किस प्रकार हम कितने आदमी इसमें रखें। हमारे पास विशेषज्ञ नहीं हैं, लेकिन हम आदमी रखना चाहते हैं। इसके लिये हमने लखनऊ और हाथरस में विद्यालयों की स्थापना की है। और भी कुछ विद्यालय हम बनाना चाहते हैं ताकि इस विभाग में हम नये विशेषज्ञों को बढ़ा सकें और उनके द्वारा यह कार्य करा सकें।

(इस समय ४ बजकर २ मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुये।)

मैं बहुत नम्रतापूर्वक इस सदन के समक्ष इसके माननीय सदस्यों के विचारार्थ एक चीज रखूंगा। यदि आज ज्यादा धन भी होता और यदि उस कार्य को पूरा न किया जा सकता तो उस धन का क्या लाभ होता? हम किसी तरह से उसको पूरा करने की चेष्टा करते और कुछ पूरा भी करते: आज हमें सड़कों की बहुत अधिक आवश्यकता है और मैं इसके बारे में केवल इतना कह सकूंगा कि इस देश की इकोनामी के लिये सड़कें रक्तशिरायें हैं। इससे कोई इन्कार नहीं कर सकता और यदि यह रक्तशिरायें आज इस प्रदेश में उपस्थित नहीं की जा सकतीं तो यह इस प्रदेश का दुर्भाग्य है। लेकिन इसको हम किसी जंतर-मंतर द्वारा पूरा नहीं कर सकते। इस सम्बन्ध में मैं आप से यह निवेदन करूंगा कि इस विषय में जो अधिक से अधिक किया जाना संभव है वह किये जाने की चेष्टा है।

इसके अतिरिक्त कुछ माननीय मित्रों ने और बातों की चर्चा की। कुछ सदस्यों ने यह चर्चा की कि जहां जिलों में अधिक सड़कें हैं वहां आपने और ज्यादा सड़कें दे दीं। कुछ भाइयों ने यह भी चर्चा की कि जिन जिलों में बैलेन्स है यानी सड़कें जिनमें स्टार ऐन्ड बिल्ड फार्मूले से हैं उनको भी आपने सड़कें दे दीं, यह निसंदेह सही है। इस सम्बन्ध में माननीय मैठाणी जी ने पहाड़ों का जिक्र किया। वह जानते हैं कि वहां एक, दो जिले ऐसे हैं कि जहां पर सड़कें स्टार ऐन्ड बिल्ड फार्मूले से अधिक है, जितनी होनी चाहिये लेकिन फिर भी नैनीताल को सड़क दी

[श्री लक्ष्मीरमण आचार्य]

गयी। पहाड़ के और जिलों को भी हमने सड़कें दी हैं और मेरे ख्याल से बहुत अधिक दी हैं। लेकिन मेरे मित्र शायद नहीं जानते। इसका कारण है। मैं उन भाइयों से कहना चाहता हूं जिन्होंने इसका विरोध किया उसका कारण यह है कि हम जानते हैं कि पहाड़ की सबसे बड़ी आवश्यकता सड़क है। हम जानते हैं कि उनको दूसरे साधन उपलब्ध नहीं हो पाये हैं और हम जानते हैं कि उनको दूसरे साधन अवश्य उपलब्ध नहीं हो पायेंगे। यह भी हमको मालूम है कि उनकी आर्थिक व्यवस्था को उन्नत करने का एक मात्र साधन यातायात का विकास है और इसलिये उनको यदि अधिक सड़कें दी जायं तो वह उचित है। इसी प्रकार से दूसरे जिलों के सम्बन्ध में चर्चा आयी जहां पर स्टार ग्रिड फार्मूले से अधिक सड़कें हैं और उनको और दी गयी हैं। माननीय मंत्री जी ने अपने भाषण में उसका संकेत किया था कि उनको वह इसलिये दी गयी हैं कि वहां पर आबादी बढ़ गई है। वहां पर आवश्यकता कुछ और उनकी बढ़ गयी हैं। इसलिये कोई जिला ऐसा नहीं छोड़ा गया है जिसको कुछ सड़कें नहीं दी गयी हों।

एक चीज और मैं नम्रतापूर्वक सदन से कहना चाहता हूं। सदन में कुछ वितरण के सम्बन्ध में चर्चा कर दी गयी। मैं इस सम्बन्ध में केवल इतना कहना चाहता हूं कि स्टार ग्रिड फार्मूले के सम्बन्ध में जैसा नारायणदत्त तिवारी जी ने कहा कि वह स्थानों पर लागू नहीं हो सकता जहां पर नैवीगेशन के साधन नहीं हैं। मैं नम्रतापूर्वक यह निवेदन करूंगा कि इस सिद्धांत को आप गलत पायेंगे क्योंकि यदि आप इसी सिद्धांत पर प्लान करें जिस पर कि नारायणदत्त जी ने कहा और दूसरे मित्रों ने भी कहा कि यहां पर सड़क बनायें, यहां पर पुल बनाये और इस प्रकार से हम बनाने लगें तो उसको आप पसन्द नहीं करेंगे। तो आज यह जिस सिद्धांत पर यह प्लान आश्रित है उसको सब जानते हैं। यह सभी समझते हैं कि कितनी सड़कें हैं, कितनी रेल हैं और कितने यातायात के साधन हैं, कितनी वहां की जनसंख्या है, कितनी वहां की पैदावार है और कितने भाग में पैदावार होती है और कितने में नहीं होती है। इन सब चीजों को मिलाकर इन सब के रेशियों से स्टार ग्रिड फार्मूले से हम जानते हैं। जिस प्रकार से पहाड़ का कुछ इलाका है जहां पर कोई भी दूसरे प्रकार का साधन नहीं है। केवल जनसंख्या है। हमने जानबूझकर स्टार ग्रिड फार्मूले के अनुसार वहां पर अधिक सड़क देने की चेष्टा की है। मैं यह निवेदन करूंगा कि इस सिद्धांत को आश्रित करके आज हमने इस योजना को बनाया है और यह हमारा प्रयास है। यदि आज बाज जिलों के अन्दर सड़कों की जरूरत है और उनके सम्बन्ध में यह कहा जाता है कि वहां पर सड़कें ज्यादा हैं तो आप इसका अनुमान लगायें कि यदि वहां पर सड़कें न दी जातीं तो वहां की क्या स्थिति होती। कुछ जिलों को देते और कुछ को बिलकुल नहीं देते। हमने कोशिश की और सड़कें दीं और यदि यह सदन विश्वास कर सकता है तो मैं निवेदन करूंगा कि जहां पर सब से अधिक सड़कें हैं वह वही सड़कें हैं जिनको स्टैंडिंग कमेटी ने बनाने की आज्ञा प्रदान की और उसकी आज्ञानुसार ही उनको बनाया गया और नैशनल हाईवे और प्राविंशियल हाईवे को छोड़कर अधिक प्राथमिकता उनको दी गयी जो प्लानिंग कमेटी द्वारा सिफारिश की गयी थी

जहां तक भ्रष्टाचार का सम्बन्ध है। उसके सम्बन्ध में मैं आज सदन में केवल इतना कहूंगा कि भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में कोई इन्कार नहीं कर सकता कि यह भ्रष्टाचार इस विभाग में नहीं है या और दूसरे विभाग में नहीं है। यह तो कोई भी आदमी स्वीकार करेगा और स्वीकार करना चाहिये लेकिन इतना नम्रतापूर्वक जरूर कहूंगा कि यह भ्रष्टाचार कहां नहीं है। इसको यदि मैं यह कहूं कि यह अन्तर्राष्ट्रीय व्याधि है और राष्ट्रीय व्याधि है इसको केवल कुछ लोगों को बुरा भला कहकर ठीक कर दिया जाय यह नहीं हो सकता। कुछ लोगों को जेल भेजकर ठीक कर लेंगे तो भी यह नहीं हो सकता और उसके जो दूसरे उपाय हैं वह भी हो सकते हैं किन्तु हम यह चाहते हैं कि जो मानवीय तरीके हैं जिनसे राष्ट्र का चरित्र उठ सकता हो उनको हम करना चाहते हैं और उन तरीकों से भ्रष्टाचार का अन्त करना चाहते हैं। मैं इस सदन में केवल इतना कहना चाहता हूं कि मैं इस सदन का सहयोग चाहता हूं। इस विषय के लिये विभाग द्वारा हमने जिलों में कमेटी बनायी हैं। उन कमेटीज का केवल मात्र उद्देश्य यह है कि वे कमेटीज

हमारे अधिकारियों के काम को अधिक नाप सकें, कार्य को समझ सकें और अपनी सलाह दे सकें। मैं समझता हूं कि जब वह कमेटीज कार्य करने लगेंगी तो जिस चीज की चर्चा इस सदन में की जाती है वह जरूर कम होगी। दूसरी चीजें और भी प्रारम्भ करने की चेष्टा की गयी है लेकिन वह अभी तक नहीं हो पाई है। जैसे कि हम ठेकेदारों को कार्य देते हैं उनके स्थान पर हमने सोचा कि कुछ मजदूरों की कोआपरेटिव यूनियन को, मजदूर यूनियन को, शहरों की कोआपरेटिव यूनियन को और इसी प्रकार से सार्वजनिक कार्य करने वाली सोसाइटी को हम काम दे सकें।

श्री जगन्नाथ मल्ल—अध्यक्ष महोदय, यह तय हुआ था कि जब उपमंत्री जी बोलेंगे तो जितना समय मेम्बरों को दिया जाता है उतना ही समय उनको भी दिया जायगा। मेरे ख्याल से माननीय उपमंत्री जी १५ मिनट तो बोल ही चुके हैं।

श्री अध्यक्ष—मैं समझता हूं कि उनका इरादा कुछ ऐसा है कि अगर वे ज्यादा बोल लेंगे तो मंत्री जी कुछ कम बोलेंगे।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—श्रीमन् मेरा इस सदन में ऐसा कोई इरादा नहीं है कि मैं माननीय सदस्यों का समय लूं। मैंने केवल इस नाते कि सदन में इस विभाग के संबंध में जो चर्चा चली जो समस्या इस सदन में उठायी गयी कुछ कहने का प्रयास किया कि अगर उसके संबंध में सदन के सामने कुछ रख सकूं तो अच्छा हो। मैंने इसीलिये जानबूझकर यह निवेदन किया कि मैं सड़कों के संबंध में और भ्रष्टाचार के संबंध में ही जिक्र करूंगा। जैसा कि मैंने निवेदन किया कि इस संबंध में हमें अपेक्षा है सदन के माननीय सदस्यों की कि वे हमें सहयोग देंगे। इसके लिये जिला कमेटियां बनायी गयी हैं। यदि वे कार्य करेंगी तो मेरा विश्वास है कि यह सदन आगे बढ़ सकेगा (एक आवाज–अभी बनी नहीं हैं) कमेटियों के बनाने के संबंध में स्थान-स्थान पर आदेश-पत्र गये हैं। कहीं पर कुछ बन गयी हैं जहां पर नहीं बनी हैं वहां पर शीघ्र बनाने की चेष्टा की जायगी। इस संबंध में मैं इस सदन को यह और बता देना चाहता हूं कि जब इस विभाग के रिआर्गेनाईजेशन करने की बात है तो उसमें भी यह कार्य होगा ऐसी आशा है। मेरे एक बस्ती वाले मित्र ने खलीलाबाद तहसील का जिक्र किया इसलिये कुछ थोड़े से शब्द इस बारे में कह देना मुनासिब समझता हूं। खलीलाबाद तहसील में कुछ अच्छा काम नहीं हुआ यह बात सही है। वहां पर कुछ काम खराब हुआ और जैसी कि चर्चा की गयी कि प्लास्टर हुआ वह निकल गया जैसा सोचा जाता था वैसी बिल्डिंग नहीं बन पायी लेकिन उसको देखने के बाद विभाग के अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही की गयी उनको दंड दिया गया कुछ ठेकेदार जिनका हाथ उसमें था उनको भी दंड दिया गया। इससे अधिक क्या किया जाय यदि माननीय मित्र बतायेंगे तो वह भी करने की चेष्टा की जायगी।

मैं अधिक समय नहीं लेना चाहता हूं और केवल इस आशा से कि सार्वजनिक निर्माण विभाग, विकास के साथ निर्माण का अन्यतम साधन है और जब कि आज द्वितीय पंचवर्षीय योजना में विकास का कगार खेती के विकास से हट कर उद्योग के विकास की ओर आ गया है इसकी आवश्यकता और भी अधिक हो

[श्री लक्ष्मीरमण आचार्य]

जाती है और इस नाते यह सदन उसमें दिलचस्पी ले और सुझाव देने की रुचि लेकर अधिक से अधिक सहायता देने का प्रयास करे तो हम इसके लिये उसके अत्यन्त ऋणी होंगे ।

श्री शिवनारायण—मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय एक घंटा बढ़ा दिया गया ।

श्री अध्यक्ष—यह अब बाद में लिया जायगा ।

श्री वीरेन्द्र वर्मा (जिला मुजफ्फरनगर) माननीय अध्यक्ष महोदय प्रथम पंचवर्षीय योजना में सड़कों का जो लक्ष्य इस प्रदेश में रक्खा गया था उसमें सार्वजनिक निर्माण विभाग ने जो सफलता प्राप्त की है उसके लिये मैं माननीय निर्माण मंत्री जी को बधाई देता हूं। पहली योजना के बाद जो दूसरी योजना हमारे सामने पेश की गई है उसमें देश और प्रदेश में पहली योजना के मुकाबले में दुगने से अधिक धन लगाया जायगा । लेकिन हमें अत्यन्त खेद के साथ कहना पड़ता है कि हमारे प्रदेश में सड़कों के निर्माण के लिये अधिक रुपया नहीं रक्खा गया है जहां हमारे माननीय मंत्री जी और उपमंत्री जी दोनों मानते हैं और हमारे चीफ इंजीनियर ने भी लिखा है कि किसी देश या प्रदेश के विकास के लिए चाहे वह विकास औद्योगिक हो या कृषि सम्बन्धी शिक्षा का विकास हो अथवा धार्मिक, सांस्कृतिक, राजनैतिक या सामाजिक विकास हो हर प्रकार के विकास और उन्नति के लिये यातायात के उत्तम साधनों की अत्यन्त आवश्यकता है लेकिन फिर भी पहली योजना के मुकाबले में इस दूसरी योजना में इस कदर कम धन और तवज्जह यातायात की ओर दी गई है जब कि प्रदेश की दूसरी योजना के लिए इतना धन रखा गया है इसका कोई उत्तर शायद उनके पास हमें देने के लिए न हो । इस के साथ-साथ यह भी कहा गया कि हमने जिला प्लानिंग कमेटियों से भी इस सम्बन्ध में सुझाव मांगे थे तो मैं मुजफ्फरनगर के लिये खास तौर से बता देना चाहता हूं और मैं कह सकता हूं कि हमारी प्लानिंग कमेटी ने २–३ बार सर्वसम्मति से पास कर के प्रस्ताव भेजा लेकिन उन सबको रद्दी की टोकरी में स्थान मिला । मुजफ्फरनगर के सभी एम० एल० एज० ने भी सर्वसम्मति से अपने सुझाव दिये किन्तु वह भी रद्दी की टोकरी में रख दिये गये और जिन लोगों को अपने जिले का अनुभव है और जो मंडी, रेलवे व पुलिस स्टेशन, मोटर स्टैन्ड, तहसील हेडक्वार्टर्स आदि सब जगहों का अनुभव स्थानीय रूप से रखते हैं उनके प्रस्ताव पर कोई ध्यान नहीं रखा जाता लेकिन जो इंजीनियर महोदय ने चाहा वही हुआ जिनको यह भी अनुभव नहीं है कि कहां-कहां किस कदर (Traffic) है और कितनी आवश्यकता है कहां सड़क है और कहां नहीं है। केवल नक्शे को देखकर ही सड़कों को तय करते हैं और वही मंजूर होती है । जहांतक कि स्टार ग्रिड फार्मूला का जिक्र माननीय उप-मंत्री जी ने किया मुझे उन तमाम तालिकाओं को देखने का अवसर मिला जो उन्होंने सदन में प्रस्तुत की हैं किन्तु हमारे दुर्भाग्य से मेरठ मुजफ्फरनगर जिले जो प्रदेश के उन्नत जिले कहे जाते हैं यातायात के साधनों में सब से पिछड़े हुए जिले हैं नीचे से तीसरे चौथे नम्बर पर हैं जब सिंचाई का जिक्र आता है तो हमें कहा जाता है कि मेरठ, मुजफ्फरनगर सिंचाई में बहुत आगे हैं और जो जिले सिंचाई में पीछे हैं शुरू में उनकी ओर अधिक ध्यान जाना चाहिए इस को मैं स्वयं मानता हूं और वह बात ठीक भी है लेकिन मेरठ और मुजफ्फरनगर में जहां क्रमशः २६५ और २४३ मील सड़कें Star and grid Farmula के हिसाब से कम है वहां पर भी जब उसी तरह का बरतावा किया जाता है जिस तरह का कि सिंचाई के मामले में किया जाता है तो हमें उससे बहुत दुख होता है और शिकायत होना भी लाजमी है ।

जहां तक सी० सी० ट्रैक्स का ताल्लुक है मुजफ्फरनगर में कुल ५ मील ६ फर्लांग सी० सी० ट्रैक्स बने हैं जब कि मेरठ में २६ मील ६ फर्लांग बने हैं हमारे जिले को कम से कम १५ मील तो बनने ही चाहिए थे अगर हिसाब से देखा जाय। इस तरफ भी तवज्जह नहीं की गई है। हमारे जिले को जो सड़कें मिलनी चाहिए थी और जरूरी थीं वह नहीं दी गई हैं। मुजफ्फरनगर अगर शामली रोड पर हिन्डन पुल के नवनिर्माण का जिक्र किया गया जब कि हमारे यहां कोई भी पुल इससे मजबूत नहीं है और उसके अलावा जिन दूसरे पुलों की अत्यन्त आवश्यकता है उसका कोई जिक्र नहीं है हमने अपनी प्लानिंग कमेटी की ओर से मुजफ्फरनगर के फ्लड अफेक्टेड एरियाज के लिये कुछ जरूरी सड़कों को प्राथमिकता दी थी विशेष कर इस वजह से कि अबकी बार जब जमुना में बाढ़ आई थी तो वहां के २५–३० गांवों में पानी ही पानी भर गया था और वहां कोई यातायात के साधन न होने के कारण हवाई जहाज से अन्न गिराना पड़ा था लेकिन उस की ओर भी कोई तवज्जह नहीं दी गई।

रही करप्शन या भ्रष्टाचार की बात, मैं एक बार नहीं कई बार सदन में जिक्र कर चुका हूं और हमारे त्रिपाठी जी ने भी फर्रुखाबाद के बारे में जिक्र किया है दस या बारह प्रतिशत तो ओवरसियर्स का बंधाबंधाया है और शायद वह तो एक तरह से भ्रष्टाचार में आता ही नहीं। एक मील के ऊपर आज विभाग द्वारा ५०,००० रुपया व्यय किया जाता है मैं माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करता हूं कि वह इस तरफ ध्यान दें। माननीय मंत्री जी और उपमंत्री जी इस बात की चेष्टा करें कि इस एक्सपेंडिचर में एकोनामी की जाय। इससे पेश्तर हम लोग यह भी प्रार्थना कर चुके थे कि सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर्स के ओहदों को कम किया जाय और अगर उनके पास ओवरसियर्स और डिस्ट्रिक्ट इंजीनियर्स की कमी है तो उसमें वृद्धि की जाय और उसके लिये ट्रेनिंग कालेज खोलें। हाथरस और दूसरी जगहों पर जो ट्रेनिंग कालेज खोलने का उनका इरादा है वह सराहनीय है लेकिन हर तरह अपने एक्सपेंसेज में एकोनामी करने की पूरी आवश्यकता है। जहां कहीं भी माननीय मंत्री और उपमंत्री दौरे पर जायं सारी बातों को छोड़कर इस बात का ध्यान रक्खें कि जो-जो निर्माण कार्य जिले में चल रहे हैं उनको अपनी आंखों से देखें और वहां की जनता और कार्यकर्ताओं से निर्माण कार्य के बारे में जानकारी हासिल करें। मौके पर जाकर वे अपनी आंखों से बहुत कुछ देख सकते हैं। अगर कहीं खर्चा गलत हो रहा है अथवा (Building Material) का दुरुपयोग हो तो उसको भी चैक कर सकते हैं। मुजफ्फरनगर जिले में मंसूरपुर से सिखेड़ा तक सी० सी० ट्रैक बन रहा है। पुराने इंजीनियर महोदय ने सड़क बनाने के लिये जमीन एक्वायर की और उस पर मिट्टी डाली गई कुछ पुलियां बनाई लेकिन कुछ समय बाद जब दूसरे इंजीनियर महोदय आये तो वह सड़क के लिये दूसरी जगह एक्वायर कर रहे हैं और नये पुलों का निर्माण करना चाहते हैं और कुछ का निर्माण किया भी है। तो मैं माननीय मंत्री जी और उपमंत्री जी से प्रार्थना करना चाहता हूं कि जब हमारे पास पैसा बहुत कम है तो उसमें एकोनामी करने की ओर अधिक ध्यान दें यह देखने की जरूरत है कि जब एक

[श्री वीरेन्द्र वर्मा]

बार सड़क के लिये भूमि एक्वायर हो चुकी हो और किसानों को मुआविजा मिल चुका हो और सड़क पर पुल भी बन चुके हों तो दोबारा उसी स्थान पर दूसरी जमीन को एक्वायर किया जाय और दूसरे पुल बनाये जायं तो यह कहां तक उचित होगा।

इसके अलावा माननीय मंत्री जी से यह भी प्रार्थना करना चाहता हूं कि हमारे जिले में उन्नति और विकास के लिये उन सड़कों का जो फ्लड अफेक्टेड एरियाज में हैं विशेष ध्यान रक्खा जाय और जिले की प्लानिंग कमेटी और जिले के एम० एल० एज० के सुझावों को वजन दिया जाय स्टार एंड ग्रिड फार्मूला के अनुसार जो आंकड़े उन्होंने हाउस के सामने रखे हैं उनके आधार पर ११५ मील लखनऊ में, १११ मील बनारस में, ७२ मील जौनपुर में, ७३ मील देहरादून में, ४३ मील कानपुर, ४४ मील नैनीताल में सरप्लस आते हैं किन्तु इन सरप्लस जिलों को ५०-६० मील और दिये जा रहे हैं और जो जिले २४३ मील से भी अधिक मायनस में हैं उनकी ओर कोई ध्यान ही नहीं है। यह कौन सा इंसाफ है ?

श्री शिवनारायण—मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय १ घंटा बढा दिया जाय।

श्री अध्यक्ष—अच्छी बात है—थोड़ी देर में यह प्रश्न मैं ले लूंगा।

श्री शिवस्वरूप सिंह (जिला मुरादाबाद)—माननीय अध्यक्ष महोदय, पहले तो मैं आपके द्वारा एक शिकायत करना चाहता हूं। वह यह कि अखबारों में मेरा नाम शिवस्वरूप गुप्त छापा जाता है। अखबारों में नाम छप जाय तब तो कोई अन्देशा नहीं लेकिन लोग मुझे गुप्ता जी कहने लगे हैं, जब कि मेरा नाम बिल्कुल सीधा सा शिवस्वरूप सिंह है।

श्री अध्यक्ष—मैं समझता हूं कि अखबार वाले अब याद रक्खेंगे खासतौर से आपको सिंह कहेंगे गुप्त नहीं कहेंगे।

श्री शिवस्वरूप सिंह—अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय विचित्र नारायण शर्मा जी को धन्यवाद देता हूं इसलिये कि उन्होंने बड़े साहस के साथ अपने विभाग की सराहना की जिसके बारे में अधिकांश लोगों का मत दूसरा ही है। मैं बहुत देर से सोचता था और मेरी हिम्मत नहीं होती थी कि मैं उनको विभाग के लिये धन्यवाद या बधाई पेश करूं। मैं सोचता हूं कि इस सदन में केवल एक ही व्यक्ति हो सकता है जो इस विभाग को धन्यवाद दे सके और वह व्यक्ति माननीय वित्त मंत्री हो सकते हैं। वह इसलिए श्रीमान्, कि मैं सोचता था कि माननीय वित्त मंत्री के पास ऐसा कौन सा जादू है कि हर साल डेफिसिट बजट पेश करने के बाद भी साल को पूरा उतार देते हैं। । वह मुझे अब मालूम हुआ कि यह सार्वजनिक विभाग है जिसके द्वारा उनका बजट पूर्ण हो जाता है। मैंने श्रीमन्, इसी माननीय सदन में एक बार प्रश्न किया था कि मुरादाबाद जोन में कितना रुपया इन कार्यों के लिए यहां से स्वीकृत हुआ था और उसमें से कितना रुपया लैप्स हो गया। उत्तर माननीय मंत्री के द्वारा मिला कि लगभग ३० लाख रुपया स्वीकृत हुआ था और उसमें ११ लाख ७० हजार रुपया लैप्स हो गया। पिछले वर्ष श्रीमन्, ढेला नदी के दो पुल स्वीकृत हुए थे जिसके लिए पांच लाख रुपया स्वीकृत हुआ था। उनका सारा साल पूरा हो गया उन पांच लाख रुपयों में से एक रुपया भी उन पुलों पर नहीं खर्च किया गया। इस प्रकार मैं यह समझता हूं कि माननीय वित्त मंत्री ही एक अधिकारी हो सकते हैं जो इस विभाग के कार्यों की प्रशंसा करें और उनको बधाई पेश करें। श्रीमन्, माननीय मंत्री जी ने अपने

इस विभाग की बड़ी सराहना की, उनके काम की सराहना की और उनको कुछ पवित्र भी उन्होंने माना । मेरा आपके द्वारा उनसे निवेदन और चेतावनी यह है कि उसी विभाग के कुछ व्यक्तियों ने मुझसे यह कहा था कि हमारे माननीय मंत्री इतने सीधे और भले हैं कि हमारा विभाग उनको एक्सप्लायट कर रहा है । मैं नहीं कहता कि वह एक्सप्लायट हो सकते हैं या नहीं लेकिन उनके विभाग का कुछ ऐसा रुख है –जिस विभाग की वह प्रशंसा करते हैं । निश्चय ही वह उनका हृदय परिवर्तन कर सकते हों लेकिन मेरा खयाल है कि अभी तक उनका हृदय परिवर्तन नहीं हुआ है। इतना परिवर्तन उस विभाग ने माननीय मंत्री में जरूर कर लिया है कि उनके विचारों को परिवर्तित कर दिया। अभी जब माननीय मंत्री जी कह रहे थे कि जिस समय उन्होंने इस विभाग का भार सम्हाला था उस समय उनको भी यह ख्याल था, वह डरते थे कि इस दूषित वातावरण में वह जा रहे हैं, कैसे चलेगी गाड़ी ? उन्होंने कोई प्रयत्न किया या नहीं। नारायण दत्त तिवारी जी ने यह कहा भी कि उन्होंने कोई भी ऐसी बात इस सदन के सामने नहीं रखी जिसके द्वारा यह सदन यह अनुभव कर सके कि उन्होंने इस साल भर में उस विभाग के हृदय परिवर्तन का कोई प्रयत्न किया है। उन्होंने अपने तरीके से किया हो, हो सकता है।

एक दूसरा निवेदन श्रीमन्, मेरा और भी है। हमारे माननीय मंत्री जी तो सीधे और सच्चे व्यक्ति हैं, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता । दूसरे उनको हमेशा सीधे और सच्चे आदमियों से ही व्यवहार करने का मौका पड़ा है। उन्होंने हमेशा खादी आश्रम को चलाया है । निश्चय ही खादी आश्रम में नेक और भले आदमी रहते हैं। उनमें कोई भ्रष्टाचार या मक्कारी की भावना नहीं पायी जा सकती है । उसके बाद दूसरा काम उन्होंने भूदान का सम्हाला। निश्चय ही उसमें भी नेक और परिश्रमी तथा कर्मठ व्यक्ति होते हैं। लेकिन जिस विभाग को उन्होंने सरकार के जरिये संभाला है। श्रीमन्, मुझे इस बात का अन्देशा है कि वह कहीं खादी आश्रम या भूदान विभाग के कार्यकर्त्ताओं को समझ करके इधर के कार्यकर्त्ताओं को वैसा न समझ जायं । तो मैं अधिक न कह कर श्रीमन्, यह कहने के लिये खड़ा हुआ था कि जैसी उन्होंने प्रशंसा की उस विभाग की निश्चय ही वह अपनी तरह से सीधा कर लें तो बड़ी प्रसन्नता की बात होगी । लेकिन जैसा उस विभाग के लोगों का कहना है कि उनको उल्टा ऐक्सप्लायट कर रहे हैं तो इन दोनों में कहीं लड़ाई न हो जाय और पांसा लौट न जाय । तो इस ख्याल से मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं।

अब जो काम स्वीकृत होते हैं श्रीमन् वह अवश्य होने चाहिए । साल पूरा हो जाय नक्शा बनता रहे और वहां पर काम खाली पड़ा रहे । यहां पर मान लीजिये मेरे ही क्षेत्र के लिये आपने कोई कार्य स्वीकार किया मैंने जा कर सारे क्षेत्र को बताया कि यह काम होने जा रहा है । साल भर बराबर इंतजार करते रहे प्रतिनिधि भी और वहां की रहने वाली जनता भी और फिर एक पैसा भी खर्च न हो तो कितनी बड़ी निराशा होगी । इतना कह करके मैं फिर उनकी नेकी के लिये धन्यवाद देता हूं ।

श्री अध्यक्ष—मैं पूछ लेता हूं और एक घंटा तो ज्यादा समय हो जायगा। सदा हम लोग आध घंटा ही बढ़ाते हैं क्योंकि उसके बाद एक और प्रस्ताव है। तो मैं आध घंटे के लिये प्रस्ताव रखूंगा।

प्रश्न यह है कि आध घंटा समय बढ़ा दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री रामवचन यादव (जिला आजमगढ़)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस सार्वजनिक निर्माण विभाग के अनुदान के सम्बन्ध में मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि आजमगढ़ जिले में पिछली बार जो सड़क बनी थी उसके बाद इस बार सिर्फ नई सड़क ६ मील ली गयी। वह बहुत कम है, लेकिन उस जिले में इस बात पर भी ध्यान देना चाहिये कि जिस तरफ़ हर विभाग डेवलपमेंट का काम कर रहा है। पिछली बार भी उसी तरफ नई सड़क बनी थी और इस बार भी जो नई सड़क बनाने को दी गई वह आजमगढ़ के पूर्वी क्षेत्र में दी गई। लेकिन आजमगढ़ का जो पश्चिमी हिस्सा है, तहसील फूलपुर है वहां दूसरे विभागों के द्वारा भी डेवलपमेंट का कोई कार्य नहीं हुआ है और इस बार भी जो नई सड़क बनने वाली है वह पूर्वी हिस्से में ही है, इस पर ध्यान देना चाहिये। जिस क्षेत्र में दूसरे विभाग डेवलपमेंट का काम कर रहे हैं और कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां कोई भी काम नहीं हो रहा है। तो सड़क विभाग को काम ऐसे इलाके में देना चाहिये। आजमगढ़ जिले के पश्चिमी और दक्षिणी इलाके में यह कहा गया कि ट्यूबवेल यहां पर कामयाब नहीं हो रहे हैं। मैंने पिछली बार निवेदन किया था जब ट्यूब वेल, नहर नहीं बन रही है तो सड़क बनवा दी जाय। लेकिन मैंने देखा नई सड़क इस बार फिर उसी तरफ दी गई जहां पिछली पंचवर्षीय योजना में बनी थी। लेकिन दक्षिणी और पश्चिमी क्षेत्र में द्वितीय पंचवर्षीय योजना में एक फुट भी नई सड़क बनने वाली नहीं है। तो मंत्री जी इस पर ध्यान दें कि किसी खास जगह हर बार सड़क न बन करके जिले के हर क्षेत्र में कुछ न कुछ सड़क बनती रहे।

दूसरी बात यह है कि अगर नई सड़क नहीं बन रही है तो जो सड़क सुधार की जाने वाली है कम से कम वही सड़क उधर ही न बनायी जाय जिधर नई सड़क बनाई जा रही है। दूसरे इलाके के उस सड़क को, दूसरी तहसील में, दूसरे क्षेत्र में बनवाने की कृपा करें तो इससे वहां की जनता को यह कहा जा सकता है कि हां, इस तरफ भी कुछ काम हो रहा है। नहीं तो वहां की जनता कहती है कि हम लोग भी तो टैक्स देते हैं, हम लोग भी तो सरकार को कर देते हैं लेकिन हमारा कर एक ही तरफ, दूसरी तरफ सब खर्च होता है और हम जो प्रतिनिधि वहां से आते हैं उनसे जवाब करते हैं कि आप जा कर वहां कभी कहते भी हैं। इसलिये मेरा निवेदन है कि इस पर ध्यान दिया जाय। दूसरी बात एक और कहने की है। माननीय सदस्यों ने इस विभाग के भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में कहा। लेकिन मैं यह कह सकता हूं कि मेरे जिले में अभी जो भूतपूर्व डिस्ट्रिक्ट इन्जीनियर थे उनके बारे में कोई भी एक व्यक्ति आजमगढ़ जिले का नहीं शिकायत कर सकता कि कमीशन या परसेंटेज की बात कोई उनके मुतालिक हो। तो कुछ आदमी हैं, सभी लोग नहीं बदनाम हैं। मैं भी पहले समझता था कि इस विभाग में शायद सभी लोग ऐसे हों लेकिन इन तीन-चार वर्षों के तजुर्बे से मुझे ज्ञात हुआ कि कुछ व्यक्ति भी इस विभाग के ऐसे हैं कि जिनके ऊपर हाथ नहीं उठाया जा सकता। अब एक बात और बतलानी है। मैंने देखा कि जो सड़कें बनी हैं उन सड़कों में रुपया जो खर्च होता है उसका बहुत ज्यादा ऐस्टीमेट बनता है। मैं जानता हूं और उनको सोचा जाय तो कहीं-कहीं कुछ कम खर्चे में सड़क बन सकती है। उसका एस्टीमेट ऐसा किया जाय कि कुछ कम रुपये का बनाया जाय तो जितनी सड़कें बन रही हैं आज उससे ड्योढ़ी और दूनी सड़कें बन सकती हैं, क्योंकि कई जगहें ऐसी होती हैं कि जहां मैटीरिअल की सुविधा होती है। वहां कम खर्चे में सड़कें बन सकती हैं। लेकिन जो हिसाब लगाया जाता है वह उसी तरह से लगाया जाता है जहां कि ज्यादा से ज्यादा खर्चा पड़ता है। इसलिये जहां

कंकड़ (कंकरीट) आसानी से मिलता है, मैटीरिअल की सुविधा हो, वहां का एस्टीमेट कुछ कम बनाया जाय, हर जगह के लिये एक ही तरह का एस्टीमेंट न हो, इस तरह से ध्यान दिया जाय तो ज्यादा सड़कें बन सकती हैं। एक चीज माननीय मंत्री जी से आजमगढ़ जिले के सम्बन्ध में बतलाना चाहता हूं कि वहां तीन थाने ऐसे हैं कि जहां पक्की सड़क नहीं है। फूलपुर तहसील में पवई थाना है जहां कोई पक्की सड़क नहीं गई है। पांच छः मील लम्बी सड़क बन जाय उससे काम चल सकता है। अम्बारी (दीदारगंज रोड स्टेशन) से बुढ़नापुर तक की जो सड़क है उसकी दशा इस बाढ़ में एक दम बिगड़ गई है और वह डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की सड़क है। अगर डिस्ट्रिक्ट बोर्ड को वह दी जायगी तो फिर वह कभी नहीं बन सकती। इसलिये हमारे यहां की प्लानिंग कमेटी ने ऐसा सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास करके भेज दिया है कि उस सड़क को भी ठीक करने के निमित्त रखा जाय तो इस तरफ पश्चिमी इलाके में कुछ सड़क बन जायगी।

श्री राम सुभग वर्मा (जिला देवरिया)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा जो कटौती का प्रस्ताव उपस्थित है उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। माननीय सदन के माननीय सदस्यों में से माननीय तुलसीराम जी एक बहुत ही विचित्र सदस्य थे। ठीक उसी तरह से माननीय मन्त्रियों में हमारे पी० डब्ल्यू० डी० के मन्त्री माननीय विचित्र नारायणजी शर्मा भी विचित्र हैं और वैसे ही उनको यह विभाग भी विचित्र किस्म का पी० डब्ल्यू० डी० मिला है। माननीय मंत्री जी ने अपने भाषण में बताया कि यह जो विभाग है बिलकुल निर्दोष है। सबेरे से अब तक माननीय सदस्यों ने जो बतलाया है उससे माननीय मंत्री जी को तो ज्ञात हो गया होगा और वर्षों में इस विभाग के बारे में जितना लोग बतलाते हैं उससे माननीय मंत्री जी को ज्ञात है। इस विभाग को जितना रुपया मिलता है उसका आधा भी अगर ठीक से उस काम में इस्तेमाल हो जाय जिसके लिये दिया गया है तो मैं माननीय मंत्री जी की तरह से कहूंगा कि यह विभाग निर्दोष है और मैं भी इसको निर्दोष समझ लूंगा। जहां तक इस विभाग के कार्य की सराहना का सम्बन्ध है माननीय सदस्यों द्वारा सदन में प्रस्तुत की गई है उसके लिये तो मैं यह कहना चाहता हूं कि हर एक अपनी दृष्टि से देखता है। लेकिन माननीय मंत्री जी के लिये तो मैं क्या कहूं किसी ने कहा है कि "समरथ को नहिं दोष गुसाईं" वे समर्थ हैं उनको तो कहीं दोष नहीं दिखाई देता है, फिर उन्होंने यह समझ लिया है कि "मूंदहु आंख कतहुं कोउ नाहीं" आंख बन्द कर लें तो फिर कुछ दिखाई नहीं देता। माननीय शिवस्वरूप सिंह जी ने कहा कि मंत्री जी इतने भोले-भाले हैं कि विभाग में क्या होता रहता है इसका उन्हें पता नहीं होता और वह समझते हैं कि उनका विभाग बिलकुल निर्दोष है और लोगों को इसमें दोष दिखाई देता है। लेकिन माननीय मंत्री जी इसको इतना पाक साफ और पवित्र मानते हैं। इससे तो मैं यही अनुभव करता हूं कि माननीय मंत्री जी इस विभाग की गहराई में जाने की कभी कोशिश नहीं करते हैं। जहां तक पुल बनाने का काम है, मकान बनाने का है, सड़क बनाने का है, जहां तक मुझे अनुभव है मकान बनाने में जो मैटिरियल दिया जाता है उसका हाल यह है कि सीमेंट की जगह पर राख और बालू मिला कर मकान तैयार करा के चूने और सीमेंट से उसको लीप पोत कर खड़ा कर दिया जाता है, और जहां २० हजार रुपये की मंजूरी होती है वहां चौथाई रुपया ही उसका खर्च होता है और बकिया रुपया न मालूम कहां चला जाता है? इसी तरह से मैंने सड़कों को भी देखा है कि सड़कों पर अव्वल दर्जों

[श्री रामसुभग वर्मा]

का ईंट उसमें लगाना चाहिये लेकिन दोयम, सोयम दर्जे का ईंट लगा दिया जाता है और उसका नतीजा यह होता है कि जिन सड़कों को काफी ठहरना चाहिये वह दूसरे तीसरे और कभी-कभी तो साल-साल भर में बेकार हो जाती हैं। पक्की सड़कें जो पहले की बनी हुई हैं वह तीस-तीस और बत्तीस-बत्तीस साल तक चलती हैं लेकिन हमारे यहां पडरौना से कसया तक की सड़क जो बनी थी वह साल भर में ही ख़राब हो गई। पुलों की भी हालत हमने देखी है। जो बाहरी आदमी अपना रुपया लगा कर दूसरे आदमियों के सहारे से अपने बनवाता है वह कम दाम और ज्यादा मजबूत पुल तैयार होता है, लेकिन विभाग की तरफ से जो बनते हैं वह ख़राब हो जाते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आप के द्वारा यह पूछना चाहता हूं कि जो ओवरसियर काम करना शुरू करता है उसके दूसरे तीसरे वर्ष में ही यदि उसकी हैसियत देखी जाय तो उसका दुमंजिला मकान बन जाता है। आखिर वह मैटीरियल कहां से आता है जब दूसरे लोग नहीं पाते हैं। इसके बाद मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारे यहां जो ४०९ मील की सड़क बनने को थी और उसमें २२६ मील बनी बाक़ी १८३ मील बाकी है यह क्यों है? हमारा जिला बहुत पिछड़ा हुआ जिला है और वह प्रान्त के बिलकुल आखिरी हिस्से में पड़ता है। उस जिले में जब कोई ऐसा वक्त आ जाता है, जैसे गल्ले का अभाव हो गया था, तो वहां ऐसी-ऐसी सड़कें हैं, जिनके द्वारा गल्ला या और कोई चीज पहुंच ही नहीं सकती है। माननीय मंत्री जी इस बार दौरे पर गये थे उन्होंने देखा होगा कि वहां की सड़कों की हालत कितनी ख़राब है। हमने लिख कर भी भेजा कि कसया से तमकोही रोड होते हुए पिपराघाट, कठकुइयां से छठिया और पडरौना से भागी पट्टी समसा बरवा पट्टी से दूपट्टी, और कंचनपुर बघउच घाट होते हुये फाजिलनगर इसी तरह से और बहुत सी सड़कें बिलकुल खराब हैं, उनको ठीक करवा दिया जाय। उनके ठीक न होने की वजह से अभावग्रस्त क्षेत्रों में गल्ला पहुंचाना बहुत कठिन हो जाता है।

श्री सीताराम शुक्ल (जिला बस्ती)---अध्यक्ष महोदय, अभी तक हर साल जब बजट आया करता था तो ज्यादातर पुलिस तथा सामान्य प्रशासन की आलोचना हुआ करती थी। इस वर्ष वहां बहुत आलोचना नहीं हुई और आज मैं देख रहा हूं कि सब से कटु आलोचना इस विभाग की हो रही है, और विभाग की ही नहीं माननीय मंत्री जी की भी हो रही है। कोई बात नहीं, आजादी है, हर मेम्बर स्वतंत्र है बोलने के लिये। खुशी की बात है, मुझे कोई शिकायत नहीं, यह स्वतंत्रता है, इसका उपयोग तो होना ही चाहिये। यह आलोचना हुई कि इतना परसेन्टेज तय है, निम्न कर्मचारीवृन्द इतना ले लिया करते हैं और इसको जानने के बाद भी लेना जारी है तो हम लोग भी इसके लिये खतावार हैं, कानून बनाने वाले तो हम हैं, तो क्या वह खतावार नहीं हैं? यह हाउस भी खतावार है और हम लोग भी खतावार हैं। शिकायत बार-बार करना काफी नहीं है। सोचना यह चाहिये कि वह कैसे दूर की जाय? हमारे माननीय त्रिपाठी जी को यह शिकायत है कि यह नहीं बतलाया गया कि सजा किस किसको दी गयी। एक संस्कृत का श्लोक है कि जिसका मतलब यह है कि कुछ जानवर जवाहरात के मकान में भी जायं तो छेद ही ढूढ़ते हैं। यह ठीक है कि यह बतलाना चाहिये कि सजा किस किस को मिली। मगर साथ ही जिसको इनाम मिला वह भी सामने आना चाहिये। शासन सख्ती और शाबाशी दोनों से सफल होता है। कुछ मेम्बरों ने कहा कि मंत्री जी सीधे-सादे आदमी हैं भूदान और खद्दर का काम करने वाले ये क्या करेंगे, इन्हें तो चलते पुर्जे कर्मचारी धोखा दे देंगे किन्तु माननीय सदस्य भूल गये कि अन्धेरा उजाले से ही दूर होता है। बुराई से बुराई नहीं दूर होती है। बेईमान को ईमानदार ही ईमानदार बना सकता है। रह गयी शिकायत तो उसके लिये

में अर्ज करता हूं कि यह नयी बात नहीं है बहुत पुरानी शिकायत है। कोई भी दुनिया में गुण नहीं है जिसकी कि निन्दक लोग निन्दा न करते हों। भर्तृहरि ने कहा है :—

जाड्यं ह्री मति गण्यते व्रतरुचौ दम्भः शुचौ कैतवम्
शूरे निर्घृणतामुनौ विमतिता दैन्यं प्रियालापिनी।
तेजस्विन्यवलिप्तता मुखरता वक्तव्यशक्तिः स्थिरे
तत्को नाम गुणो भवेत्स गुणिनां यो दुर्जनैर्नांकितः॥

इसका अर्थ यह है कि दुर्जन लज्जावान पुरुष को मूर्ख, व्रतधारी को दम्भी, पवित्र को पाखण्डी, शूर को निर्दयी मौन व्रत करने वाले को मूर्ख, मिष्ठभाषी को दरिद्री, तेजस्वी को गर्वीला स्पीकर को वक्तवादी और स्थिर चित्त वाले को आलसी कहते हैं। इससे यह ज्ञात होता है कि ऐसा कोई गुण नहीं है जिसको दुर्जनों ने कलंक नहीं लगाया।

श्री अध्यक्ष––मैं समझता हूं कि इस समय आपने स्पीकर अपने को ही कहा होगा।

श्री सीताराम शुक्ल––हुजूर, केवल अपने और श्रीमान् के लिये ही नहीं मैंने कहा है बल्कि वह तो हर एक वक्ता के लिये श्लोक में जिक्र आगया है, वहीं मैंने यहां अर्ज किया है। अब मैं आप को सुझाव देना चाहता हूं और वह यह है कि जब कभी कोई ठेका दिया जाय तो यह शर्त भी लगा दी जाय कि इतने दिनों तक मरम्मत की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर मरम्मत की जरूरत पड़ गयी तो ठेकेदार को अपने पैसे से करानी होगी। इसी तरह से अगर कोई पुल बनाया जाय तो उसका एस्टीमेट बनाया जाय और चेक किया जाय और फिर उसमें भी यह शर्त रखी जाय कि अगर यह ५०/२५ साल में टूट गया तो ठेकेदार को मरम्मत करवानी होगी। साथ ही जिस अफसर ने काम का देखभाल किया हो उसे भी सजा दी जाय तुमने कमजोर को मजबूत कैसे लिख दिया यह ऐसी चीज है कि काम को चेक किया जा सकेगा। अब लाल रोशनी हो गई है और मैं वैसी बातों में ही रह गया और अपने क्षेत्र का जिक्र नहीं कर सका।

हुजूरवाला, छावनी से कलवारी तक एक सड़क जाती है और डुमरियागंज एक तहसील है वहां पर पी० डब्ल्यू० डी० की मेन रोड है और वह इतना खराब रास्ता है कि लारी और ट्रक वगैरा सड़क के नीचे चलती हैं बरसात में न जाने क्या होगा। मेरी प्रार्थना है कि अंग्रेजों के जमाने से यदि अच्छा न हो तो खराब भी न हो। मैं इस ओर मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करता हूं और उम्मीद करता हूं उक्त सड़कें बन जायंगी।

श्री सियाराम चौधरी (जिला बहराइच)––अध्यक्ष महोदय, मैं सार्वजनिक निर्माण मंत्री जी को इन अनुदानों के लिये बधाई देता हूं क्योंकि उन्होंने इस भवन के अन्दर अपने विभाग की अच्छाई और बुराइयों को सदस्यों के सामने रखने में कोई हिचक नहीं रखी है। यह सही है कि इस विभाग के सभी आदमी बुरे नहीं हैं। अभी हाल में हमारे जिले में एक इंजीनियर थे जिन्होंने काफी मसक्कत से काम किया और सड़कें बनाई। लेकिन हमारे जिले में एक सड़क बहराइच से जरवल रोड को मिलाती है उस पर पीपे का पुल था। सैलाब के जमाने में गवर्नर महोदय बलरामपुर के जलसे में जा रहे थे इसलिये यहां से पीपे ले जा कर गोंडा जिले में टेढ़ी नदी पर लगा दिये गये।

[श्री सियाराम चौधरी]

इन पीपों को ले जाते समय हमारे कृषि मंत्री जी से इंजीनियर साहब ने वायदा किया था कि बहुत जल्दी यह पीपे वापस लाकर यहां लगा दिये जायंगे। मगर श्रीमन् वह पीपे आजतक वापस नहीं आये। कई मर्तबा हम उपमंत्री जी से मिले। लेकिन एक्जीक्यूटिव इंजीनियर गोंडा की हठ धर्मी से वह पीपे मेरे जिले को वापस नहीं किये गये। नतीजा यह हुआ कि एक दूसरा काठ का पुल बना दिया गया जिसकी वजह से हमारे यहां की जनता को तीन मील का चक्कर लगा कर बहराइच सदर पहुंचना होता है। बैलगाड़ियों को भी बहुत ज्यादा परेशानी हो गई है जिस रास्ते से मोटर वगैरह जाती हैं उस रास्ते से बैलगाड़ियों को जाने की इजाजत नहीं दी गयी है। दूसरे रास्ते से चक्कर काटकर वह बहराइच जा सकते हैं। अगर भूल से कोई गाडी इस रोड पर चली जाय जिस रास्ते पर कुल दो तीन फर्लांग का ही कच्चा रास्ता तय करना पड़ता है तो उसका चालान कर दिया जाता है। इसके अलावा पी० डब्ल्यू० डी० द्वारा झींगूरी नाला में तीन वर्ष से पुल बनाया जा रहा है। उसके लिये रुपया मंजूर है। कई बार कोशिश करने के बाद यह पता चला है कि एक्जीक्यूटिव इंजीनियर या चीफ इंजीनियर देख लेंगे तब बुनियाद डाली जायगी। और इस मर्तबा तो हमने यह भी सुना कि चीफ इंजीनियर महोदय भी वहां हो आये हैं लेकिन आज तक इसके बनने की कोई बात नहीं दिखाई पड़ती। जैसा कि चौधरी शिवस्वरूप सिंहने बताया है कि यह मुहकमा जो डेफिसिट बजट होता है उस को पूरा करने में मदद करता है। यह बात मुझे सही मालूम हुई। मेरे जिले में एक पखरपुर थाने की इमारत है जो आज तक बन नहीं पाई। एक आध मर्तबा जब पुलिस विभाग वालों ने उनसे कहा तो ओवरसियर चले गये और दाग बेल लगाई पैमाइश की और वापस चले गये। आज तक वहां एक ईंटा नहीं गिरा है और न कोई उसको बनाने का काम ही शुरू हुआ है। इसी तरह से हमारे जिले में जरवल कटी के ऊपर एक पुल पर यह विभाग तजुर्बा कर रहा है एक ह्यूम पाइप का पुल बना कर। इससे जनता का बड़ा नुक्सान हुआ है। इस ह्यूम पाइप के पुल के बनाने के लिये बहुत रुपया खर्च किया गया और बहुत सा रुपया इसकी रक्षा करने के लिये खर्च किया जाता है। कई बार से वह पुल हमेशा कट जाया करता है और पानी नहीं निकल पाता है जिसकी वजह से किसानों की फसल बरबाद जाया करती है और बड़ा नुक्सान वहां होता है। वहां पर विभाग के लोग सड़क काट कर पुल को बचाने की कोशिश करते हैं और इस प्रकार से लाखों रुपया बर्बाद किया गया और कई साल से सैकड़ों बीघा फसल नष्ट हो रही है। आज भी विभाग के लोग यह तजुर्बा नहीं कर पाये हैं कि इसको किस तरह से बनाया जाय। श्रीमन्, उत्तर की तरफ नैपाल की सरहद पर तमाम जंगलात हैं। उनमें जाने के लिये एक ही रास्ता बहराइच से भिंगा की तरफ एक रोड है। इस रोड पर दो नदियां पड़ती हैं जिन पर कोई पुल नहीं है। ६ महीने तो यह रास्ता बन्द रहता है। इस विभाग ने इस सड़क को बहराइच-देवरिया रोड के नाम से ले रखा है और इसके बाद ८ मील का टुकड़ा डिस्ट्रिक्ट बोर्ड पर छोड़ दिया है। डिस्ट्रिक्ट बोर्ड में इतना धन नहीं कि इनकी वह मरम्मत करा सके या उसको बनवा सके। उस पर एक बहुत बड़ा पुल बनने वाला है। उस क्षेत्र के जो रहने वाले हैं उनके पास खेती बारी इतनी ज्यादा नहीं है इसलिये कि वहां काफी तादाद में जंगल हैं। उसकी लकड़ी काट कर बेच कर वह अपनी जिन्दगी बसर करते हैं लेकिन उस लकड़ी को बैलगाड़ी पर लाद कर बहराइच तक ले जाने का उनके पास साधन नहीं है क्योंकि इन नदियों पर टेम्पोरेरी ब्रिज बनाये जाते हैं जो अक्सर टूट जाया करते हैं। इस पर गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिये। श्रीमन् इसके अलावा श्रावस्ती के मेले के लिये बलरामपुर से श्रावस्ती तक जो एक सड़क गोंडा जिले के अन्दर बनाई गई उसके निकट कटरा बाजार जो हमारे जिले में है उसका फासला उस सड़क से कुल एक मील का रह जाता है और वह एक ऐसा बाजार है कि जहां से श्रावस्ती जाने वाले

यात्री अपना सामान आदि खरीदते हैं। तो यह एक मील का रास्ता इस विभाग ने न बना कर हमारे जिले के साथ बड़ा अन्याय किया है। अगर यह एक मील की सड़क और बन जाय तो बड़ी कृपा होगी। मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान इस तरफ खास कर दिलाना चाहता हूं।

श्री रामकृष्ण जैसवार (जिला मिर्जापुर)––माननीय अध्यक्ष महोदय, जो अनुदान माननीय मंत्री जी ने प्रस्तुत किया है मैं उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। आज इस निर्माण के युग में जहां कि हमारा देश उन्नति कर रहा है और जहां ऐसे पिछड़े हुये जिले हैं कि जहां यातायात के साधन नहीं हैं उसमें इस विभाग ने जिस जिम्मेदारी से काम किया है और हमारी सरकार ने जो अपने सुझाव या आदेश दिये और जैसे इस विभाग के इंजीनियरों ने और स्टाफ ने साहसपूर्वक जहां नाले और दूसरी चीजें नहीं थीं सड़कें नहीं थीं वहां इंजीनियरों ने जिस परिश्रम के साथ कठिनाइयों का सामना करते हुये अपने कर्तव्य का पालन किया है वह बहुत ही सराहनीय कार्य है। हां, यह हो सकता है कि इस विभाग में कुछ करप्शन की बात कही जाती है। वह पुरानी बात है जो कि सब के दिमाग में है। लेकिन इस विभाग की जहां यह बात है उसके एक हमारे ऐसे मंत्री हैं जो स्वाभाविक रूप से जैसे हैं उसको सब जानते हैं वह इस चीज को बरदास्त करने वाले नहीं हैं। जब से माननीय मंत्री जी के हाथ में यह विभाग आया है उन्होंने भरसक प्रयत्न किया है। मैं यह दावे के साथ कह सकता हूं कि इस हमारे विभाग में जितने इंजीनियर हैं उसमें यह बात नहीं हो सकती है। जो छोटे-मोटे नीचे के स्टाफ के लोग हैं उनमें यह बात हो सकती है। यह अवश्य है कि जो बड़े लोग होते हैं उनकी शिकायत होती है। यह सब जानते हैं कि जो अनुमान किसी बिल्डिंग आदि के लिये बनाया जाता है तो उसमें खर्च कम होता है। जो आज कल ठेकेदार हैं जो ठेका लेते हैं उसमें वह नीचे के और ठेकेदारों को ठेका देते हैं तो उनको फायदे के लिये वह मिला लेते हैं। तो वे लोग कुछ परसेन्टेज दे कर काम चलाते हैं। मैं चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी इस तरफ ध्यान दें। इसी के साथ साथ मैं उनका ध्यान अपने जिले की तरफ ले जाना चाहता हूं कि मिर्जापुर जिले में सड़क बहुत कम बनायी गयी है। वहां पर लालगंज हलिया सड़क जो कच्ची है उस के विषय में कई बार लिखा गया लेकिन उस के विषय में ध्यान नहीं दिया गया। मैं उनका ध्यान गोपीगंज सड़क की तरफ भी दिलाना चाहता हूं। मैं यह शिकायत मंत्री जी से करना चाहता हूं कि हमारी प्लानिंग कमेटी से कुछ सड़कों के नाम मांगे गये थे और वह प्लानिंग कमेटी ने भेजे थे और जिले से यहां आये होंगे लेकिन जब देखा गया तो उन सड़कों का कहीं पता नहीं है। प्लानिंग कमेटी के लोगों ने जिस नक्शे को बना कर भेजा था उसको यहां पर मंजूर नहीं किया गया। और उन सड़को को काट दिया गया। और फिर न मालूम किस दृष्टिकोण से और सड़कों को रखा गया। हमारी सरकार की तरफ से जो आदेश जाता है और उस पर जो वहां लिखा जाता है उस को विशेष रूप से उस पर विचार करना चाहिये। इस प्रकार के मनमानी करने से कोई लाभ नहीं है। इन शब्दों के साथ मैं उनके इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री शिवनारायण––श्रीमन्, मैं अपने जिले की बात न कह कर इस सरकार से यह निवेदन करना चाहता हूं कि हमारी सरकार के सामने शेरशाह का उदाहरण मौजूद है कि शेरशाह की हकूमत ने सारे हिन्दुस्तान में इतनी लम्बी सड़क को बनवा

[श्री शिवनारायण]

दिया था जो आज भी मौजूद है। करेप्शन के बारे में यह कहना चाहता हूं कि हमारे सोने के मिनिस्टर सेन्ट्रल मिनिस्ट्री में मौजूद हैं जिनके हाथ में रेलवे विभाग है। वह कितने बढ़िया आदमी हैं यह सब जानते है लेकिन उनके विभाग में आज भी करेप्शन है। इस डिपार्टमेन्ट के लिये कहा जाता है कि इसमें बड़ा करेप्शन है। मैं भी कहता हूं कि उसमें करेप्शन है मगर उसका यह कारण है कि जितने उसमें इंजीनियर हैं वह मुस्तकिल नहीं हैं। जब वह मुस्तकिल नहीं हैं तो वे इस चक्कर में रहते हैं कि जितना बचाया जा सके बचाओ और इसको धर लो। मैं यह कहना चाहता हूं कि उनको मुस्तकिल किया जाय।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि कागज पर तो इतनी सड़कें दी गयी हैं जिनका कुछ ठिकाना नहीं है। पहले भी कहा गया था और वह कागज पर भी आयी लेकिन अभी तक नहीं बनी। कलवारी सड़क को पहले फेज में बनाने के लिये रखा गया है लेकिन वह आजतक नहीं बनी है। हमारी सरकार का तो यह हाल है कि जहां पर प्लस है वहां पर प्लस किया जाता है और जहां पर माइनस है वहां पर माइनस किया जाता है। हम किसी जिले का नाम नहीं लेना चाहते हैं लेकिन यह कागज हमारे सामने है इससे यह बातें साफ अयां है। मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूं कि सन् १९३८ से जिस बात की चर्चा है और जिसको पंचवर्षीय योजना में भी सम्मिलित नहीं किया गया था यानी डुमरियागंज भाट पार के इलाके में जो सड़क बननी थी वह आज तक नहीं बनी है। यह पंचवर्षीय योजना भी समाप्त हो गयी और अब दूसरी आनेवाली है लेकिन उसका पता नहीं।

तो मान्यवर, सरकार को इस करेप्शन को चेक करना चाहिये। जो रुपया अनुमानतः यहां से स्वीकृत किया जाता है उसमें २० परसेन्ट तो आफिस के लिये निकल जाता है और जो बचा उसमें से ४० परसेन्ट के करीब वह ठेकेदार खुद मार लेता है तो बाकी ४० परसेन्ट में जा कर वह काम होता है। मैं मंत्री जी को यह सुझाव देना चाहता हूं कि इस ठेकेदारी को बन्द किया जाय। ग्राम सभाओं को आधा पैसा सरकार दे और आधा हम जनता से दिलायेंगे। इस तरह से हम लोग श्रमदान के जरिये सड़कों को बनवायेंगे। हमने ९ मील लम्बी सड़क श्रमदान से बनवाई है लेकिन जब बरसात आयेगी तो वह पानी से बह जायगी। मैं कहना चाहता हूं कि माननीय मंत्री महोदय इस पर ध्यान दें। वहां पर चल कर अगर वे देखें तो सारी गवर्नमेन्ट लगी हुई है और सारी जनता वहां पर सहयोग देती है। वहां पर धन का सदुपयोग होता है। मैं आपके द्वारा यह निवेदन कर देना चाहता हूं कि यह पी० डब्लू० डी० विभाग नहीं है बल्कि पर्सनल वर्क्स डिपार्टमेन्ट है। इस लिए मैं चाहता हूं कि किसी तरह से आप इसका काम ठीक करायें।

†श्री चन्द्रसिंह रावत (जिला गढ़वाल)---माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने प्रस्तुत अनुदान पर जो अपना भाषण दिया उससे पता चलता है कि पी० डब्लू० डी० विभाग के अधिकारियों का उन्होंने हृदय परिवर्तन कर दिया है उसके लिये मैं उन्हें बधाई देता हूं लेकिन मैं देखता हूं कि बावजूद गांधी आश्रम की इस सच्चाई की मुहर लग जाने के बाद भी जो वाकआत है वे उतने ही बुरे हैं बल्कि और बुरे ही हैं। लेकिन मैं समझता हूं कि जो कुछ मंत्री महोदय ने कहा होगा वह क्योंकि वे सच्चे आदमी हैं गांधीवादी हैं अपने दिल और दिमाग से सच्चा समझ कर ही कहते हैं उचित ही होगा। इसलिये मैं उनके खिलाफ एक भी शब्द नहीं कहता हूं।

† वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मैं उन्हें यह बताना चाहता हूं कि अगर आप गढ़वाल जिले के नक्शे को देखें तो आपको मालूम होगा कि सन् ४६ तक जो सड़कें बन चुकी थी वैसी ही अब हैं। मैं मंत्री महोदय को बता देना चाहता हूं कि जहां तक आज वे जाने की कोशिश कर रहे हैं उसके ५ मील आगे तक मोटर सड़क सन् ४६ में ही खुद चुकी थी। इस प्रकार से एक इंच भी वह आगे गढ़वाल में नहीं बढ़ पाये हैं। इतना ही नहीं जब मैं द्वितीय फाइव ईयर प्लान को देखता हूं तो मैंने देखा कि माननीय मंत्री जी ने क्रोकोडाइल टीअर्स बहाये और सहानुभूति जाहिर की। जब मैंने बजट को देखा तो मालूम हुआ कि लेंसडाउन में २ मील की सड़क ली गयी है। उन्होंने यह जो लाखों का काम खोला है उसके लिये मैं उनको बधाई देता हूं इसके साथ ही यह बताना चाहता हूं कि हमारे जिले के अन्दर इंसान बंदरों की तरह पहाड़ों को लांघता हुआ अपने गांवों को जाता है उनके लिये पैदल के रास्ते भी यह हुकुमत सन् ५६ में नहीं बना पायी है जब कि साइंस इतनी आगे बढ़ चुकी है। लोग आसानी के रास्ते ढूंढ रहे हैं लेकिन हमारे लिये पैदल चलने के रास्ते भी नहीं है। इसका श्रेय मंत्री जी को दिया जाय अथवा और किसी को। मैंने कई बार बताया है कि हमारे यहां २५ बड़ी बड़ी नदियां हैं लेकिन वहां २५-३० मील के दायरे में एक भी पुल नहीं है। मैंने गवर्नमेन्ट से कई बार लोहे के पुल के लिये दरख्वास्त की जो १५-२० हजार रुपये में ही आ जाता है। मैंने पक्के पुलों की बात नहीं की मैंने सरकार की गुंजाइश को देखकर ही मांग पेश की थी लेकिन खेद है कि वह लोग उन छोटी-छोटी सुविधाओं से भी अभी तक वंचित हैं और उस ओर माननीय मंत्री जी का कोई ध्यान नहीं है।

*श्री गंगाधर मैठाणी—श्रीमान् अध्यक्ष महोदय, इस भवन में सार्वजनिक निर्माण विभाग के अनुदानों पर जो वादविवाद हुआ उस से मेरे मस्तिष्क को दो तीन बातों का अनुभव हुआ। उन में से एक तो यह है कि जो कुछ भी ग्रान्ट दी जाती हैं वह भी अन्त में मेटीरिलाइज नहीं होती और बहुत सा रुपया लेप्स हो जाता है। ऐसा क्यो होता है मंत्री जी ने बताया कि उन के पास स्टाफ की कमी है लेकिन जितना भी स्टाफ है यह जो रुपया लेप्स हो जाता है उसके बारे में उन को देखना चाहिए कि जो एक्जिक्यूटिव इंजीनियर इन्चार्ज है उन की यह जिम्मेदारी हो कि उन के डिवीजन में जो रुपया सेन्कशन होता है वह वर्ष के अन्दर ही इस्तेमाल हो जाय। इस के बाद जो लोगों ने अपने अपने जिलों की बाते यहां रखीं उनसे मालूम हुआ कि सब कि आवश्यकतायें बहुत अधिक हैं। मैंने अभी माननीय उपमंत्री महोदय का व्याख्यान सुना और मैंने और माननीय तिवारी जी ने जो बातें कटौती का प्रस्ताव रखते समय कहीं थीं उन का उत्तर देने का उन्होंने कष्ट नहीं किया और ऐसा मालूम होता है कि हम ने जो बातें कहीं थीं उनको उन्होंने गौर से सुना नहीं या सुनने का प्रयत्न नहीं किया और अगर किया भी तो उन्होंने उस पर केवल लीपापोती ही करने की कोशिश की। मंत्री जी ने स्टार ग्रिड फारमूला का जिक्र किया और कहा कि पर्वतीय प्रदेशों में उसका

* वक्ता ने भाषा का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री गंगाधर मैठाणी]

पालन नहीं हो सकता । हमारा पहाड़ी प्रदेश है लेकिन स्टार ग्रिड फारमूले में है कि यह देखा जायगा कि वहां का कल्टीवेटेड एरिया क्या है टाउन की आबादी क्या है रेलवे माइलेज क्या है और जहां गुड्स रेल से चलता है और जहां मोटर से लोड चलेगा उस में किराए में भी और दूसरी बातों में भी अन्तर होगा इसी दृष्टि से माननीय नारायणदत्त जी ने यह बातें कही थीं।

दूसरे माननीय मंत्री जी का जो उत्तर हम ने सुना उस को सुन कर तो हमें और भी निराशा हुई । आप ने कहा कि मैंने पर्वतीय और पहाड़ी जिलों का जिक्र किया लेकिन ऐसी बात हरगिज नहीं थी । यह तो सही है कि मैं गढ़वाल जिले से आया हूं और जैसा कि अभी माननीय चन्द्र सिंह रावत ने कहा कि वह तो पौढ़ी के रहने वाले हैं लेकिन मैं तो उस से भी उत्तर चमोली तहसील का रहने वाला हूं जो आखिरी बोर्डर क्षेत्र है और हमारी वहां बहुत सी दिक्कतें हैं लेकिन मैंने वहां के बारे में कभी नहीं कहा । अगर सरकार ने स्टार ग्रिड फारमूला अपनाया है तो भी उस क्षेत्र का अधिक लिहाज करना चाहिए था और पहाडी क्षेत्र ही क्या बुन्देलखन्ड का भी ऐसा ही क्षेत्र है कि जहां पर कोई यातायात के साधन नहीं हैं. वहां हवाई जहाज नहीं हैं रेलवेज नहीं हैं और रिवर नेवीगेशन आदि कोई साधन नहीं हैं और अगर हम स्टार ग्रिड फारमूला पर ही चलें तब भी हमें उस इलाके का विशेष ख्याल करना चाहिए था लेकिन वह है नहीं । मैं बुन्देलखंड का भी जिक्र करता हूं वहां पर रामेटीरियल भी है, पत्थर भी है, सीमेन्ट फैटरी भी बनी है और वहां पर भी यातायात की बहुत आवश्यकता है । आपके कर्मचारी देख सकते हैं भूगर्भवेत्ता उन स्थानों को देख सकते हैं । इंडस्ट्री डिपार्टमेन्ट का बजट जब चल रहा था उस समय रिपोर्ट में आया था कि जिस कांस्टीट्युएंसी से मैं आया हूं वहां पर करीब ४० मील के इलाके में तांबा और लोहा मिलता है लेकिन कोई मार्ग नहीं है। मैं सही बात कह रहा हूं कोई जिले के दृष्टिकोण से बात नहीं कह रहा हूं । जहां सरप्लस है वहां के लिये भी लोग मांग करते हैं मैं मानता हूं कि उनकी भी आवश्यकता हैं लेकिन जहां बिल्कुल नहीं हैं और जहां भविष्य में विकास की पासिबिलिटीज हैं वहां भी तो माननीय मंत्री को ध्यान देना है। मैं अपने जिले का उदाहरण दे रहा हूं । हमारे यहां डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी ने रुद्रप्रयाग से केदारनाथ तक जो सड़क है उसको प्रायरिटी दी और सन् ५६ से पूर्व भी उसको प्रायरिटी दी गई थी । वह इलाका ऐसा है जिसमें गढ़वाल और टेहरी गढ़वाल दोनों का समावेश होता है। हरद्वार से बद्रीनाथ तक प्राविंशियल हाईवेज में ले लिया गया है लेकिन मेरी समझ में नहीं आता कि अगर बद्रीनाथ तक प्राविंशियल हाईवेज में लिया जा सकता है तो फिर केदारनाथ तक प्राविंशियल हाईवेज में क्यों नहीं लिया जा सकता । हिमालय के अन्दर दो ही तीर्थ स्थान है वैष्णव मत के तो बद्रीनाथ को महत्व देते हैं लेकिन शैव मत वाले भी केदारनाथ को उतना ही महत्व देते हैं जितना कि वैष्णव मत वाले बद्रीनाथ को। तो फिर केदार नाथ की सड़क प्राविंशियल हाईवेज में क्यों न होनी चाहिये । इन बातों की ओर मैं सरकार और मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं । यही बातें हैं जिनसे कि हमको ग्रज होता है।

अध्यक्ष महोदय, एक मिनट लेकर मैं खत्म करता हूं । पी० डब्ल्यू० डी० के अन्दर जो छोटी सर्विसेज के लोग हैं जैसे सुपरवाइजर, ड्राइवर, चौकीदार, गैंगमैन इनको सुविधायें मिलनी चाहिये । वे मुद्दत से काम कर रहे हैं और टेक्निकल काम भी वे करते हैं। उनको पर्मानेन्ट करना चाहिये । इनको इंश्योर्ड भी किया जाय और प्राविडेंट फंड भी क्यों न दिया जाय । जिस तरह से इंडस्ट्रीज

में लेबर लाज लागू होते हैं उसी तरह से उनको भी सुविधायें दी जायं और उनके लिये क्वार्टर्स वगैरह की सुविधा दी जाय ।

श्री विचित्रनारायण शर्मा––श्रीमान्, मेरी बहुत ज्यादा तारीफ की गई और अगर मैं यह समझूं कि वह तारीफ कटु आलोचना के लिये की गई तो वह तारीफ गलत हो जायगी क्योंकि उस तारीफ के साथ यह कहा गया कि मैं तो बहुत सीधा साधा और सरल आदमी हूं । बहुत जल्दी धोखा खा जाता हूं । तो कौन चाहेगा कि ऐसी तारीफ गलत हो जाय । इसलिये मैं यही समझता हूं कि मेरी तारीफ लोगों ने हृदय से की और सिर्फ गाली देने के लिये नहीं की । इसलिये मैं सदन और जो वक्ता लोग हैं उनको आपके मार्फत धन्यवाद देता हूं । मेरी बदकिस्मती यह है और उसे मैं अपनी भूल भी स्वीकार कर सकता हूं कि सड़कों के लिये मैं ज्यादा अनुदान प्राप्त न कर सका । इसे मेरी आयोग्यता समझी जा सकती है तो वह भी मुझे स्वीकार है । मेरी कमी कही जाय और मेरी गल्ती कही जाय तो वह भी मुझे स्वीकार है । और सदन की इस ख्वाहिश को कि वह प्लानिंग को प्लानिंग नहीं समझते हैं जब तक सड़कों के लिए काफी सुविधा न की जाय और काफी उसके लिए स्थान न दिया जाय यह मैं कैबिनेट तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा और जैसा मैं अयोग्य हूं उस आयोग्यता को सामने रखते हुए मैं कोशिश करूंगा कि कुछ और मिल जाय तो मुझे कम से कम गाली खाने के लिये कम मौका मिले और मेरा ऐसा अनुभव है कि यह इनीशियल और प्राथमिक गलती न हुई होती तो शायद इस विभाग का करप्शन भी कुछ कम दिखाई देता उनको और शिकायतें भी बहुत कम मालूम होतीं । सबसे ज्यादा शिकायतें तो इसलिये हैं कि लोगों के यहां सड़कें जो वह चाहते हैं नहीं बन सकीं । मैंने शुरू में यह निवेदन किया था कि यह सही बात है । शिकायतें बिलकुल जायज हैं और लोगों का नाराज होना उनको असंतोष होना भी अस्वाभाविक नहीं है। जहां तक पहाड़ों का ताल्लुक है ऐसा शायद समझाने की कोशिश की गई कि हम लोग महसूस नहीं करते हैं। लेकिन पहाड़ों के लिए हम लोग ज्यादा से ज्यादा जो कर सकते थे वह हमने किया । स्टार ग्रिड फार्मूला की बाबत यहां बहुत चर्चा हुई लेकिन मैं समझता हूं कि नारायण दत्त जी ने और मैठाणी जी ने भी उसे थोड़ा गलत समझा है । मैं तो पहले ही इस बात की हिदायत अपने विभाग को कर चुका हूं कि जिन अंकों के ऊपर वह फार्मूला तैयार किया जाता है उन को फिर से परखवा लें। अगर इधर सेंसस में और फीगर्स में कुछ अन्तर पड़ गया हो तो उसमें संशोधन कर लिया जाय। लेकिन कुछ समय उसमें लगेगा । महीने दो महीने और उससे ज्यादा भी लग सकता है मैंने कोशिश की कि ज्यादा से ज्यादा इंसाफ जिलों के साथ करूं । लेकिन फिर मेरी बदकिस्मती वही थी कि मैं अगर इंसाफ करने के लिए आंख बंद करके अंक गणित का हिसाब लगाता तो नतीजा यह होता कि कम से कम २३ जिले ऐसे है जहां मैं एक भी मील सड़क नहीं दे सकता। मैं नहीं समझता हूं कि यह सदन इस बात को मंजूर करता या इसको उचित समझता कि २३ जिलों में पांच वर्षों तक एक मील भी सड़क न बनायी जाय । अगर सड़कें उनको दी जायं तो फिर चूंकि यहां वर्षों से कमी चली आ रही थी सदियों से हजारों वर्षों से कमी चली आ रही थी वह

[श्री विचित्रनारायण शर्मा]

सिर्फ एक साल के अन्दर या एक योजना में पूरी कर दूं लोगों को शिकायत न रहे तो यह एक ऐसा काम है जो शायद शेरशाह कर सकता था लेकिन यह गरीब नहीं कर सकता है। और इस वास्ते ज्यादा से ज्यादा जो मैं कर सकता था वह किया। मैं मानता हूं कि उसमें कुछ गलती रही लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि जिन गरीबों के साथ गलती हुई उसमें से किसी ने भी प्रोटेस्ट नहीं किया। प्रोटेस्ट जिन्होंने किया उनके साथ शायद कुछ उदारता का ही व्यवहार हुआ। उनके यहां से ज्यादा शिकायत आयी कि सरप्लस डिस्ट्रिक्ट्स में मैंने बहुत ज्यादा दे दिया है। सरप्लस जिले केवल ६ या ७ हैं। बनारस है। वहां पर ६२ मील सड़कें बनायी जा रही हैं। अगर जयन्ती न आ गयी होती तो शायद यह आंकड़ा और कम हो जाता। लेकिन जैसा मैंने निवेदन किया था कि बनारस, इलाहाबाद, लखनऊ ये सारे प्रान्त के ही नहीं देश भर के मुख्य स्थान हैं और वहां अगर हम कुछ ज्यादा तवज्जह दे देते हैं तो यह पक्षपात तो नहीं कहा जायगा। आगरा है, वहां बाहर के टूरिस्ट आते हैं। वह एक ऐतिहासिक स्थान है। सारे प्रान्त के अन्दर ५-६ जिलों के साथ कुछ रियायत कर दी जाती है तो मैं समझता हूं कि उसमें यह नहीं कहा जायगा कि पक्षपात किया गया है। देहरादून मेरा अपना जिला था। वहां ४५ मील रखा गया था। मेरे सामने जैसे ही आया मैंने ३० मील उसमें से काट दिया। जौनपुर के भाइयों ने बहुत शिकायत की। लेकिन वहां ७२ मील पहले से ज्यादा है। सिर्फ ९ मील वहां दी गयी है। इतनी भी न दें तो भी मुश्किल। ज्यादा नहीं दिया गया यह बात साफ है। देहरादून में १५ मील। जैसा मैंने निवेदन किया। कानपुर की बहुत चर्चा है कानपुर में ४३ मील ज्यादा है सिर्फ १२ मील दी गई है। तो यह शिकायत जो करते हैं हम सदियों से पीछे हैं, उसका कुछ ख्याल रखा गया है डेढ़ मील, २ मील हर साल सड़क दी गई है और यह सड़कें दुर्भाग्य से शहरों के आसपास ज्यादा हैं रेलवे लाइन के किनारे और देहात वाले लोगों को शिकायतें हैं जो कानपुर सरप्लस डिस्ट्रिक्ट है कम है। और इसके अलावा प्रतापगढ़ में १० मील ज्यादा है यहां पर १७ मील दी गई है। छोटा सा डिस्ट्रिक्ट है लेकिन हाई वेज वहां से जाते हैं।

सबसे ज्यादा अल्मोड़ा में यदि कहा जाय कि पहाड़ के लिये यह फारमूला गलत सिद्ध होता है अगर यह गलत होता तो अल्मोड़ा का कोटा ८३७ मील न आता जो किसी भी जिले का नहीं है। वहां पर ६०८ मील की कमी थी और १९९ मील देने की हमने कोशिश की। यह समझना चाहिये कि एक साथ अगर हम ६०८ मील दे दें तो फिर वही शिकायत कि दूसरी जगह पर कम दी गई। मुजफ्फरनगर मेरठ कमी के जिले में आते हैं। वहां भी ज्यादा से ज्यादा देने की कोशिश की। मुज्फ्फरनगर को १०१ मील दी गई है।

श्री वीरेन्द्र वर्मा—नहीं दी गई।

श्री विचित्रनारायण शर्मा—अब यह तो मेरे पास हिसाब है। ऐसे ही गढ़वाल के महाशय ने कह दिया कि हमारे यहां कुछ नहीं दिया गया १ मील भी नहीं। सारे पर्चे के अन्दर देखता हूं तो गढ़वाल ही गढ़वाल दिखाई देता है कितने ही ८ या ९ तो ब्रिजेज हैं। और सड़कों के अलावा ८४ मील की सड़कें हैं और १९६ मील ब्रिडिल पाथ्स हैं और १३७ मील दूसरे ब्रिडिल पाथ्स दिये जा रहे हैं। इसके बाद भी शिकायत होती है इस चीज में। जिन डिस्ट्रिक्ट को कम मिला मैं महसूस करता हूं कि उनके साथ सचमुच में इंसाफ नहीं हुआ है। जिन डिस्ट्रिक्ट्स को बिल्कुल नहीं मिलना चाहिये था उनको कुछ न कुछ दिया गया। जिन डिस्ट्रिक्ट्स को ज्यादा पाना था उनको पाना जरूरी रहा। लेकिन जैसा मैंने निवेदन किया

में एक साथ सारी कमी दूर नहीं कर सकता था। आगे कोशिश की जायगी कि वह दूर कर दी जाय।

शिकायत सबसे ज्यादा करप्शन की बाबत की गई। यह हमारी भूल हुई कि हम वह आंकड़े नहीं दे सके जो वास्तव में देने चाहिये थे। शायद उन्होंने समझा इसका विस्तार ज्यादा हो गया है इसलिये नहीं दिये। लेकिन करप्शन की बाबत इसी साल यानी पिछले साल में मेरे सामने १९ के करीब केसेज हैं जो कि आये और इनमें से शायद १ आदमी छूटा बाकी सब का रिमूवल और डिस्मिसल। ऐक्वीटल में नान–गजटेड में सिर्फ ४ आदमी हैं बाकी कोई नहीं छूटा। रिकवरी फ्राम पे (तनख्वाह से वसूली) एक आदमी से की गई। सेंसर एक आदमी का हुआ, इन्क्रीमेंट ४ के रोके गये, सर्विस से ६ आदमी निकाले गये, कनविक्शन एक आदमी का हुआ और रिवरशन एक आदमी का हुआ।

शिवस्वरूप सिंह जी ने शिकायत की। सबसे ज्यादा मेरे सीधे होने की शिकायत उन्हीं को थी। पैसा भी उनके यहां कम खर्च हुआ लेकिन उनको मालूम होना चाहिए कि हमारी पांच साल की योजना के अंक हैं वह हम उनसे ज्यादा खर्च कर चुके और अगर यह लैप्स होने वाली बात बिल्कुल सही मान ली जाय तो यह खर्च जितना हमारे यहां शिड्यूल्ड था उससे ज्यादा नहीं हो सकता था लेकिन वह हुआ। तो यह जरूर है कि वह कभी कभी लैप्स हो जाता है लेकिन लैप्स होकर कहीं काफूर हो जाता हो तो ऐसा नहीं है। वह दूसरे साल फिर आ जाता है। पैसा अगर बर्बाद नहीं होता है तो फिर दूसरे साल अगर वह न मिले तब शिकायत की बात हो सकती है।

सबसे सख्त सजा अगर दी गई है तो वह मुरादाबाद के डिस्ट्रिक्ट को दी गई है और मेरे सामने अभी तक एक भी उदाहरण नहीं आया जिसे मैंने अपने साधुपन से या अपनी रहमदिली से छोड़ दिया हो। मैं नहीं समझता हूं कि कहां तक यह कहा जा सकता है। एक भाई ने शायद बड़ी अच्छी मिसाल दी थी किसी गड़ेरिनी के बारे में। यह सही बात हो सकती है अगर सचमुच में मुझको करप्शन–करप्शन न मालूम होता हो अगर मुझको करप्शन दिखलाई ही न देता हो। लेकिन मैं विश्वास दिला सकता हूं कि करप्शन, अभी भी करप्शन मुझको दिखलाई देता है परसेंटेज की बात कही गई। जितनी भी स्पीच हुई मैंने उनको ध्यान से सुना उनमें ज्यादातर ओवरसियर्स की बाबत बयान दिए लोगों ने। मैंने निवेदन किया था कि जहां मैं लोगों की बाबत अच्छा ख्याल रखता हूं वहां मैंने यह कहा था कि इसका मतलब यह न लगाया जाय कि शिकायत नहीं है . . .

श्री अध्यक्ष––कुछ समय बढ़ाना चाहते हैं पांच सात मिनट आप?

श्री विचित्रनारायण शर्मा––अगर सदन सुनना चाहे तो मैं जरूर चाहूंगा कि पांच सात मिनट बढ़ा दिया जाय।

श्री अध्यक्ष—तो मैं समझता हूं कि आज की बैठक को ५–४० तक खत्म किया जाय । आप ५–३७ तक भाषण खत्म कर दीजिए, ५–४० तक तीन मिनट में मैं वोट ले लूंगा ।

श्री विचित्र नारायण शर्मा—तो मैं करप्शन की बात कर रहा था । मैंने निवेदन किया था कि अगर करप्शन न दिखाई देता मुझको तो वह बात जो कही गई थी वह सही हो सकती थी। लेकिन मैं कुछ दिन ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेन्ट में भी रहा, गान्धी आश्रम में रहा, भूदान में रहा लेकिन ट्रांसपोर्ट में भी रहा और ट्रांसपोर्ट की बाबत यह कह सकता हूं कि वहां भी ख्याल यह था कि करप्शन बहुत ज्यादा है लेकिन वहां भी उत्तरोतर उन्नति हुई और अगर करप्शन का मतलब यह है कि आमदनी बढ़ती चली जाय काम अच्छा होता चला जाय और शिकायतें जनता की कम होती चली जांय, तो बात दूसरी है। लेकिन यहां पर दिक्कत यह है कि हमारा यह काम इतनी जगहों पर फैला हुआ है कि हमारे जो सुपीरियर आफिसर्स हैं उनका कंट्रोल उन पर पूरा हो नहीं सकता और यह परसेंटेज की बात सही भी हो सकती है मैं मना नहीं कर सकता हूं लेकिन यह भी नहीं कह सकता हूं कि सही है। सही हो सकती है लेकिन मैं बता सकता हूं कि इनका कंट्रोल करना कितना कठिन है । हम जब डिपार्टमेन्ट में आदमी बढ़ाने की बात कहते हैं तो दूसरी तरफ यह कहा जाता है कि एस० ईज० को घटा दिया जाय आदमी बहुत ज्यादा हैं। दूसरी बात मैंने कभी यह नहीं कहा कि मेरी साधुता से डिपार्टमेन्ट का हृदय परिवर्तन हो रहा है । हृदय परिवर्त्तन हो रहा है और सबका हो रहा है। संसार के जो परिवर्तन के नियम हैं उसकी शक्ति से वह बदल रहे हैं क्योंकि हम कुछ कर नहीं सकते जब तक कि हम उन्नति नहीं करते । इसलिये वह हृदय परिवर्तन तो हो के रहेगा । लेकिन मेरा जो पहले यह ख्याल था कि लोग खराब हैं पर वह लोग खराब नहीं मिले मुझे । पहले ही से अच्छे लोग थे । यह मैंने कहा था और इसको यह न समझा जाय कि मेरी वजह से वह बदल गए । वह वास्तव में जिनको मैं बुरा समझता था वह अच्छे आदमी हैं। हां नीचे की कोठी में जैसा यहां पर कहा गया है मैं स्वयं शंकाशील हूं और नहीं कह सकता हूं कि वहां पर कितने सही हैं कितने गलत हैं क्योंकि व्यक्तिगत मेरा परिचय भी नहीं है। मैं मान सकता हूं कि उनमें से अधिकांश गलत है लेकिन उन आदमियों पर जिन पर हम निर्भर कर सकते हैं उनका कंट्रोल रखना थोड़ा कठिन हो जाता है क्योंकि हमारा काम बहुत ज्यादा फैला हुआ है और जब तक हम थोड़ी सी तफसील में जाकर चीजों की चेकिंग न करें तब तक सिर्फ शिकायतों के ऊपर किसी को सजा दे देना डिमोक्रेटिक सेट अप में जहां अदालतें हैं हाई कोर्ट तक रिट जा सकती हैं सुप्रीम कोर्ट तक जा सकती है वहां हमारे लिये मुमकिन नहीं है और न मैं चाहूंगा कि शिकायतों पर ही लोगों को सजा दे दी जाय । इन कठिनाइयों को महसूस करते हुये मैं कह सकता हूं कि यह बात बिलकुल गलत है कि ५०–६० प्रतिशत गायब हो जाता है जैसा कुछ माननीय सदस्यों ने कहने का साहस कर लिया हमारे मकान बने हुये हैं उनके रेट्स कम हैं उनका मुकाबिला किया जा सकता है दूसरी जगहों में दुनिया में और स्टेटस में बन रहे हैं प्राइवेट लोग बनवा रहे हैं हमारे ७,८ रुपये वर्ग फीट में मकान बन रहे हैं और यह सब से कम हैं । दूसरे मकान हमारे गिर नहीं जाते हैं जितने मकान बने हैं वे सब पक्के हैं । कुछ खराब बने हैं उनकी शिकायत हुई तो सजा दी गई और उनके खिलाफ ऐक्शन लिया गया। आपने कृपा करके जितना समय दिया था वह करीब करीब समाप्त हो चुका है । मैं अब सिर्फ एक बात कहूंगा । हमारे यहां जो प्रयोग हो रहा है उसकी रिपोर्ट जितनी साइंटिफिक सोसाइटीज हैं उनके पास भेज दी जाती है और स्टेट्स के पास

भी भेज जाती है। बेशक वह सदन की मेज पर नहीं रखी गयी है यह कमी मैं अनुभव करता हूं लेकिन अगर यह सदन अपनी इच्छा प्रकट करे तो यह भी किया जा सकता है। मैं चाहूंगा कि अखबारों के जरिये से उनका विज्ञापन हो तो शायद जनता को ज्यादा फायदा हो। मैं फिर आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने मुझ समय दिया और सदन के सदस्यों को भी धन्यवाद देता हूं।

श्री अध्यक्ष––प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ३०––सार्वजनिक निर्माण–कार्यों के व्यय, जो राजस्व से पूरे किये जाते हैं (लेखा शीर्षक ५०––नागरिक निर्माण-कार्य, निर्माण-कार्यों पर लागत) के अधीन एक रुपये की कमी की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष––प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ३०––सार्वजनिक निर्माण कार्यों के व्यय, जो राजस्व से पूरे किये जाते हैं (लेखा शीर्षक ५० : नागरिक निर्माण–कार्य––निर्माण–कार्यों पर लागत) के अन्तर्गत, ४,५८,३४,५०० रुपये की मांग स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष––प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ३१––यातायात के साधनों का सुधार (केन्द्रीय सड़क निधि के लेखे से वित्त-पोषित) (लेखा शीर्षक ५०––नागरिक निर्माण–कार्य और केन्द्रीय सड़क निधि से वित्तीय सहायता) के अन्तर्गत, एक रुपये की कमी की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष––प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ३१––यातायात के साधनों का सुधार (केन्द्रीय सड़क निधि के लेखे से वित्त-पोषित) (लेखा शीर्षक ५०–नागरिक निर्माण–कार्य और केन्द्रीय सड़क निधि से वित्तीय सहायता) के अन्तर्गत, ३९, ९८,४०० रुपये की मांग स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष––प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ३२––सार्वजनिक निर्माण कार्य स्थापना पर व्यय (लेखा शीर्षक ५०–नागरिक निर्माण–कार्य और ८१––राजस्व लेखे से बाहर नागरिक निर्माण कार्यों की पूंजी का लेखा) के अन्तर्गत एक रुपये की कमी की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष––प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ३२––सार्वजनिक निर्माण–कार्य स्थापना पर व्यय (लेखा शीर्षक ५०–नागरिक निर्माण–कार्य और ८१––राजस्व लेखे से बाहर नागरिक निर्माण-कार्यों की पूंजी का लेखा) के अन्तर्गत, ७६,२३, ६०० रुपये की मांग स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष––प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ४६––राजस्व लेखे के बाहर नागरिक निर्माण–कार्यों पर लागत (लेखा शीर्षक ८१––राजस्व लेखे के बाहर नागरिक निर्माण–कार्यों का पूंजी लेखा) के अन्तर्गत, एक रुपये की कमी की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ४६—राजस्व लेखे के बाहर नागरिक निर्माण-कार्यों पर लागत (लेखा शीर्षक ८१-राजस्व लेखे के बाहर नागरिक-निर्माण कार्यों का पूंजी लेखा) के अन्तर्गत, १०,४६,९४,३०० रुपये की मांग स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

१६ तथा २१ मार्च, १९५६ को ६ बजे सायंकाल तक सदन की बैठक करने का संकल्प

शिक्षा मंत्री (श्री हरगोविन्द सिंह)—श्रीमान्, मैं निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करता हूं :—

"उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया नियमावली के नियम ११ के अनुसार इस सदन की बैठक साधारणतया शाम के ५ बजे तक ही होती है किन्तु गोरखपुर विश्वविद्यालय विधेयक, १९५६ तथा वाराणसीय संस्कृत विश्वविद्यालय विधेयक, १९५५ को जनहित की दृष्टि से शीघ्र पारित करने की आवश्यकता है । अतएव संकल्प किया जाता है कि इन विधेयकों को उपरोक्त क्रम में संयुक्त प्रवर समिति के सुपुर्द करने के हेतु क्रमशः दिनांक १६ और २१ मार्च, १९५६, को सदन की बैठक का समय ५ बजे के बाद प्रतिदिन एक घंटा बढ़ा दिया जाय ।"

श्री अध्यक्ष—यह 'प्रतिदिन' शब्द जरा मुझे कुछ खटकता सा है। आप १६ और २१ मार्च, दो रोज सिर्फ चाहते हैं न समय बढ़ाना ?

श्री हरगोविन्द सिंह—जी हां ।

श्री अध्यक्ष—तो फिर प्रतिदिन की जरूरत नहीं है । एक-एक घंटा आप कर दें । हिन्दी का मुहाविरा तो यही है "एक-एक घंटा और बढ़ा दिया जाय ।"

श्री हरगोविन्द सिंह—बैठक का समय ५ बजे के बाद दोनों दिन एक एक घंटा बढ़ा दिया जाय ।

श्री जयपाल सिंह (जिला सहारनपुर)—अध्यक्ष महोदय, मैं इस संकल्प में निम्न संशोधन पेश करना चाहता हूं :—

"संकल्प की पंक्ति ४ में आये शब्द "इन विधेयकों" और पंक्ति ५ में आये शब्द "क्रमशः" के बीच में आये शब्दों को निकाल कर उनके स्थान पर निम्न शब्द जोड़ दिये जायं :

"पर उपरोक्त क्रम में विचार करने के लिये ।"

श्री मोहनलाल गौतम (जिला अलीगढ़)—प्वाइन्ट आफ आर्डर । ५ बजकर ४० मिनट तक यह हाउस था । अब ४० मिनट खत्म हो गये । तो अब इस तरह का संकल्प ४० मिनट के बाद लाने के लिये समय को बढ़ाने के लिये प्रस्ताव पहले आना चाहिये ।

श्री अध्यक्ष—वह सारी बात तय हो गयी थी और मैंने कल भी कह दिया था इस बात के लिये कि ५ बजे के बाद यह संकल्प आ सकेगा और सदन को उसमें कोई आपत्ति नहीं थी । सवेरे भी जिस वक्त यह प्रस्तुत करने के लिये शिक्षा मंत्री खड़े हुये थे तो उस वक्त मैंने कहा था कि अगर सदन का समय बढ़ जायगा तो उसके बाद यह प्रस्ताव लिया जायगा और सदन ने स्वीकार कर लिया था । तो वह सदन का समय जो साधारण था अनुदानों के लिये वह बढ़ सकता था प्रस्ताव से और वह बढ़ गया उसके बाद यह जो प्रस्ताव है लिया जाता है ।

श्री जयपाल सिंह—अध्यक्ष महोदय, मैं इस संशोधन को इसलिये लाया हूं कि जब हमने पहले से इस बात को सोच लिया है कि संयुक्त प्रवर समिति को बिल दिये जायेंगे तो मैं समझता हूं कि फंडामेंटल प्रिंसपल से विधेयक पर जरूरी नहीं है कि हम यह कहें कि प्रवर समिति को भेज दिया जायगा । तो मैं सोचता हूं कि इस दिशा में पहले से सोच लें यह ठीक नहीं है । यह

रिडेंडेंट है, फिजूल सा है। इसलिये जहां तक संस्कृत युनिवर्सिटी का सम्बन्ध है मैं इसके सम्बन्ध में वहां की पढ़ाई लिखाई तथा कोर्स के बारे में निवेदन करना चाहूंगा कि वह ऐसा कोर्स है जो हमारे संविधान को चुनौती देता है.....

श्री अध्यक्ष--इसमें जो आपने संशोधन दिया है, उस पर वैधानिक दृष्टि से विचार करना है। मैं समझता हूं कि आपका संशोधन अधिक वैधानिक मालूम पड़ता है। मैं शिक्षा मंत्री जी से कहूंगा कि तरीका यह रहा है कि कोई भी विधेयक पुरःस्थापित हो जाने पर दूसरा उसके साथ प्रस्ताव यह आना है कि उसके ऊपर विचार किया जाय। सब माननीय सदस्य उस पर संशोधन उपस्थित कर सकते हैं। आप ऐसा प्रस्ताव यहां नहीं ला सकते हैं जिसमें सदन का समय बढ़ाने के लिये यह पहिले ही तय कर दें कि यह प्रवर समिति को भेजने के लिये समय बढ़ाया जाता है। ऐसे शब्द प्रस्ताव में आ जाने चाहिये जो सदन को अभी से कमिट न करें कि अमुक काम होना है। जब विधेयक पर विचार होगा उस समय यह प्रस्ताव हो सकता है कि प्रवर समिति में जाना चाहिये या नहीं। इसलिये मैं समझता हूं कि माननीय शिक्षा मंत्री जी के प्रस्ताव पर श्री जयपाल सिंह जी का संशोधन आ सकता है।

श्री हरगोविंद सिंह--श्रीमन्, विचार की परिधि इतनी वसीह है कि इसमें उस समय भी जो आपका संशोधन है वह आ सकता है लेकिन भवन के सामने जो प्रस्ताव रखा गया है उसकी चर्चा यहां किये दे रहा हूं कि भवन के सामने प्रस्ताव यह रखा जायगा कि यह प्रवर समिति को दे दिया जायगा और वही जनरल डिस्कशन होगा। जैसे पहले आगरा यूनिवर्सिटी विधेयक के बारे में हो चुका है जब कि प्रवर समिति से रिपोर्ट.....

श्री अध्यक्ष--यह संशोधन कर दिया जाय कि प्रवर समिति के सुपुर्द करने के प्रस्ताव के हेतु।

श्री मदनमोहन उपाध्याय (जिला अल्मोड़ा)--अध्यक्ष महोदय, हम यह नहीं समझ पाये कि शिक्षा मंत्री जी १६ और २१ तारीख को क्यों मांग रहे हैं। अगर उनकी मंशा यह है कि होली की छुट्टियों में या ईस्टर की छुट्टियों में रखा जाय तो बहुत से हमारे साथी नहीं चाहेंगे कि यह बिल उस समय लिये जायं। अगर अप्रैल में हाउस में आ जायं तो मैं समझता हूं कि छुट्टियों बाद वह ले आयें और जनरल डिस्कशन कर लिया जाय और सिलेक्ट कमेटी भी बैठ जाय अगर उसकी जरूरत हो। इसलिये मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री जी इसकी सफाई कर दें तो यह हो सकता है। एक घंटे बैठने की जरूरत क्या है, १५ मिनट में भी काम हो सकता है।

श्री अध्यक्ष--एक घंटा बढ़ जाने के बाद आध घंटे में आप उठ सकते हैं लेकिन अगर बहस प्रारम्भ हो गयी तो दिक्कत हो सकती है।

श्री मदनमोहन उपाध्याय--अध्यक्ष महोदय, अगर बहस हो तो एक साथ हो इसीलिये मैं सफाई चाहता था। अगर वह छुट्टियों में चाहते हैं तो उसके मुताबिक बातचीत की जाय और यदि बाद को चाहते हैं तो हम अपना सुझाव देंगे.....

श्री हरगोविंद सिंह--श्रीमन्, इस सम्बन्ध में मैंने विरोधी दल के नेता से बात भी कर ली थी और कभी भी अभिप्राय यह नहीं है कि छुट्टियों में हम यहां रखें। जो मेम्बरान की सुविधा होगी उसी के अनुसार यह काम किया जायगा और उन्हीं दिनों में यह रखा जायगा। आवश्यकता इस बात की है कि होली की छुट्टी के बाद जब हम मिलें तो उस दरम्यान में इसको कर लेने का इरादा है जिसमें कि हमारे लिये यह संभव हो सके कि इसको हम जुलाई में फाइनलाइज कर सकें। बस सिर्फ इस बात की आवश्यकता है।

श्री मोहनलाल गौतम--श्रीमन्, मैं निवेदन करना चाहता था कि अगर इसमें कोई बहुत दिक्कत न हो और अगर जो टाइमटेबिल शिक्षा मंत्री जी ने बनाया है वह पूरा उतर सकता हो तो अधिक अच्छा यह होगा कि जनरल प्रिंसिपल्स पर सेलेक्ट कमेटी में भेजने के पहले ही

[श्री मोहनलाल गौतम]

बहस हो जाय और जो बातें यहां कही जायं उन पर ज्वायंट सेलेक्ट कमेटी विचार करे। ज्वायंट सेलेक्ट कमेटी विचार न कर पाये सदन की उन बातों पर, जो सदन यहां कहना चाहता है तो जनरल डिस्कशन कुछ बेतुका सा हो जायगा। ज्वायंट सेलेक्ट कमेटी की रिपोर्ट के आने के बाद जनरल डिस्कशन का वह फायदा नहीं हो सकेगा। पहले डिस्कशन होने से ज्वाइंट सेलेक्ट कमेटी उसका फायदा उठा सकती है। पहले तीन यूनिवर्सिटीज, आगरा, इलाहाबाद, और लखनऊ के विधेयक हम पास कर चुके हैं उनका हमें कुछ तजुर्बा है और उससे फायदा और नुकसान हमें दिखायी देने लगा है, तो उन तमाम बातों को सदन के सदस्य कहना चाहते हैं। उनको वह पहले कह लें और उस के बाद यह ज्वाइंट सेलेक्ट कमेटी को रेफर हो तो अच्छा होगा और यह काम एक घंटे में नहीं हो सकता। तो यह दिक्कत है। अगर इस के बारे में शिक्षा मंत्री जी कुछ सफाई कर दें तो अच्छा होगा।

श्री अध्यक्ष--(श्री जयपाल सिंह से)--आपको तो अब प्रस्ताव रखने की जरूरत नहीं है। यह संशोधन हो गया है कि "प्रवर समिति को सिपुर्द करने के प्रस्ताव को उपस्थित करने के हेतु।"

श्री जयपाल सिंह--तो मैं अपना संशोधन पेश नहीं करता।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)--श्रीमन्, जहां तक संयुक्त प्रवर समिति को सिपुर्द करने का यह प्रस्ताव है उसको हम पहले ही उपस्थित कर चुके हैं और वह एजेंडा में छप भी चुका है। मैं केवल इतना ही कहना चाहता था कि एक घंटे में किसी प्रकार भी इन विधेयकों के सिद्धांतों पर बहस नहीं की जा सकती। श्रीमन्, आप भी इसको समझ पायेंगे कि किस प्रकार की यह दिक्कत है। दूसरी बात यह है कि होली और ईस्टर की छुट्टियों में सेलेक्ट कमेटी की मीटिंग संभव नहीं हो सकेगी और मेरी सूचना के अनुसार अप्रैल की तीन तारीख से सदन फिर मिलने जा रहा है। तो बजाय इसके कि यहां एक घंटे बहस करें, अच्छा यह होगा कि हम बजट पास करने के बाद एक साथ इन विधेयकों को ले लें और उसके बाद संयुक्त प्रवर समिति इन पर विचार करना शुरू करे। इसमें किसी प्रकार की डिले भी नहीं होगी क्योंकि सेलेक्ट कमेटी, अप्रैल में ही विचार करेगी। तो मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि वह इस सम्बन्ध में पुनः विचार करें। इसको शीघ्रता से पास करना चाहिये यह हम भी महसूस करते हैं, लेकिन सिद्धांतों पर बहस करने की आवश्यकता को देखते हुये यह आवश्यक है कि अप्रैल के पहले हफ्ते में इसको ले लिया जाय।

श्री हरगोविन्द सिंह--श्रीमन्, जहां तक ज्वाइन्ट सेलेक्ट कमेटी के प्रोग्राम की बात थी, मैं तो समझता था कि विरोधी दल के नेता से बातचीत होने पर ... .

श्री नारायणदत्त तिवारी--नहीं हुयी।

श्री हरगोविन्द सिंह--मुझ से हुयी थी, आपसे नहीं। मेरे डिप्टी मिनिस्टर से हुयी थी, तो उन से बात करने के बाद मैं यह नहीं समझता था कि ऐसा कोई आब्जेक्शन किया जायगा। लेकिन दो बातें कही गयीं। एक तो यह कि ज्वाइन्ट सेलेक्ट कमेटी में जाने के पहले इस पर विचार हो जाय। इसका प्रोसीजर यह है कि यहां से प्रस्ताव स्वीकृत हो जाने के बाद कौंसिल में ले जाना पड़ेगा और उसके बाद फिर यहां आना पड़ेगा। तो यह आवश्यक है कि दोनों भवन जिस समय हों, उसी समय यह प्रस्ताव आये। दूसरे गौतम जी ने कहा कि ज्वाइन्ट सेलेक्ट कमेटी में जाने के पहले अगर यहां पर फंडामेंटल पर बहस हो जाय तो अधिक अच्छा होगा। नियम में ऐसा है लेकिन मैं समझता हूं कि इस तरह से उपयोगी नहीं होगा। ज्वाइन्ट सेलेक्ट कमेटी से जिस प्रकार का बिल निकलता है वह भवन के सामने होगा क्योंकि ज्वाइंट सेलेक्ट कमेटी में जाने के पहले जब भवन में फंडामेंटल पर बहस होगी तब भी माननीय सदस्यों को इस बात की स्योरिटी नहीं होगी कि जब यह ज्वाइन्ट सेलेक्ट कमेटी से बिल आयेगा वह किस प्रकार का वहां से निकलेगा। इसलिये मैं यह समझता हूं कि उनके दृष्टिकोण से यदि ज्वाइन्ट सेलेक्ट कमेटी के

द्वारा संशोधित बिल भवन के सामने हो तो माननीय सदस्यों को अधिक सुविधा होगी फंडामेंटल पर बहस करने में।

तीसरी बात जो कही कि ३ के बाद केवल फंडामेंटल पर बहस हो जाय तब मैं यह नहीं जानता कि यह हाउस होली के बाद कब आयेगा। लेकिन मैं यह चाहता हूं कि अगर होली के बाद तीन से ही यह हाउस आ गया तो तब तो दिक्कत नहीं होगी लेकिन अगर पीछे आया तब मैं यह चाहता हूं कि ज्वाइन्ट सेलेक्ट कमेटी की रिपोर्ट हाउस के सामने पेश करूं। तब फंडामेंटल पर बहस हो जाय।

श्री अध्यक्ष--आपका मतलब यह है कि हाउस को आप इस बात के लिये अश्योर करते हैं कि सिद्धांतों पर बाद में वाद-विवाद करने के लिये यह हाउस फ्री रहेगा।

श्री मदनमोहन उपाध्याय--एक दिन का फर्क है। अगर माननीय मंत्री जी पता लगा सकें कि अप्रैल में कब बैठ रहे हैं तब दिक्कत नहीं होगी।

श्री अध्यक्ष--मेरे सेक्रेटरी मुझे यह जानकारी दे रहे हैं कि अप्रैल में शायद कौंसिल नहीं होगी। असेम्बली तो ४ अप्रैल से बैठेगी लेकिन कौंसिल नहीं। अब शायद परिषद् २१ से २४ तक बैठ रही है। अगर ज्वाइन्ट सेलेक्ट कमेटी के लिये जाना है तो परिषद् को भी यह प्रस्ताव अभी पास कर लेना होगा।

श्री मदनमोहन उपाध्याय--माननीय मंत्री जी कौंसिल से पास करा लें और फिर उसके बाद अप्रैल में यहां से पास करा लें।

श्री अध्यक्ष--वहां से पास हो जाय तब फिर यह सदन सिद्धांतों पर विचार करे यह तो नहीं हो सकता है।

श्री हरगोविन्द सिंह--यह बिल उस भवन के सामने नहीं है।

श्री अध्यक्ष--आप चाहते हैं कि प्रस्ताव को सीधे वहां पर यहां से भेज दिया जाय।

श्री मोहनलाल गौतम--क्या यह हो सकता है कि यहां से प्रस्ताव यह हो जाय कि संयुक्त प्रवर समिति को यह भेजा जाय। अपर हाउस इसको स्वीकार कर ले। जब हमारे यहां नामों के लिये फिर से यह आवे तो उस समय इस पर बहस कर लेंगे कि हमारे विचार उनके सामने हों। फिर प्रवर समिति अपना विचार कर ले।

श्री हरगोविन्द सिंह--यहां ज्वाइन्ट सेलेक्ट कमेटी बनने के बाद यहां से प्रस्ताव पास हो गया। फिर ज्वाइन्ट सेलेक्ट कमेटी में बिल चला गया। तो यहां भवन में उस पर विचार होता रहेगा यह नहीं हो सकता। मेरी समझ में नहीं आता कि ज्वाइन्ट सेलेक्ट कमेटी के बाद हमें क्या दिक्कत होगी और यह भवन किस प्रकार से फंडामेंटल पर बहस करने के लिये वंचित रहेगा। मेरा अनुमान तो ऐसा है कि भवन को सुविधा होगी। दूसरे भवन को भी अवसर मिलेगा वह जिस तरह से चाहेगा उस पर बहस कर लेगा। इस प्रकार से सेलेक्ट कमेटी के बाद बहस कर लें।

श्री मोहनलाल गौतम--मैं यह कह रहा था कि यहां संयुक्त प्रवर-समिति का प्रस्ताव स्वीकार हो जाय। उसके बाद कौंसिल में वह प्रस्ताव जायेगा। कौंसिल उसको स्वीकार करेगी। तब वह फिर से हमारे सामने नामों के लिये आयेगा। इसलिये जब आप उसको जरा इलास्टिक बना रहे हैं तो उस इलास्टिसिटी में यह और शामिल हो जाय कि जब नामों के लिये हमारे सामने प्रश्न आये तो हम उस वक्त जनरल डिस्कशन कर सकें। या तो आप बिल्कुल यह कह दीजिये कि बिल्कुल प्रिंसिपल पर डिस्कशन होगा या अगर आप रूल्स के एडजस्टमेंट की बात कहते हैं तो आप इतना अवश्य कर दें जब यह नामों के लिये हमारे सामने आये तो उस वक्त जनरल डिस्कशन करने में कोई हर्ज न होगा।

राजा वीरेन्द्रशाह (जिला जालौन)---श्रीमन्, जैसा कि अभी माननीय सदस्य ने कहा कि अगर यह जनरल डिस्कशन न होने के पहले ही प्रवर समिति में चला जाता है तो फिर हम लोगों के जो विचार हैं उन पर सेलेक्ट कमेटी में कोई विचार नहीं हो सकेगा। माननीय मंत्री जी ने कहा कि बाद में हमें विचार करने का अधिकार होगा। तो उस वक्त हम सिर्फ कह ही सकते हैं जब परिवर्तन की बात आयेगी तो एक फुलस्टाप भी नहीं बदला जायगा। श्रीमन्, आपकी पार्टी एक तो वैसे ही इतनी मैजारिटी में है, वह उस वक्त हमारी बात किसी भी तरह से नहीं मानेगी। इसलिये मैं इस बात से सहमत हूं कि इस सदन को पहले बहस करने का मौका मिलना चाहिये।

श्री अध्यक्ष---मैं समझता हूं कि यह तरीका तो हो नहीं सकता है कि एक तरफ आप सेलेक्ट कमेटी का प्रस्ताव पास कर दें फिर वह परिषद् से वापस केवल नामों के लिये ही आयेगा, उस समय फिर कोई विचार उस पर नहीं हो सकता है। जैसा कि अभी गौतम जी सजेस्ट कर रहे थे, जो नियम अभी तक हैं, उनमें यह चीज नहीं है। एक प्रथा यह जरूर रही है कि कभी कभी सेलेक्ट कमेटी को संशोधनों के ऊपर विचार न करते हुये विधेयक भेज दिया गया है। उसकी वजह से आपको फिर से मौका मिल गया था उसके सिद्धांतों पर बहस करने का, यद्यपि उसके बारे में भी रूल्स खामोश हैं। लेकिन यह तो रूल्स के विपरीत हो जायगा कि एक तरफ आप इसे सेलेक्ट कमेटी को दे दें और फिर यह कहें कि जब नामों के निर्वाचन के लिये केवल यह सदन में उपस्थित हो तो हम डिसकशन कर लें। यह प्रोसीजर अटपटा होगा। इसलिये मैं इसकी इजाजत नहीं दूंगा।

श्री मदनमोहन उपाध्याय---अध्यक्ष महोदय, इन सब बातों पर विचार करते हुये, इन दोनों बिलों की अरजेंसी को समझते हुये, यह भी समझते हुये कि अप्रैल के महीने में कौंसिल नहीं बैठ रही है, और यह भी देखते हुये कि माननीय मंत्री जी इसको जुलाई से ही कार्यान्वित करना चाहते हैं और हमें इस बिल को पास करना ही है, यह मुनासिब समझता हूं कि सदन से जो कल के लिये समय मांगा गया है, उस पर विचार कर लिया जाय। यह बात तय है कि सेलेक्ट कमेटी से आने के बाद हाउस में इस पर जनरल डिस्कशन होगा।

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया नियमावली के नियम ११ के अनुसार इस सदन की बैठक साधारणतया शाम के ५ बजे तक ही होती है किन्तु गोरखपुर विश्वविद्यालय विधेयक, १९५६ तथा वाराणसेय संस्कृत विश्वविद्यालय विधेयक, १९५५ को जनहित की दृष्टि से शीघ्र पारित करने की आवश्यकता है। अतएव संकल्प किया जाता है कि इन विधेयकों को उपरोक्त क्रम में संयुक्त प्रवर समिति के सुपुर्द करने के प्रस्ताव को उपस्थित करने के हेतु क्रमशः दिनांक १६ और २१ मार्च, १९५६, को सदन की बैठक का समय ५ बजे के बाद दोनों दिन एक-एक घंटा बढ़ा दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

(इसके बाद सदन ६ बजकर १ मिनट पर अगले दिन के ११ बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

मिट्ठन लाल,
सचिव, विधान मंडल,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ;
१५ मार्च, १९५६।

पी० ए० यू० पी० ए० पी० २ एल० ए०—१९५६—७९६।

नत्थी 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न ११ का उत्तर पीछे पृष्ठ २४८ पर)

तहसील बाह, जिला आगरा में जनवरी, सन् १९५५ से ६ मार्च, सन् १९५६ तक होने वाली डकैती व कत्ल का विवरण—

सन् व माह	डकैती	कत्ल
१९५५		
१—जनवरी	..	..
२—फरवरी	१	१
३—मार्च	१	..
४—अप्रैल	३	१
५—मई	२	..
६—जून	..	२
७—जूलाई	..	१
८—अगस्त	१	..
९—सितम्बर	..	..
१०—अक्टूबर	१	२
११—नवम्बर	१	२
१२—दिसम्बर	१	..
१९५६		
१—जनवरी	२	..
२—फरवरी	२	..
३—मार्च	..	..
कुल जोड़	१५	९

पी० एस० यू० पी० ए० पी० २ एल० ए०—१९५६—७९६ ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा